Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३
(प्रातःकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ४ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, स्वायत्त शासन, सहकारी, राजस्व, चिकित्सा, श्रम, पुनर्स स्थापन, सामान्य प्रशासन, कर, खनिज, समाज कल्याण एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास ।

डाक्टरों तथा वैद्यों की वेतन श्रृंखलाएं

६५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या राज्य में डॉक्टरों की व वैद्यों की वेतन-श्रृंखलाए व तरक्की आदि के नियम सरकार ने बनाय हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हैं, तो क्या ? क्या डॉक्टर्स, इन्जीनियर्स तथा लेक्चरर्स की वेतनश्रृंखलाओं में अंतर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इन सबकी ड्यूटी को हार्ड ड्यूटी मानती है ?

श्री अध्यक्ष: वित्त मंत्री महोदय का यह प्रश्न और दूसरे प्रश्न अगले सप्ताह लिये जावेंगे ।

(प्रश्न संख्या ६५, ७१ व ८३ स्थगित)

मावली तहसील में खरताणा तालाब

६६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) [श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

१. क्या मावली तहसील में खरताणा तालाब को बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

२. यदि हां, तो यह तालाब कब बनना शुरू होगा, इस पर कितना खर्च होगा, कितनी सिंचाई होगी व कब तक इसका

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
कार्य पूरा होगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई):

(१) जी हां, इस तालाब को ऊंचा करने की योजना विचाराधीन है।

(२) फन्ड की कमी के कारण इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अभी तक इसकी योजनानुसार क्या कार्य हुआ है ?

श्री भीखाभाई : मैंने बताया कि इसको ऊंचा करने की योजना है जो विचाराधीन है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जावेगी ?

श्री भीखाभाई : पहले इसका सर्वे होगा। अब तक तो यह जागीरदार के पास था इसलिए अब इस पर विचार चल रहा है और इसमें देर लग सकती है।

एक माननीय सदस्य : फन्ड की व्यवस्था कब होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

जालोर व बाड़मेर जिलों में जल-वितरण योजना

६७. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने जालोर व बाड़मेर जिलों में बड़े बड़े ग्रामों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जल-वितरण की कोई योजनायें बनाई हैं ?

(२) यदि हां, तो किन किन गांवों के लिये तथा प्रत्येक पर कितनी कितनी अनुमानित धनराशि खर्च होगी ? कृपया संबंधित सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उपरोक्त योजनायें कब से कार्यान्वित कर दी जायेंगी तथा कब तक सम्पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ये योजनायें १९६०-६१ में शुरू कर दी गई हैं। पचपदरा वाटर सप्लाई पूरी हो चुकी है और बाकी १९६३-६४ तक पूरी की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): सांचोर की स्कीम के विशेष सारे काम करने थे, एक साल अधिक लगने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : सांचोर की स्कीम का अलग प्रश्न है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दोनों जिलों की जानकारी मांगी है।

श्री दौलतराम सारण : रूरल वाटर सप्लाई स्कीम की मांगी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि जालोर और बाड़मेर जिलों में कौन कौन सी स्कीम है।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि उपरोक्त योजनायें

Page No.3

(श्री दौलतराम सारण)

कब कार्यान्वित की जावेंगी। मैंने उत्तर में बताया कि ये योजनायें ६०-६१ में शुरु कर दी गई थीं। पचपदरा वाटर सप्लाई पूरी हो चुकी है और बाकी १९६३-६४ तक पूरी की जा सकेंगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: पिछले साल यह आश्वासन दिया गया था कि ये योजनायें जून तक हो जावेंगी, तो एक साल अधिक लगने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): कई दफा मेटीरियल अवेलेबल नहीं होता है और दूसरी बाधायें भी होती हैं, उनके कारण देरी होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: मेटीरियल तो पहुंच चुका था।

श्री बरकतुल्लाखां: जब तक नहर न बन जाय और काम पूरा न हो जाय तब तक बाधायें तो आती हैं और उस कारण देर लगना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मुझे दोनों प्रश्नों के उत्तर की प्रतिलिपियां तो मिल गई हैं।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेन्टरी का उत्तर न होने से आज नहीं लिये जावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास: उनको यह कैसे पता लग गया कि सप्लीमेन्टरी के उत्तर नहीं होंगे जो कि मैं पूछने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दे दी गई है। अगले सप्ताह ले लिये जावेंगे।

(विराम)

नेक्स्ट

कोऑपरेटिव बैंक, बीकानेर द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग

६८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) कोआॅपरेटिव बैंक, बीकानेर द्वारा कितना कितना रुपया, किस किस को, कब, किस कार्य के लिये कर्ज दिया हुआ है ?

(२) क्या जिस कार्य के लिये रुपया दिया गया है उसमें लगाया गया है ? यदि उसकी जांच कोआॅपरेटिव विभाग में की गई हो तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह):
(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास: सूची जो सदन की मेज पर रखी गई है, मैंने जांच के बारे में कहा है कि यह जो पैसा दिया गया है बैंकों के जरिये, तो जो पैसा जिस काम के लिये दिया गया है वह उस काम में इस्तेमाल हुआ है या नहीं ? मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री भीमसिंह: उनके दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट अधिकारियों के नोटिस में नहीं आयी; तो जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न इसलिये था कि जिस काम के लिये यह पैसा दिया गया वह उस काम में लगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं। १००-१५० की लिस्ट होती है। सामान्यतया यह माना ही जाना चाहिये कि जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है वह उसी काम में लिया गया होगा, जिन समितियों को यह रुपया दिया गया है उन्होंने उन कामों में लिया होगा; फिर भी आपकी जानकारी में यह हो कि उपयोग ठीक प्रकार से नहीं किया है तो जानकारी की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस काम के लिए दिया गया है, ६० प्रतिशत ऐसे केसेज हैं जिनमें वह पैसा उपयोग में नहीं लाया गया।

श्री अध्यक्ष : ६० परसेन्ट के बजाय आप दस-पांच ही बता दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर सबकी जांच करानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: सबकी आवश्यकता होगी तो जांच होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): बैंक ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उस काम में नहीं लाया जाता है।

श्री भीमसिंह : बैंक डाइरेक्ट नहीं देता है, समिति को देता है व समिति सदस्यों को देती है। जब बैंक का प्रश्न आता है तो वह समितियों से ही कनेक्टेड है, डाइरेक्ट सदस्यों से नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या समितियां युटिलाइजेशन रिपोर्ट्स बैंक के पास सब्मिट करती हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में प्रोसीजर क्या है ? बैंक के पास मशीनरी या नियम हैं क्या, जिनसे पता लग सके कि युटिलाइजेशन फन्ड्स का ठीक हुआ है ?

श्री भीमसिंह: बैंक चाहे तो समिति से मालूम कर सकता है। इन्स्पेक्टर्स रहते हैं उनके पास कम्प्लेन्ट की जा सकती है। वे जांच कर सकते हैं और ऑडिटर्स भी जांच कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमेटी बैठाई थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि इस प्रकार से ७५ परसेन्ट समितियां बोगस होती हैं और आम तौर पर ट्रेजरार्स वगैरह ले लेते हैं और उसको सूद पर चलाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि बैंक की तरफ से युटिलाइजेशन रिपोर्ट मांगे या जांच कराये। इप्सो फेक्टो (ipso facto) ऐसा होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : पैसा जो दिया गया है वह वापिस नहीं मिलता है तो दूसरों को पैसा नहीं मिल सकता। वे पैसे का हिसाब देते नहीं और इस तरह से पैसा वापिस उनका आता नहीं। नहीं आता है तब दूसरों को नहीं मिल सकता, लोन नहीं मिल सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह असुविधा कब दूर होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): वापिस आने का सवाल नहीं। वापिस रुपया वसूल किया जाय, इसलिये काफी तेजी के साथ कायवाही की जा रही है। इसके लिये

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
इन्सपेक्टर वगैरह का स्टाफ है उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिये कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तिजारा चुनाव क्षेत्र के बांध

६९. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तीसरे योजना-काल में तिजारा चुनाव क्षेत्र में कितने नये बांध बनाने की और कितने बांधों की मरम्मत तथा कितनों को ऊंचा उठाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि इस क्षेत्र में गत साल से मंजूरशुदा बांधों का भी कार्य शुरू नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

(३) इन मन्जूरशुदा कार्यों को कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) :
(१) नये निर्माण-कार्य या ऊंचे करने के काम कोई नहीं हुए हैं ? मरम्मत जहां जहां आवश्यक समझी गई वहां की जा रही है ।

(२) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न के भाग (१) में निश्चित स्थान के बारे में जानकारी चाही गई थी । आपका जवाब यह है कि जहां जहां जरूरत समझी गई वहां कर दी गई, जब कि निश्चित स्थान के बारे में निश्चित जानकारी चाही गई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा, जहां आवश्यकता मरम्मत की है वहां की जा रही है ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कहां कहां की जा रही है, यही तो पूछा गया है ।

श्री दिनेशराय डांगी : डिटेल्स के बारे में आप फिर पूछ सकते हैं ।

श्री हरिराम चौहान : कान्क्रीट रूप से बताइये, कहां कहां की गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार जहां आवश्यक होता है वहां मरम्मत करती है, अनावश्यक नहीं करती है । आखिर यह बताया जाय कि कहां कहां की गई है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुछ प्रश्नों का जवाब आप घर पर देना चाहते हैं क्या ?

श्री हरिराम चौहान : मन्जूर शुदा काम कौन कौन से हैं ? किसका सर्वे किया जा रहा है ? कौन सी स्कीम मन्जूरशुदा है, यह तो आपने बताया नहीं । यह तीन साल से पूछा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

काश्तकारों के कब्जे की भूमि

७०. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह विचार किया है कि काश्तकारों की सुविधा के लिये उनके कब्जे की भूमि जिन पर

Page No.6

(श्री दिग्विजयसिंह)
उनके बाड़े इत्यादि बने हुए हैं उनसे भूमि की दर का बीस गुना लेकर खाते लगा दिये जावें ?

(२) क्या इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? यदि निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक लिया जा सकेगा ?

(३) क्या सरकार इस संबंध में कोई आदेश तहसीलों में भेज चुकी है कि ऐसे काश्तकारों को परेशान न किया जावे ।

(४) क्या सरकार को मालूम है कि तहसीलों में इस संबंध में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत काश्तकारों को तंग किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब इस संबंध में आवश्यक आदेश कब तक भेज दिये जावेंगे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) इस संबंध में पहले से ही नियम बने हुए हैं और हाल ही में दिनांक ५ जनवरी, सन् १९६३ को एक परिपत्र पुनः कलेक्टरों के नाम भेजा गया है जिसमें इस प्रकार के मामलों को तय करने के तरीकों का स्पष्टीकरण किया गया है । परिपत्र संख्या एफ. ६ (४२) राजस्व (ख) ५८ दिनांक ५ जनवरी, सन् १९६३ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है । ऐसे मामलों में भूमि की दर का २० गुना लेने का प्रावधान नहीं है ।

(२) इसका उत्तर खंड (१) पर दे दिया गया है ।

(३) इसका उत्तर खंड (१) पर दे दिया गया है ।

(४) इसका उत्तर खंड (१) पर दे दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जहां हजारों किसान-काश्तकार परेशान हो रहे हैं इस विषय में सरकार क्या नीति बनाना चाहती है इस समस्या का सामना करने के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार द्वारा सर्कुलर प्रसारित किया गया है कि जो लोग अपनी काश्त की जमीन पर ड्वेलिंग हाउस या सीड सेन्टर बना लेते हैं कानून के अनुसार १।५० हिस्से पर बिना इजाजत म्युनिसिपल सीमाओं को छोड़कर बनाने का अधिकार है । कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि जो इस प्रकार के केसेज अन्डर सेक्शन ९१ के तहत चल रहे हैं उनका निर्णय इस रोशनी में करें; इस तरह से सैकड़ों और तय हो गये हैं । ९१ के केसेज ६६ में कवर होने वाले केसेज में किसी प्रकार की तकलीफ़ किसानों को नहीं दी जा रही है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या इन आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि आज्ञा का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके यहां से आज्ञायें तो हो जाती हैं लेकिन उन आज्ञाओं का पालन नीचे के लेवल पर नहीं होता । आपसे बिलाडा तहसील का डेपुटेशन भी मिलेगा । कलेक्टर के स्पष्ट आर्डर्स हैं, लेकिन तहसीलदार ९१ की कार्य-

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)
वाही नहीं कर रहे हैं। आपके यहां से आज्ञायें निकल जाती है। यहां से कोई ढिलाई नहीं हो रही है लेकिन वहां उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में शीघ्र स्टे आॅर्डर जारी कर दें। धारा ९१ के तहत कार्यवाही नहीं हो रही है, इसके बारे में आज डेपुटेशन भी आपसे मिलने वाला है जिससे मालूम होगा कि किस प्रकार कलेक्टर के स्पष्ट आॅर्डर्स के बावजूद भी तहसील लेवल के सरकारी अधिकारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं और उसका परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिये सरकार इस बारे में शीघ्र कदम उठायेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ९१ के तहत जो केसेज हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण किया गया है जो सेक्शन ६६ टीनेन्सी एक्ट के तहत जिनको १।५० हिस्से में इम्प्रूवमेन्ट का सवाल है उसके बारे में यह सवाल था। ९१ के विषय में आप कह रहे हैं वह इससे ताल्लुक नहीं रखता, यह एग्रीकल्चर लैंड के एग्रीकल्चर पर्पज के लिये भूमि में इजाजत के लिये है। बिलाड़ा तहसील के बारे में आपने कहा था, उसके बारे में उपाय किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप डेपुटेशन से भी मिल लीजियेगा।

नेक्स्ट

भेड़ व बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर कर

७१. हरिराम चौहान (तिजारा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भेड़ और बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर पहले कोई टैक्स नहीं था ?

(२) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के सैशन में पशु-कर वापिस ले लिया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि अब एक रुपया प्रति भेड़ और बकरी राजस्थान से बाहर जाने पर लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार इस टैक्स को वापिस लेने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का उत्तर अगले सप्ताह मिलेगा।

जूनियर स्पेशलिस्ट के रिक्त पद

७२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) राजस्थान में जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट्स कहां कहां पर कितने अर्से से खाली हैं ?

(ख) क्या इन पोस्ट्स पर नियुक्त करने के लिये उपयुक्त योग्यतायें प्राप्त चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हैं, तो फिर रिक्त स्थानों पर उनकी नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गई ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (क) राजस्थान में जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट्स जहां जहां पर जितने अर्से से खाली हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जन के अलावा इन स्थानों के लिये उपयुक्त डाक्टर उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि कुछ जगहों पर जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जन के भी स्थान खाली हुए हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: केवल एक जगह पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह कहां पर खाली है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: भरतपुर में।

श्री रामानंद अग्रवाल: अलवर में कोई पोस्ट है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास: जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट्स खाली हैं इसके लिये, क्वालिफिकेशन होते हुए भी नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: सूची जो आपको दी हुई है उसमें पहले स्थान पर छुट्टी से आते ही भेज दिया जायगा। बाकी आठ नम्बर तक नियुक्ति कर दी गई है और ९ और १० के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को नियुक्ति के लिये कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास: पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी मन्जूरी दे दी है, उसके बावजूद भी गवर्नमेन्ट अपोइन्ट नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर इस बात को कहा है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: रिपोर्ट आप बता दीजिये, मैं देख लूंगी।

श्री रामानंद अग्रवाल: क्या यह सही नहीं है कि अलवर अलेग्ज़ेन्डर हास्पिटल में दो जूनियर सर्जनों की जगह काफी अर्से से खाली पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न अलवर का नहीं है। राजस्थान के लिये है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अलवर भी तो राजस्थान के अन्दर ही है। नहीं है तो अलवर को राजस्थान से अलग कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: जी हां, इस प्रश्न के लिये अलवर बाहर है।

नेकस्ट

भरतपुर जिले के बेरोजगार

७३. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् ६१-६२ में भरतपुर जिले में रोजगार दिलाने हेतु एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में कितने पढ़े-लिखे तथा कितने बिना पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रजिस्टर किया गया है ?

(२) रजिस्टर्ड बेरोजगारों में महिलाओं की संख्या क्या है ?

(३) कितने रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) सन् ६१-६२ में भरतपुर जिले में रोजगार दिलाने हेतु ५१४३ बेरोजगारों को रजिस्टर्ड किया गया। इनमें से २,४०२ पढ़े-लिखे (मैट्रिक तथा ऊंची कक्षा पास थे) तथा २,७४१ बिना पढ़े-लिखे और मैट्रिक से कम थे।

(२) इस अवधि में रजिस्टर्ड होने वाले बेरोजगारों में महिलाओं की संख्या २८८ थी।

(३) ५८२ रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार दिया गया।

Page No.9

श्री रामकिशन : इनमें महिलाओं को कितनों को दिया गया ?

श्री भीखाभाई : २८८ में से जो मैट्रिक से ऊपर थीं उनको १६ को दिलाया गया।

श्री रामकिशन : काफी पोस्टें होती हैं और इसके बावजूद १६ को ही आप दिला पाये, क्या यह उचित है ? यह नीति का प्रश्न है। इस बारे में मैं सदन की महिला प्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा कि वे इस बारे में सरकार से सफाई मांगें। महिलाओं को जहां अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये वहां उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री भीखाभाई : प्रश्न को विवाद के रूप में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि अधिकतर महिलाओं के बारे में हमारा यह अनुभव है कि वे जो स्थान पसन्द करती हैं वहां रहती हैं या जो उनकी पसन्द के होते हैं। दूसरी जगह वे जाना नहीं चाहतीं। जब कभी बाहर जाने का प्रश्न उठता है तो या तो वे आनाकानी करती हैं या फिर इस्तीफा तक दे देती हैं अगर उनका ट्रान्सफर स्थगित या रद्द नहीं किया जाता है तो। यह अनुभव है हमारा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सरकार की पॉलिसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर चलती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या जालोर में सबने रेजिग्नेशन दे दिया ?

श्री रामकिशन : भरतपुर में कितनों ने दिये ?

श्री भीखाभाई : यह मुझे मालूम नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाहर आप कहां भेजना चाहते हैं ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान में ही।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिस असुविधा से महिलाओं को बाहर जाने में कठिनाई आती है या वे जाना नहीं चाहतीं, तो सरकार उन असुविधाओं को हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहती ?

श्री भीखाभाई : यह धीरे धीरे होगा।

नगरपालिका कर्मचारियों की सेवाओं का स्थानान्तरण

७४. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या एक नगरपालिका से अन्य नगरपालिका या राजकीय सेवा में नगरपालिका कर्मचारियों के स्थानान्तरण हो सकते हैं ?

(२) क्या राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ की धारा २०९ में ऐसा प्रावधान था और वर्तमान एक्ट में नहीं है ?

(३) क्या राजस्थान टाउन म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, १९५१ की धारा २०९ जैसा ही प्रावधान वर्तमान एक्ट में किये जाने का सरकार का विचार है ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जो कर्मचारी राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस रूल्स के तहत आते हैं

Page No.10

(श्री दौलतराम सारण)
सिर्फ उन्हीं का तबादला हो सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी में किसी का तबादला नहीं हो सकता।

(२) जी हां।

(३) इस पर सबोर्डिनेट कर्मचारियों के सेवा नियम बनाते समय ख्याल रक्खा जावेगा।

(४) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये सेवा नियम कब तक बन जावेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : शीघ्र ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'शीघ्र' से क्या मतलब ? दो-चार साल ?

श्री रामकिशन (वैर) : चौथी, पांचवी या छठी कौनसी योजना तक हो जायगा। "शीघ्र" की व्यवस्था जरूर आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : 'अतिशीघ्र' कहियेगा, शब्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रि मंडल ने एमर्जेन्सी की हालत को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिये हैं जिनमें एक यह भी है कि 'जल्दी ही', 'शीघ्र ही' ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं किया जाया करेगा; डेफीनिट बात कही जावे, निश्चित् अवधि बताई जावे, तो क्या यह उत्तर उस फैसले के अनुसार है ?

श्री रामकिशन : अगर यह उत्तर उसके अनुरूप नहीं है तो क्या एमर्जेन्सी के अनुसार इस उत्तर के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, साफ नहीं हुआ अभी।

अलाटी दुकानदारों को दुकानों का बेचान, अलवर

७५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में तिलक मार्केट की दूकानों का अलॉटी दूकानदारों को बेचने का प्रस्ताव अलवर कलेक्टर का सरकार के पास आया हुआ है ?

(२) यदि हां, तो ये प्रस्ताव (प्रपोजल्स) सरकार के पास कब आये थे और अब तक इन पर फैसला क्यों नहीं हुआ है ?

(३) क्या सरकार का इरादा इन प्रोपोजल्स को मन्जूर करने का है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, पुर्नवास, (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) प्रस्ताव पहली बार जिलाधीश अलवर ने अपने पत्र दिनांक २१-८-५७ द्वारा भेजे थे और सरकार ने १६-४-५६ को स्वीकृति दे दी थी किन्तु बार बार तिलक मार्केट समिति द्वारा आपत्ति उठाने के कारण अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।

(३) जी हां, शीघ्र ही निर्णय हो जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस समय तिलक मार्केट कमेटी को क्या क्या आपत्तियां हैं जिनके कारण निर्णय नहीं हो पाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : समय समय पर कई आपत्तियां उठाई हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: वे कौन कौन सी हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मुख्य ये हैं कि सारे कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी स्कीम में शाप नम्बर ७४ ए. ६ बी पैसेज था और पैसेज उन्होंने बनाया था। पी. डब्ल्यू. डी. ने उसे नहीं माना। कमेटी ने एतराज किया और कहा कि इसकी कीमत एक्सक्लूड की जावे, अलोटीज से वसूल नहीं किया जावे। कलेक्टर ने भी केस पर अपनी राय सरकार को भेजी और अब सरकार अपना निर्णय लेटेस्ट बाइ ए वीक कलेक्टर के पास भेज देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही नहीं है कि जो दो दूकानें पैसेज के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं उसके लिये उस जमाने में गवर्नमेन्ट की रिहेबिलिटेशन कमेटी ने फैसला करके आश्वासन दिया था कि वहां बस जाओ, यह रास्ता वे छोड़ देंगे और उस बिना पर वह रास्ता छोड़ा गया है ?

श्री परसराम मदेरणा: तिलक मार्केट समिति की दो पार्टियां हैं। एक कहती है यह पैसेज रहना चाहिये। दूसरी कहती है नहीं रहना चाहिये। हमने अपने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से मालूम कराया तो हमें मालूम हुआ कि ऐसा फैसला उनके कहने से हुआ है। दुबारा कलेक्टर को एप्रोच किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट यही दी कि दूकानें ८२ नहीं मानकर ८४ मानी जावें। फिर रिप्रेज़ेन्टेशन्स उन्होंने सरकार को दिये। दुबारा हमने मामला कलेक्टर को रेफर किया, दुबारा कलेक्टर ने भी अपनी पहली राय को प्रिवेल करते हुए जो सिफारिश की है वह हमारे कन्सीडरेशन में है। उस पर अब शीघ्र निर्णय कर दिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने प्रश्न किया था कि जो निर्णय पेश किया था ४८ में और उसकी प्रतिलिपि आपके पास उन्होंने पेश की थी। अब पार्टी कितनी बनी हो, यह सवाल नहीं है। दस वर्ष पहले निर्णय हुआ था, उसके मुताबिक क्लेम करते हैं और जब आपकी एक रिहैबिलिटेशन कमेटी निर्णय करती है तो फिर कीमत आप क्यों मांगते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: यह तो सब रिहैबिलिटेशन कमेटी के निर्णय को देखते हुए कलेक्टर ने सिफारिश की है और उसी पर निर्णय सरकार ले रही है।

स्वागत समारोह में व्यय

७६. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्रीमती कैनेडी के राजस्थान आगमन पर स्वागत समारोह में राज्य सरकार का कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और किन किन मदों में कितना कितना ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): श्रीमती कैनेडी के राजस्थान आगमन पर राज्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
सरकार का कुल ४४,५४०) ४८ न. पै. खर्च हुए जिसका व्योरा निम्न प्रकार है :--

यातायात	..	८८७६)७५ न. पै.
जलपान	..	७२८)६५ न. पै.
मिश्रित व्यय	..	३४,९३१)७८ न. पै.
	कुल जोड़	४४,५४०)४८ न. पै.

श्री रामकिशन : इस 'मिश्रित व्यय' में क्या क्या शामिल है, यह आपने खुलासा नहीं किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, बहुत विस्तार में एक एक चीज के लिये जाना उचित नहीं होगा जब कि इस प्रकार की डिग्नेटरीज का प्रश्न हो। मैं समझता हूं कि सदन में इस प्रकार की परम्परा न हो तो उचित होगा।

श्री रामकिशन : खर्च के बारे में विवाद नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि अलग अलग उसका व्योरा क्या है, किस किस आइटम पर खर्च हुआ ? जैसा बताया गया जलपान पर, यातायात पर, तो इसी प्रकार यह मिश्रित व्यय किस पर हुआ; जैसे फोटोग्राफी पर कितना खर्च हुआ या और किस आइटम पर कितना खर्च हुआ जिसमें कि कमी की जा सकती थी, हमारे राजस्थान की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह निवेदन किया कि इस प्रकार की डिग्नेटरीज के विषय में हम इस तरह की परम्परा न डालें। इस तरह के खर्चे में कमी कर सकते थे यह कहना भी उचित नहीं होगा। कुल खर्चा कितना हुआ यह मैंने बताया और जो आवश्यक होता है वही खर्च किया जाता है। ४४ हजार उदयपुर और जयपुर की दो जगहों के मिलाकर हैं जो ज्यादा नहीं कहा जा सकता।

श्री रामकिशन : उनका प्रवासकाल कितना था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उचित तो यह होता कि जिस प्रकार आठ हजार और सात हजार की विगत दी, उसी तरह से इस ३४ हजार की भी विगत दे दी जाती। आपने आठ हजार की विगत दी, सात सौ की भी दी, पर ३४ हजार की नहीं, ऐसा क्यों और किस कारण से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २२ हजार से ऊपर निर्माण विभाग के द्वारा खर्चा हुआ है।

श्री रामकिशन : जब श्रीमती केनेडी आई तो एक प्राइवेट सिटीजन को एन्टर्टेन करने के लिये इतने खर्च में बचत की जा सकती थी और इसीलिए यह पूछा गया था कि कितना रुपया किन किन मदों में खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा, नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, यह नीति से ताल्लुक रखता है।

श्री रामकिशन : राजस्थान सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं थी और तब भी एक व्यक्ति के आगमन पर इस तरह से इतनी रकम खर्च कर दी गई, इसलिये इसकी जरूरत थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.13

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, कोई और विज़िटर आवेगा तो यह सरकार और खर्च कर देगी।

नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन-स्तर

७७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन-स्तर कब से मंज़ूर हैं ?

(२) राजकीय कर्मचारियों के दो दफा वेतन-स्तर रिवाइज हो चुके हैं तो नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन-स्तर में अब तक कोई परिवर्तन क्यों नहीं किये गये हैं ?

(३) क्या नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन-स्तर रिवाइज़ करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(४) अगर हां, तो कब तक कार्य रूप में परिणत कर दी जावेगी।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण): (१) तारीख १-६-५५ से।

(२) इस सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

(३) जी हां।

(४) जल्दी ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो वही 'जल्दी' शब्द फिर आ गया। इस 'शीघ्र ही' की व्यवस्था कर दी जावे ताकि सन्तोष किया जा सके।

मुआवजे का भुगतान

७८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि श्री किशन-लाल, पुत्र श्री कालूराम कोली निवासी ग्राम रूपवास, अलवर पेन्ट फैक्ट्री में काम करते हुए ४-११-१९५८ को पानी के होज में डूबकर मर गया ?

(२) क्या कारखाना मालिक ने उक्त फैटल एक्सीडेन्ट की रिपोर्ट श्रम विभाग को की ? अगर हां, तो कौनसी तारीख को तथा उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि रिपोर्ट नहीं की गई, तो विभाग ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या श्रम विभाग द्वारा उक्त मजदूर के वारिसों को मुआवजा दिलाने के लिए कोई कदम उठाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री मालिक द्वारा मजदूर का बीमा कराया हुआ था और बीमा कम्पनी ने उक्त मजदूर का १८००) रु० मुआवजा देना स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन फैक्ट्री मालिक की हठबाजी के कारण उक्त मजदूर के वारिस को यह रुपया नहीं चुकाया गया है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त मृत मजदूर के पिता ने श्रम विभाग को यह बताया है कि फैक्ट्री मालिक बीमा कम्पनी द्वारा मन्जूर १८००) रुपयों की रसीद लेना चाहता है और उसे वास्तव में थोड़े रुपये देकर फैसला करना चाहता है ?

(६) क्या सरकार उक्त मजदूर के पिता को उसके लड़के का मुआवजा दिलाने के लिए कोई कदम उठायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई): (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, रिपोर्ट ता: ५-११-५८ को प्राप्त हुई थी। इस एक्सीडेन्ट में मालिक की असावधानी नहीं पाई गई। अतः उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(४) जी हां, यह रकम वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन कमिश्नर के पास जमा हो गई थी।

(५) श्रम विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(६) इस केस में वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने मृतक के पिता के पक्ष में निर्णय दे दिया है और रकम चुका दी गयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह रकम कब चुकाई गई ?

श्री भीखाभाई: २८ फरवरी को।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सन् ?

श्री भीखाभाई: सन् ६३.

श्री रामानन्द अग्रवाल: ये इतने वर्ष, सन् ४७ से ६३ तक कैसे लग गये ?

श्री भीखाभाई: इसलिए कि वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन का जो एक्ट है उसके अनुसार जो उसका क्लेमेन्ट है उसको अपने यहां क्लेम पेश करना चाहिए। तो लेबर कमिश्नर जो कि कम्पेन्सेशन कमिश्नर भी है उसने बार बार लिखा कि वह क्लेम पेश करे और क्लेम जो होता है वह उसी सिविल सूट के माफिक होता है। उसने मांग नहीं की और बाद में जब कि बीमा कम्पनी में उनका नाम रजिस्टर्ड था, यह बात मालूम हुई तो रुपया जमा कराया गया। बाद में क्लेम कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने यह निर्णय लिया और उसके बाद में वह रुपया जमा हुआ है और वह १८-१०-६२ को हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही नहीं है कि नोटिस में यह आया कि रुपया बीमा कम्पनी में जमा करा दिया, लेकिन मिल मालिक मरे हुए आदमी के १८०० रुपये में से भी मुनाफा कमाना चाहता था और उसको ५०० रुपया देकर १३०० रुपया खुद खाना चाहता था और इसके ऊपर श्रम विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री भीखाभाई: यह कतई गलत है साहब, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक नहीं है और मेरे पास इन्फोर्मेशन है वह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: १८-११-५८ को ही क्लेम कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने लिख दिया था। पर ऐसा मालूम होता है कि क्लेमेन्ट पढ़ा हुआ नहीं था जिसके कारण से वह आगे क्लेम पेश नहीं कर सका, इसलिए देरी हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या सरकार इस संबंध में जांच कराने की कोशिश करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: श्री जयनारायण व्यास/सालोदिया।

नगरपालिका निवाई का चुनाव

७९. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) मौजूदा नगरपालिका निवाई का चनाव कौनसी तारीख को हुआ था ?

(२) उक्त बोर्ड की कार्य करने की अवधि कौनसी तारीख को समाप्त हो गई थी ?

(३) नगरपालिका का चुनाव न कराकर उसकी दो बार कार्य करने की अवधि बढ़ाई गई, उसका क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि मौजूदा चेयरमेन को, बोर्ड के कुल सदस्यों का बहुमत नहीं चाहता है और उनके विरुद्ध दो बार अविश्वास प्रस्ताव बहुमत सदस्यों द्वारा रखे जा चुके है ?

(५) अब सरकार कब तक इस बोर्ड का चुनाव कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) १२ जुलाई, १९५९ को।

(२) २४ सितम्बर, १९६२ को ।

(३) संकट-कालीन स्थिति घोषित होने के कारण चुनाव कराना मुमकिन नहीं था।

(४) जी नहीं । अविश्वास प्रस्ताव दोनों बार ही बहुमत से पास नहीं हुआ ।

(५) संकट-कालीन स्थिति के खत्म हो जाने पर ही चुनाव कराया जा सकेगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया: जब संकट-कालीन स्थिति में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए गवर्नमेन्ट ने घोषणा कर दी है तो फिर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव कराने में क्या दिक्कत है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): इसके संबंध में मुख्य मंत्री जी अपना बयान गवर्नर के अभिभाषण का जवाब देते हुए देंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह संकट-कालीन स्थिति कब तक रहेगी, इसका कोई अन्दाजा नहीं है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या मंत्री महोदय ने अपना इरादा बदल दिया है कि संकट-कालीन स्थिति में भी चुनाव होंगे ? अब चूंकि पालियामेन्ट और असेम्बली के चुनावों के बारे में निर्णय हो चुका है तो उस आधार पर आपने अपना निर्णय बदल दिया है या नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां : इसी संबंध में आज मुख्य मंत्री जी जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे उस समय इसके बारे में जवाब देंगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): यह प्रिविलेज है मेम्बर्स का कि सवाल करें और वे सवाल का जवाब दें । जवाब चीफ मिनिस्टर साहब किसमें देंगे, यह रिलेवेन्ट है इसके जवाब में ? आप तो "हां" या "ना" में जवाब दीजिए ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): यह जो एमर्जेन्सी है यह अलवर में क्यों नहीं लागू हुई ? वहां पर कोऑपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर के चुनाव हो गए और बाकी सब जगह के चुनाव स्थगित हैं, इसका मंत्री महोदय जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब भी देंगे ।

बीकानेर स्टेट के समय में कापड़ियों को भूमि का अलॉटमेंन्ट

८०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) चक ४१ पी. एस., तहसील रायसिंहनगर के कापड़ियों को बीकानेर रियासत के जमाने में किस वर्ष सरकारी भूमि आरजी अलॉट हुई थी ?

(२) इन लोगों से आरजी काश्त भूमि की रकम किस रेट से चार्ज होती रही हैं ?

(३) क्या इन पिछड़ी हुई जन-जाति के कापड़ियों से रियायती रेट पर आरजी काश्त की रकम वसूल की जाती रही हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या कापड़ियों पर इस वर्ष आरजी काश्त की रकम के मतालबे आम रेट के अनसार कायम करके पुरानी दी गई रियायत खत्म की जा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) सम्वत् १९९४ में सरकारी भूमि आरजी अलॉट हुई थी ।

(२) आठ आना फी वीघा से । सन् १९६१-६२ से यह रकम ४)रु० प्रति बीघा के हिसाब से ली जा रही है ।

(३) सन् १९६० से ६१ तक आठ आना फी वीघा के हिसाब से वसूली की जाती रही थी । सन् १९६१-६२ में यह रकम ४) रु० प्रति बीघा ली गई थी ।

(४) आरजी काश्त नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत कापड़ियों को रियायत दी जा सके ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: नहीं तो यह ८ आना बीघा की रकम ली जाती थी वह ४ रुपया क्यों की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ६० के इन रूल्स की धारा ६ में यह अमेन्डमेन्ट हुआ है कि जो जमीन सिंचित है उससे ४) रुपया फी बीघा और जो असिंचित भूमि है उससे १) रुपया लगान वसूल किया जाये और उस अमेंडमेन्ट की तामील में यह १) रुपया असिंचित का और ४) रुपया सिंचित का लिया जाना प्रारम्भ किया गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जब दूसरे किसानों से २) रुपया बीघा या १) रुपया बीघा लिया जाता था..

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दूसरे किसान और इनमें कोई भेद नहीं है । कल्टीवेटर्स को लगान देना पड़ता है चाहे वे किसी भी कौम के हों । सब के लिए दरें समान हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: बीकानेर स्टेट के समय वे जातियां जो कि जरायम पेशा थीं उनको स्टेट की तरफ से रियायती दरों पर धरती दी गई थी और यह बीकानेर का रेकॉर्ड मानता है कि उनको धरती मिलने के बाद किसी भी थाने में, गंगानगर में चोरी की रिपोर्ट नहीं आई और इस आधार पर वे बस गये । मेरा प्रश्न यह है कि जो रियायत रियासत ने दी थी वह आप छीन रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: परन्तु लैण्ड रेवेन्यू तो सबके लिए समान ही है और समान ही वसूल किया जाना चाहिए ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह लैण्ड रेवेन्यू थोड़े ही है ।

Page No.17

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह लगान है जो कि १) रुपया और ४) रुपया है, यह कोई टैक्स या सेस नहीं है। यह सिंचित भूमि का लैण्ड रेवेन्यू ४) रुपया और असिंचित भूमि का १) रुपया फी बीघा है।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि उनको बसाने के लिए यह रियायत दी गयी और वे बस गये हैं। तो मेरा सवाल यह उठता है, यह परसों ही सवाल आया था और उसमें मंत्री महोदय ने माना था कि उनको बेदखल कर दिया गया, वह जमीन छीन ली गयी है; तो आप उनको बस गये, कैसे मानते हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अगर बेदखल कर दिया गया तो फिर यह लगान ही कैसे वसूल किया जा रहा है? जिनसे लगान लिया जा रहा है वह ८ आने के बजाय १) रुपया असिंचित भूमि के लिए और ४) रुपया सिंचित भूमि के लिए है। यह इसलिए लिया जा रहा है कि सब लोगों से जो लगान की दरें हैं वे इसके ऊपर भी लागू की गयी हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): कुछ लोगों को तो जागीरदारी लेकर उखाड़ दिया और कुछ लोगों को लगान ज्यादा लगा कर उखाड़ा जा रहा है।

एक माननीय सदस्य: स्वप्न में भी जागीरदार ही रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला।

नाथद्वारा अस्पताल में एक्सरे मशीन की आवश्यकता

८१. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) राजस्थान सरकार के पास ऐसी कितनी एक्सरे मशीनें हैं जो काम में नहीं लाई जा रही हैं तथा वे कहां पड़ी हैं?

(२) क्या नाथद्वारा अस्पताल में इस मशीन की सख्त आवश्यकता है? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) राजस्थान सरकार के पास ३ एक्सरे मशीनें ऐसी हैं जो काम में नहीं लाई जा रही हैं, जो नीचे लिखे स्थानों में पड़ी हैं:--

१. पाली,

२. राजसमन्द व

३. सांभर।

(२) जी हां, इसके लिए उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला: यह 'उचित कदम' कब तक रहेंगे?

श्री अध्यक्ष: शीघ्र ही।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर।

श्री विजयसिंह झाला: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जानकारी दें। लेकिन "उचित" और "शीघ्र" का क्या मतलब है? मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि 'शीघ्र' और 'उचित' की परिभाषा जरूर हमारे सामने हो जानी चाहिए।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, फर्म्स से बातचीत चल रही है और कार्यवाही

Page No.18

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
पूरी होते ही जैसे ही मशीन रिपेयर हो जायेगी वे स्थान पर लगा दी जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : रिपेयर होने में देरी हो रही है या धन उपलब्ध करने में देरी हो रही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: कम्पनी ने समय पर दे दी । अलग अलग जगह के लिए अलग अलग समय है । राजसमन्द वाली मशीन को इन्जीनियर ठीक कर रहा है । इसी तरह से भिन्न भिन्न जगहों पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री विजयसिंह झाला: मैंने तो नाथद्वारा के लिए पूछा कि वहां कब तक पहुंच जायगी; आप तो राजसमन्द, पाली आदि को बता रही हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: आपने प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में कहां कहां पड़ी हैं ।

श्री विजयसिंह झाला: प्रश्न यह है है कि नाथद्वारा में कब तक लग जायेंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पाली की एक्सरे मशीन में ट्यूब ठीक होते ही वहां लगा दी जायगी ।

तहसील निवाई के किसानों को मुआवजा

८२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील निवाई में मांसी बांध में जिन किसानों की काश्त की जमीन व मकान डूब गये हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया ?

(२) उक्त बांध में जमीन काश्त व मकान-कुएं आदि जो डूब में आये हैं उनके लिये मुआवजे की कितनी धन-राशि मंजूर हुई थी और उसमें से कितनी बांटी जा चुकी है व कितनी बांटना बाकी है ? यह अब तक क्यों नहीं बांटी गई ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बांध में जिनकी काश्त की जमीन व मकान डूब में आये हैं उनमें से अधिकांश को न तो अब तक खेती की जमीन मिली है और न आबादी के लिये जमीन मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं ।

(२) जिन लोगों के घर, मन्दिर व कूए इत्यादि डूब में आये हैं उनके मुआवजे का तखमीना १,३१,६००) रु० का बनाया गया था जिनमें से १,२४,४१०) रु० फरवरी, ५६ में ही बांटा जा चुका है । ६०,४०६)रु० बांटना बाकी है ।

(३) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : बांध का कौन से साल में निर्माण हुआ ? मांसी बांध का काम कब से शुरू हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, बांध के निर्माण की बात नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया: मैं जानना चाहता हूं कि कब से आपने उसको पेंन्डिग रख रखा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : १२-३-६० को जो जमीनें डूब के अन्दर आई हैं और नहरों के लिये जिनकी आवश्यकता है उसके लिए लिखा था । हमने ६२ में लैण्ड एक्विज़ीशन

(श्री दिनेशराय डांगी)
ग्रॉफिसर की पोस्ट तोड़ दी है। इसके बाद में जिलाधीश टोंक को लिखा था तो उन्होंने बताया कि एस. डी. एम. से रिपोर्ट एकत्रित कर रहे हैं। उसके बाद में क्लेम्स तैयार कर लिये जायेंगे और उसके बाद मुग्रावजा दिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): ग्रापने पार्ट (३) में बताया कि जानकारी की जा रही है। तो जानकारी के लिए ही तो प्रश्न पूछा था। उसके बिना ग्रब क्या जानकारी देंगे?

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर): इसमें एवचुग्रली जमीन कब एक्वायर की गई है ग्रौर उसके लिये मुग्रावजे का पेमेन्ट कब किया गया है, उसमें कितना समय लगा, यह जानना चाहते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): बांध का काम लगभग ३ वर्ष पहले प्रारम्भ हुग्रा था। ग्रब भी एक केनाल का काम बाकी है। कुल मिला कर कम्पेन्सेशन १,३१,६००)रु० का करने का था, जिसमें से १,२४,०००)रु० का हो चुका है।

६०,४६०) रु० बाकी हैं। वह इसलिये है कि कलेक्टर को दे दिया गया है ग्रौर सिंचाई विभाग बराबर लिख रहा है कि मुग्रावजे का चुकारा करने के बाद इत्तिला दी जाय। ग्रभी माननीय उप-मंत्री जी ने बताया कि कुछ रुपया कलेक्टर के यहां बाकी है उनको लिख दिया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): कलेक्टर को लिख दिया गया है, यह सब जवाब ग्राला-टोली का है ग्रौर बड़ा ग्रसन्तोष-जनक है। प्रश्न है मुग्रावजा मिलने का कि कब मुग्रावजा मिलेगा?

श्री भीखाभाई: मुग्रावजा दे दिया गया है। कलेक्टर के पास चला गया है। १,३१,६००) रु० भेजे गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सवाल ग्रभी तक मुग्रावजा मिलने का है। यह सब ग्राला-टोली का जवाब है। हमें इस बात से क्या करना है कि कहा गया है ग्रौर कलेक्टर क्या कर रहा है। उन लोगों को मुग्रावजा मिला है या नहीं ग्रौर ग्रगर नहीं मिला है तो कब मिलेगा, यह जानना चाहते हैं।

श्री भीखाभाई: मैं यह निवेदन कर रहा था ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: ग्रगर देरी है तो कम करने की चेष्टा करें ग्रौर मुग्रावजा दिलायें।

श्री भीखाभाई: हम कम करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं।

(विराम)

मैंने ठीक से सुना नहीं, इसके लिये मैं माफी चाहता हूं। न तो हम मुग्रावजे में कमी करना चाहते हैं ग्रौर न हम यह चाहते हैं कि मुग्रावजा देर से मिले। १,३१,६००) रु० भेजा है, उसमें से १,२४,०००) रु० के लगभग दे दिया गया है। ६०,४६०) रु० ग्रौर हैं जो कलेक्टर के यहां जमा हैं। उसका बराबर रिमाइन्डर भेज रहे हैं ग्रौर कहा है कि जल्दी से जल्दी पेमेन्ट करके सूचना दो।

श्री जयनारायण सालोदिया : कलेक्टर के यहां कौन सी तारीख से जमा है ६०,०००) रु० ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेन्ट ने लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत ये रूल्स बना दिये हैं कि ६ महीने से अधिक किसी भी हालत में नहीं लगेंगे और ६ महीने के अन्दर मुआवजे का पेमेन्ट हो जायगा । अगर मंत्री महोदय जैसा कि वे यह कह रहे हैं कि वे वास्तव में उत्सुक हैं कि देरी नहीं लगे तो क्या यह आश्वासन देंगे कि इस प्रकार का लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में एमेन्डमेन्ट कर लेंगे या वे गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स भेज देंगे–नोटिफिकेशन कि ६ महीने से अधिक समय नहीं लगेगा । जो उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी उन्होंने १० दफा अभी तक रकम का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि जमीन एक्वायर किस तारीख को की गई और किस तारीख को मुआवजा मिला, इससे कितना इन्टरवीनिंग पीरियड है, इससे साफ जाहिर हो सकता है ।

श्री दिनेशराय डांगी : प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि लैन्ड एक्वीजीशन ऑफिसर की पोस्ट को तोड़ दिया गया है और एस० डी० एम० को यह काम दे दिया गया है और एस० डी० एम० के पास ऑलरेडी काम ज्यादा है ।

(चारों ओर से शोर-गुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : जिनके पास काम ज्यादा नहीं हो उन्हें यह काम सौंप दिया जाय ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझ सकता हूं । एस० डी० एम० के पास काम कम है या ज्यादा है, यह दलील देकर जो बात है उसको टालना नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि इसमें देरी लगी है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर 'जल्दी से जल्दी' हो गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

सेल्स टेक्स की अदायगी, भरतपुर

८३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या भरतपुर के लोहे के सरिये बनाने वाली किसी फर्म ने अपने उत्पादन की बिक्री पर कभी कोई सेल्स टेक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो किस फर्म ने कितना कितना और कब कब ?

(विराम)

कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कर मंत्री जी नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या ८४

श्री अध्यक्ष: श्री भानुप्रसाद ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट

सागी नदी (जिला जालोर) पर बांध

८५. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(१) क्या सागी नदी (जिला जालोर) पर बांध बंधाने की सरकार ने कोई योजना

(श्री भगराज चौधरी)
बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकेगी व कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

(२) क्या सरकार उक्त योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) अभी केवल सर्वे व जांच का कार्य चल रहा है, कोई योजना नहीं बनी है अतः सिंचाई व खर्चे का व्योरा अनिश्चित है ।

(२) हां, यदि उपयुक्त प्रतीत हुई तो ।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सर्वे का कार्य चालू हुए चार साल हो गए और फिर भी मालूम नहीं पड़ा है कि सर्वे का काम पूरा हो गया या नहीं । अगर स्कीम को चलाना है तो एमर्जेन्सी है और उसमें प्राथमिकता दी जाती है तो इस काम को जल्दी ही हाथ में लिया जाना चाहिये ।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा वह इनन्डेशन स्कीम तैयार हुई थी उसका इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट हुआ । इनन्डेशन स्कीम के बारे में जो आपने कहा तो डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स में, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में चर्चा हुई तो एतराज हुआ कि सोइल ठीक नहीं है । फिर उसके स्टोरेज के बारे में हुआ कि स्टोरेज हो सकता है कि नहीं, तो इसका इन्वेस्टीगेशन प्रारम्भ किया गया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इनन्डेशन स्कीम का सवाल ही पैदा नहीं होता । वह तो लूनी की स्कीम थी । इसमें लूनी का पानी नहीं आता है ।

श्री भीखाभाई : इसीलिए दूसरी स्कीम शुरू की गई है ।

एक माननीय सदस्य : देर से काम पूरा करने के लिए दूसरी स्कीम शुरू की गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

बस-यात्रियों पर टैक्स—टोंक

८९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या टोंक में नगरपालिका ने बस-यात्रियों के टोंक में आने तथा वहां से जाने पर टैक्स लगा रखा है ?

(२) क्या ऐसा टैक्स जायज है ? अगर हां, तो सम्बन्धित बाइलॉज की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) इस बारे में जांच की जा रही है ।

श्री अब्दुलजब्बार : टैक्स लगाने के बारे में जो सूचना 'जी हां' की मिली है वह जांच के बगैर ही मिली या जांच करने के बाद मिली है । सूची के लिये प्रश्न पूछा था वह सूची आपने नहीं दी, तो जांच हुई या नहीं ? दूसरा इसमें यह पूछा था कि टैक्स जायज है या नहीं । इसका उत्तर दिया गया है कि जांच की जा रही है, तो फिर यह जवाब कैसे दिया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : १४-१२-४७ से टोंक स्टेट ने एक आना प्रति पैसेन्जर के हिसाब से टैक्स लगाया था आने वालों पर और जाने वालों पर भी। यह टैक्स १-१-४८ से ड्यूरेशन में आया था, गवर्नमेन्ट ऑफ टोंक ने ऑर्डर्स दिये थे। उसके बाद में वहां की म्युनिसिपैलिटी ने रीडिंग रूम का इन्तजाम कर रखा है, प्याऊ का इन्तजाम कर रखा है। वह यह टैक्स इसके ऊपर खर्च करती है। जहां तक यह सवाल है कि यह लीगल है या नहीं, तो यह प्रश्न अब सामने आया है तो अभी इसको एग्जामिन किया जा रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : मगर टोंक में बस स्टेण्ड पर नहीं जाकर घंटाघर से या पक्के बांध से बैठें तो एक आना नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री अब्दुलजब्बार: अध्यक्ष महोदय, यह जो जजिया कर की तरह से तीर्थ स्थानों पर लगा रखा है इसको महरबानी करके खत्म करें।

गिरदावरी सम्बन्धी नियमों में सुधार

८७. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार साल खत्म होते ही गिरदावरी रजिस्टर तहसील में जमा कराना उपयुक्त समझती है ? अगर हां, तो ऐसे नियम कब तक बन जावेंगे ?

(२) क्या गलत गिरदावरियों को रोकने के लिए सरकार नियमों में सुधार लाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) जी नहीं।

(२) पटवारियों द्वारा गलत गिरदावरियों की रोक-थाम करने के लिये राज्य अधिकारियों को आवश्यक जांच करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करने की इस समय सरकार आवश्यकता नहीं समझती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: ये इन्सट्रक्शन्स क्या हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : समय समय पर इन्सट्रक्शन्स जिस प्रकार जारी किये गये हैं उनका पूर्णतः पालन फील्ड ऑफिसर करें। जिन्स गिरदावरी और खसरा दुरुस्ती के संबंध में जावें उससे पहले पंच, सरपंच को प्रोग्राम की सूचना पहले देकर, उनको साथ में लेकर दुरुस्ती करवाई जाये; सारी कार्यवाही की सूचना दें। साथ ही साथ ऊपर के अधिकारी हैं वे उनका इन्सपेक्शन और सुपरविजन करें। अच्छी तरह से देखभाल कर सकें. इसके लिये तीन-चार किश्तों में समय समय पर आदेश जारी किये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरा यह प्रश्न है कि चार साल तक पटवारियों के पास यह रेकॉर्ड रहता है तो एक बार किसी एक का नाम रहता है दूसरी बार उसमें काटा पीटी करते रहते हैं इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यह पटवारियों के पास न रखा जाकर तहसील में जमा करा दिया जाय तो काटा-पीटी रोकी जा सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस संबंध में सरकार की नीति यह नहीं है कि सारा का सारा रेकार्ड तहसील में जमा करा दिया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गड़बड़ियों को रोकने के लिये सुझाव नहीं माना जायगा क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जिस तरह की शिकायत की जा रही है उसको रोकने के लिये हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं कि जब भी किसी रेकार्ड में पहले जो एन्ट्री की हुई है उसके अलावा या विपरीत तब्दीली करनी है तो कोई भी पटवारी एन्ट्री को तब्दील उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि सूचना ग्राम पंचायत को नहीं दे दें और सारी लिस्ट ग्राम पंचायत को देनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत कोरम से दुरुस्ती करने या न करने का निर्णय नहीं दे दे तब तक नहीं कर सकते। पटवारी की राय और ग्राम पंचायत की राय में मतभेद होता है तो जब तक तहसीलदार इन्क्वायरी नहीं कर लेता है तब तक दुरुस्ती नहीं की जा सकती। इसलिये जब तक पंचायत कोरम को नहीं पूछा जायगा, उसको लिस्ट नहीं दी जायगी तब तक पटवारी कोई इन्द्राज या दुरुस्ती नहीं कर सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यदि ऐसा कर देते हैं तो इसको रोकने के लिये आप व्यवस्था क्या करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक तो इसकी इत्तला ही सबके पास नहीं पहुंची होगी। पहले इसका परिणाम देखना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के इन्सट्रक्शन्स जारी करने के बावजूद कि खसरा गिरदावरी की नकल किसानों को दी जाय ताकि गलती नहीं हो सके, उस पर भी अमल नहीं हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि हाल ही में यह व्यवस्था की है, इसकी सूचना भी अभी पूरी नहीं पहुंच पाई है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह की व्यवस्था गिरदावरी की नकल देने के पहले से थी। जो अब कर रहे है वह भी व्यवस्था नहीं है, रीस्टेट किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायतों को सूचना देने और उनके द्वारा राय व्यक्त करने की व्यवस्था पहले नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि आपके नोटिस में यह लाया जाय कि किसी गांव में खसरा गिरदावरी की नकल किसी पटवारी ने बिल्कुल तक्सीम नहीं की है तो क्या इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी . . . .

श्री अध्यक्ष: पहले जबाब तो सुन लेते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने जानकारी दी थी कि एक ही खेत की तीन तीन स्लिपें लिये फिरते हैं, एक ही साल में तीन बार गिरदावरी करते हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे नियम के विरुद्ध कायवाही की है तो उन पटवारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार को संकोच नहीं होना चाहिये।

श्री रामकिशन (वैर) : सारे राजस्थान में . . .

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बशर्ते कि वायरपुलिंग पीछे न हो।

श्री रामकिशन : संकोच नहीं होना चाहिये, इसको साफ करवाइये ।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयसिंह झाला ।

राजस्थान समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी

८८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथ द्वारा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई तथा इसमें कुल कितने कर्मचारी हैं ? कुल व्यय आज दिन तक इसके द्वारा कितना हुआ ?

(२) क्या इस विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर होती है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) राजस्थान समाज कल्याण विभाग की स्थापना फरवरी, सन् १९५१ में हुई । इस विभाग में कुल ७४३ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । इसके द्वारा आज तक कुल ६,६०,३३,६०३) रु० व्यय हुआ ।

(२) इस विभाग के कर्मचारियों की टेन्टेटिव सीनियोरिटी लिस्ट बनी हुई है तथा पदोन्नति या तो सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी की सिफारिश पर या स्वयं सरकार द्वारा या विभाग द्वारा की जाती है, जिसका अंतिम चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है ।

श्री विजयसिंह झाला : यह जो इतनी रकम व्यय हुई है उसका सबका ऑडिट हो चुका है क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है, अलग से पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जो कमेटी अभी बनाई उसके कौन कौन मेम्बर्स हैं और उनका क्या फैसला है, यह बतायेंगे क्या ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : सेक्रेटरी, सोशियल वेलफेयर विभाग, डिप्टी सेक्रेट्री एण्ड डाइरेक्टर, सोशियल वेलफेयर विभाग . . . .

श्री रामकिशन : आप इतने जल्दी कह गये कि समझ में ही नहीं आया ।

श्री भीखाभाई : सेक्रेटरी, सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, डिप्टी सेक्रेटरी, सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट एण्ड डाइरेक्टर सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजना

८९. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या डिवीजनल हैड क्वार्टर्स के अतिरिक्त अन्य बड़े नगरों में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजना अभी लागू नहीं की गई है ?

(ख) क्या सीकर जैसे नगर में जिसका राजस्थान में सप्तम स्थान है यह परियोजना लागू नहीं की जा रही है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस योजना के लागू नहीं किये जाने से नगर के विकास में बड़ी बाधा उपस्थित हो रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां, अभी लागू नहीं की गई है ।

(श्री दौलतराम् सारण)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ट्रस्ट की योजना लागू न होने से सीकर के विकास में कोई वाधा नहीं हो रही है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैं निवेदन करूंगा कि आपने यह फरमाया कि इसमें वाधा नहीं हो रही है, लेकिन हजारों केसेज ऐसे पैन्डिंग पड़े हैं म्युनिसिपैलिटी में और एस. डी. एम. के यहां जिनके कारण लोग मकान नहीं वना सकते क्योंकि उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसीलिये तो मैंने यह प्रश्न रखा था और आप फरमा रहे हैं कि कष्ट नहीं हो रहा है । मेरे ख्याल से हम लोग विना समझे यह प्रश्न नहीं रखते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : प्रिविलेज मोशन लाइये मंत्री जी के खिलाफ।

श्री दौलतराम सारण : यह काम वहां पर नगरपालिका कर रही है । ऐसे कस्वों में जहां नगरपालिका यह काम करती है वहां नगर विकास के लिये दिक्कत नहीं आनी चाहिये । अगर ऐसी कोई विशेष दिक्कत आपको महसूस हुई हो तो हमारे सामने रखेंगे तो हम नगरपालिका को उसके लिये कहेंगे ।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिका को पहले जमीन वेचने का अधिकार था । अव सरकार ने उसे छीन लिया है, ऐसी हालत में नगरपालिका कैसे वेच सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार ने कब छीन लिया है ?

श्री स्वरूपनाराण पुरोहित : यह तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह कहा कि नगरपालिका को अधिकार है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीरावाद): प्रश्न यह है कि जब पाली में जमीन वेचने की गड़बड़ी हुई थी तब आपने म्युनिसिपैलिटी से जमीन वेचने का अधिकार वापिस ले लिया था । आपने वापिस यह अधिकार नगरपालिका को कब दिया यह सदन को मालूम नहीं है, आपको मालूम होगा; लेकिन इस सदन में तय हुआ था कि एक हजार से ज्यादा की जमीन वेचने का अधिकार आपने अपने पास रखा था । यह ऑर्डर गवर्नमेन्ट ने पाली की गड़बड़ी के समय दिया था । इसको वापिस कब लिया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरकतुल्लाखां): जो जमीन म्युनिसिपैलिटी की होती है उस पर इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट का कब्जा नहीं है। जिन पर लोगों का कब्जा होता है उस पर मकान वनाने के लिये लोग म्युनिसपैलिटी की इजाजत के लिये एप्लाई करते हैं। जब जमीन के लिये म्युनिसिपैलिटी को एप्लाई करते हैं तो म्युनिसिपैलिटी वरावर की जमीन देख कर उस तरह की जमीन के विना पर एक रीजनेवल प्राइस मुकर्रर करती है और उसके वाद उसी प्राइस पर जमीन देने की इजाजत देती है और यह कहती है कि पट्टा ले लें और मकान वना लें। जहां तक सीकर का ताल्लुक है, अब तक ७५६ एप्लीकेशन्स कन्सीडरेशन ऑफ दी म्युनिसिपैलिटी है । इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट वनाना मंहगा पड़ता है और खर्च के रुपये जमीन से ही रियलाइज़ किये जाते हैं जो वेची जाती हैं। अव सरकार ने एक नीति निर्धारित की है, जो शायद सदन के सामने शीघ्र ही आयेगी। सरकार इस पर गौर कर रही है कि ट्रस्ट का स्वरूप छोटा हो,

(श्री बरकतुल्लाखां)

उसका एक चेयरमैन हो, दो दूसरे मैम्बर्स हों और दो म्युनिसिपैलिटी के मैम्बर्स हों। छोटासा इसका स्वरूप हो ताकि अच्छी तरह से काम कर सके।

नगर विकास निगम, बीकानेर की वार्षिक रिपोर्ट

९०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगर विकास निगम, बीकानेर, द्वारा गत ३ वर्षों में अपनी वार्षिक रिपोर्ट नगर विकास निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रेषित की गई है? यदि हां, तो इन रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) १-४-६२ को बीकानेर नगर विकास निगम के फंड के खाते में कितनी राशि जमा थी और जनवरी ६३ तक कितनी आय व कितना खर्च विकास के मद में हुआ? माहवार विवरण, मय विकास कार्य के जिन पर रकम खर्च हुई, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) १-४-६२ को बीकानेर नगर विकास निगम के फंड में खाते में ३,२४,६३३.३५ नये पैसे की राशि जमा थी तथा माह जनवरी ६३ तक रु० १,८३,१४१.६३ आय तथा विकास कार्य में ६५,५९३.९९ खर्चा हुआ। मासिक विवरण स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा: अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की एन्युअल रिपोर्ट न आने की क्या वजह है? क्या आपकी जानकारी है कि एक्ट में स्पष्टरूप से इसका विशेष प्रावधान है तो अब तक इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई और तीन साल से सरकार क्यों सोती रही और रिपोर्ट क्यों नहीं आई?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): मैं बीकानेर गया था तब इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और सेक्रेटरी से मैंने बातचीत की और उनसे कहा था कि फौरन अकाउन्ट भेज दें।

(१२ मध्याह्न)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या सरकार....

श्री मानिकचन्द सुराणा: रिपोर्ट भेजने का प्रश्न नहीं है। आपने उनके अकाउन्ट्स मांगे नहीं, उनका प्रश्न नहीं है; प्रश्न यह है कि एन्युअल रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? जिस प्रकार बीकानेर के मामले में ढिलाई होने के कारण उनकी एन्युअल रिपोर्ट नहीं ली, जोधपुर और कोटा के अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की रिपोर्ट नहीं ली जैसे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट की धारा ७६ के बारे में समझ रहे हैं कि उसमें धारा नहीं है उनके एन्युअल रिपोर्ट देने की और आपके द्वारा लेने की कोई ड्यूटी नहीं है।

श्री बरकतुल्लाखां: अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की रिपोर्ट लेने की ड्यूटी है लेकिन

(श्री बरकतुल्लाखां)

जिम्मेदार किस्म के लोग रिपोर्ट देने में देरी करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि रिपोर्ट देने में देरी क्यों करते हैं? प्राइमाफेसी यह मान कर नहीं चल सकते कि जिस बोर्ड का चेयरमेन कलक्टर हो वह कोई गैर-जिम्मेदारी का कार्य कर रहा है। हमने उनसे पर्सनली डिस्कस यहां बुला कर किया है और फिर बुलाया जा रहा है कि वे रीजन दें कि क्यों नहीं रिपोर्ट दी?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या नॉन कलक्टर व्यक्ति गैर-जिम्मेदार माने जाते हैं?

श्री रामकिशन (बैर): क्या अन्य व्यक्ति गैर-जिम्मेदार माने जाते हैं?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बता सकती है कि कानून के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए वह नगर विकास मंडल ने तैयार की या नहीं?

श्री बरकतुल्लाखां : बीकानेर नगर विकास निगम से नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : आने न आने का सवाल नहीं है, वह तैयार की है या नहीं?

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेन्ट के सामने नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : बेसिक क्वेश्चन यह है कि एनुअल ऑडिट होता है या नहीं, रिपोर्ट आपके सामने आने का मामूली मामला है लेकिन एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है है या नहीं?

श्री बरकतुल्लाखां: जहां तक मेरी जानकारी है, रिपोर्ट तैयार होने में कुछ देरी लगी है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन बिल्कुल डाइरेक्ट है कि एनुअल ऑडिट हुआ है या नहीं? अगर एनुअल ऑडिट नहीं हुआ तो गवर्नमेन्ट ने एक्शन क्यों नहीं लिया?

श्री बरकतुल्लाखां : एनुअल ऑडिट का प्रोवीजन है, लेकिन कभी कभी देरी हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या तीन साल का एनुअल ऑडिट अभी तक नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष : कुछ देरी अवश्य हुई है।

श्री भैरोंसिंह : हुआ ही नहीं है, देरी का सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : साफ कहिये कि नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

जरायमपेशा कौमों को जमीनें

६१. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु) [श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) रियासतों के समय में जितनी कौमें जरायमपेशा कानून की शिकार थीं उन कौमों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कितनी कितनी जमीन दी गई है?

(श्री भैरवलाल 'कालावादल')

(२) क्या सरकार चाहती है कि ऐसी कौमें राजस्थान में जरायमपेशा न करके खेती-वाडी से गुजारा करें ?

(३) यदि हां, तो जरायमपेशा जातियों के उन परिवारों को राजस्थान केनाल एरिया में बसाने और जमीन देने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) विमुक्त जातियों को राजस्थान केनाल एरिया में पुनः स्थापित करने के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को बसाने की योजना है जिसका लाभ भूमिहीन विमुक्त जाति के सदस्यों को भी मिलेगा।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): राजस्थान में विमुक्त जाति के व्यक्तियों की कितनी संख्या है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह प्रश्न अलग है।

श्री अध्यक्ष: फिर भी उत्तर दे दीजिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): ६१। भैरवलालजी मुझे कह गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

भीलवाडा जिले के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स

६२. श्री **गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भीलवाडा जिले में अब तक कितने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोले गये हैं तथा वे स्थान कौन कौन से हैं ?

(२) उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों के भवन निर्माण में राजकीय नियम के अनुसार किन किन स्थानों पर स्थानीय जनता ने दस दस हजार की धनराशि खर्च कर दी है ? जहां जहां उक्त धनराशि खर्च नहीं की गई वहां के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(३) उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों पर बजट के अनुसार किन किन स्थानों पर पूरा स्टाफ भेज दिया गया है ?

उप-मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) इस जिले में कुल सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: (१) काछोला, (२) बाघोड़ा, (३) फूलियां कलां, (४) जहाजपुर, (५) कोटरी, (६) असिन्द व (७) हदा।

(२) काछोला व असिन्द की पंचायत समितियों में स्थानीय जनता से १०,००० रुपये की धनराशि प्राप्त होकर खर्च की जा चुकी है। शेष विकास खण्डों में जन-सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(३) उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर (जहाजपुर को छोड़कर) लेडी हैल्थ विजिटर के अतिरिक्त पूर्ण स्टाफ कार्य

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

कर रहा है तथा काछोला प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर एक सेनिटरी इन्सपेक्टर का स्थान इस समय भी रिक्त है ।

(४) जी नहीं । सब प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में पूर्ण स्टाफ लगा दिया गया है । लेकिन ट्रेन्ड स्टाफ के अभाव के कारण लेडी हैल्थ विजिटर के कुछ स्थान रिक्त हैं। लेडी हैल्थ विजिटर के उपलब्ध होने पर ये रिक्त स्थान भर दिए जायेंगे ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : क्या सब स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर मौजूद हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां पर नहीं गये हैं वहां नियुक्त कर दिये गये हैं ।

श्री गणपतिलाल वर्मा : कहां कहां नहीं गये हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है। आप अलग से पूछें, मैं अलग जवाब दे दूंगी।

श्री गणपतिलाल वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने श्रमदान दिया, जहां दस हजार रुपये लगा दिये वहां भी डाक्टर नहीं मिले हैं । क्या यह सही है कि जहां श्रमदान किया गया है वहां स्टाफ नहीं मिला है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): बिना डाक्टर के हैल्थ सेन्टर खोल दिये जायेंगे ?

श्री गणपतिलाल वर्मा: अब कब तक भेज दिये जायेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जल्दी से जल्दी भजने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): जहां पर दस हजार का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उन स्थानों पर जो सरकार की तरफ से दस हजार का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, सेन्टर का मकान बनाने के लिए, वह दोनों स्थान पर दिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: कृपया फिर से पूछिये प्रश्न ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: ऐसा है: जनता के सहयोग से जिन जिन स्थानों पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है, वहां सरकार की तरफ से जो दस हजार रुपया सेन्टर के मकान बनाने के लिए दिया जाता है, वह जो इन दो स्थानों में जनता ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वहां दस दस हजार रुपया सरकार की तरफ से स्वीकृत हो चुका है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह आपका प्रश्न अलग है ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास: जो कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, वह भी दिया जाना चाहिये ।

(शेष प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

Page No.30

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, सेठ श्री महेन्द्रसिंह के निधन पर श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: मुझे सूचना मिली है कि गत बुधवार, दिनांक २७ फरवरी, १९६३ को सेठ श्री महेन्द्रसिंह का देहावसान हो गया है। श्री महेन्द्रसिंह द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे। उनका निर्वाचन क्षेत्र राजाखेडा था। वे धौलपुर, जिला भरतपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। मैं अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रगट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया दो मिनट के लिए खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन के समस्त सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक अनुदानों की मांगें १९५८-५९......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसका जवाब नहीं मिला लिखित में।

श्री अध्यक्ष: उसका उत्तर मिल जायगा अभी आपको।

अधिक एवं अनुपूरक अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल: अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक अनुदानों की मांगें, १९५८-५९ तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९६२-६३ के विवरण उपस्थापित करता हूं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(क) राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्री-एम्प्शन बिल, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(ख) राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नोइजेज एण्ड म्यूजिक कंट्रोल बिल, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(ग) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

राज्य में चेचक तथा खसरा रोगों के प्रसारण सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुरलीधर व्यास ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी चेचक प्रकोप के बारे में। उस विषय पर माननीय सदस्य। श्री रामकिशन की ओर से एक कॉल अटेन्शन नोटिस आया था। इसलिये इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिया जाकर एक कॉल अटेन्शन नोटिस लिया जायगा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में चेचक तथा खसरा फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष,

श्री रामकिशन : आप ऊंचा बोलिये। पहले ही आपकी आवाज धीमी है, समझ में नहीं आवेगी।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, चेचक की हर चौथे-पांचवें साल एक साइकल होती है जब ज़ोरों से चेचक फैलती है। देश भर के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि हमारे मुल्क के अन्दर चेचक बड़े ज़ोर से फैल रही है। उसके मुकाबले के अन्दर राजस्थान के अन्दर भी जो हर साल चेचक होता है उससे इस साल ज्यादा चेचक नहीं है। लेकिन जितना चेचक का प्रकोप दूसरे प्रान्तों में हुआ है उसके मुकाबले में चेचक की गर्मी अपने यहां कम है; परन्तु फिर भी सरकार ने जितना प्रयास इसको रोकने के लिये करना चाहिये, किया है। इसके डिटेल्स मैं आपको बाद में पेश करूंगा। इस सम्बन्ध में मैडिकल ऑथोरिटीज ने और चीफ सेक्रेट्री ने भी लिखा है, विकास के लोगों को लिखा है, जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को लिखा है कि वे अपने यहां की स्थिति बतावें।

जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवम्बर ६२ में कुल २०८ केसेज़ माता के हुए उनमें से ३६ की मृत्यु हुई। दिसम्बर में ८५३ केसेज़ माता के हुए जिनमें २०८ की मृत्यु हुई। जनवरी ६३ में ४६० केसेज़ माता के हुए, और उनमें से १३५ की मृत्यु हुई। ७ फरवरी तक ७० केसेज़ माता के हुए जिनमें १२ की मृत्यु हुई। चेचक का जोर है ज्यादातर टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही और उसके आसपास के इलाकों में।

बीकानेर, गंगानगर, सवाई माधोपुर जयपुर, अलवर आदि जहां पर तो Small-pox Eradication Scheme काम कर रही है और बाकी जगह पर जहां तक मुमकिन हो सकता है यह कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वेक्सीनेशन इस्तेमाल किये जावें।

सन् ६० में प्राइमरी वेक्सीनेशन की संख्या ४,०६,४३३ थी।

री-वेक्सीनेशन ७७ लाख ३६१ का हुआ
टोटल ६ लाख ७४ हजार ६४ हुआ।

सन् ६१ में प्राइमरी वेक्सीनेशन की संख्या ५,३८,०८६ थी।

रीवेक्सीनेशन	६,५०,८७६ हुआ
टोटल	१४,८८,९६८ हुआ

सन् ६२ में प्राइमरी वेक्सीनेशन ४,५७,६६५ व

रीवेक्सीनेशन	१३,६५,६७७

टोटल १८,५३,३७२ केसेज़ का वेक्सीनेशन हुआ।

(श्री बरकतुल्लाखां)

मैडिकल डिपार्टमेन्ट की तरफ से सब जगह इन्स्ट्रक्शन्स भेज दी गई हैं और इसका इन्तजाम किया जा रहा है।

जिस जोश के साथ माता की हवा फैल रही है उसको रोकने का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन फिर भी हम यह समझते हैं कि आयन्दा दो-तीन महीने खतरे के हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने फरमाया कि चार-पांच साल में आम तौर पर चेचक का प्रकोप होता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि पहले इसका प्रकोप कब हुआ था, इसके संबन्ध में सूचना दें।

दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह कि आपने जो मृत्यु संख्या बताई है क्या यह मैडिकल विभाग की तरफ से आपको जो सूचना मिली केवल वही है या जिन ग्रामीणों के बच्चों की मृत्यु गांवों में हुई है उनकी संख्या भी है? तीसरी बात यह कि आपने बताया कि सिरोही, टोंक आदि में चेचक का जोर है, यह आपकी जो रिपोर्ट छपती है उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है।

भरतपुर में भी इसका काफी प्रकोप है और भरतपुर में मैं चार दिन बाहर गांवों में गया तो मालूम हुआ कि १२३ बच्चों की मृत्यु हुई है लेकिन आपकी जो सूचना है उसमें इसका जिक्र नहीं है।

आपने वैक्सीनेशन की स्थिति बताई है। इसके लिये मैं कहूंगा कि यह पहले की स्थिति है और आपके वैक्सीनेशन्स की यह हालत है कि वे टीके असर नहीं करते। मेरे बच्चे के पहले टीका लगा, दूसरी बार लगा मगर बेअसर रहा। इसलिये सरकार इन बातों के संबन्ध में जानकारी दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर का उल्लेख किया था। गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट है कि १२८ में से ४० बच्चों की यहां पर डेथ हुई है। आपने अभी जिन स्थानों का उल्लेख किया उसमें जयपुर का उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सरकारी रेकार्ड में नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जालोर जिले में चेचक का भयंकर प्रकोप है। सांचोर, हाडोचा में करीब करीब २०० बच्चे मर चुके हैं। वेक्सीनेशन के लिये लम्प्स एवेलेबल नहीं हो रहे हैं। बी. डी. ओ. लिखते हैं तो कहते हैं कि लम्प्स एवेलेबल नहीं हैं। आपके पास वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी दिलावें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में जैसा माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि प्रकोप है। जैसा दूसरे जिलों में स्पेशल प्रबन्ध है वैसा कोई यहां प्रबन्ध नहीं है और आज तक करीब करीब हर तहसील से १००-५० बच्चों के मरने की खबर आई है। इसलिये वहां भी प्रबन्ध कराया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि हर तीसरे या चौथे वर्ष चेचक की वेव आती है तो मैं इस संबन्ध में जानकारी चाहूंगा कि सरकार को इसका संकेत कब

(श्री भैरोंसिंह)
मिला और संकेत मिलने के बाद में सरकार ने उसके लिये क्या स्टेप्स लिये ? वेक्सीनेशन के आंकड़े आपने बताये वे तो पहले वर्षों के हैं । वेक्सीनेशन ठीक नहीं थे जिससे असर नहीं हुआ।

दूसरा पोइन्ट मेरा यह है कि आपने डैथ के आंकड़े बताये । आपने जो आंकड़े बताये इनकी जानकारी के सोर्सेज क्या हैं ? ये आंकड़े पंचायतों से लिये गये हैं या डी. एम.-एच. ओ. के ऑफिस से लिये गये हैं ? क्या आप यह बता सकते हैं कि जिन ग्रामीणों ने अपने बच्चों को होस्पिटल में भर्ती नहीं कराया उनके आंकड़े भी इसमें हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : (स्वास्थ्य मंत्री) ये आंकड़े मेडिकल डिपार्टमेन्ट ने बताये वे हैं । भरतपुर में नवम्बर में ६४ केसेज हुए उनमें से ४ की मृत्यु हुई।

एक माननीय सदस्य : ये आंकड़े कहां से उपलब्ध हुए हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : मैं यह कहता हूं कि डी. एम. एच. ओ. ने क्लेक्ट करके भेजे हैं । आपने पूछा कि हमने क्या किया ? मैं यह कहूंगा कि जहां तक चेचक का संबन्ध है, हमने Notinal small pox Eradication स्कीम जल्दी लागू की और इसको रोकने की कोशिश की है । हमने प्रोग्राम करके नेशनल युनिट शुरु किया उससे काफी हद तक स्माल पोक्स को रोक लिया गया है । इसके अलावा जहां तक हो सका है वेक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की है । दो, तीन केसेज ऐसे सामने आये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जालोर में भी चेचक का प्रकोप है ।

श्री मुरलीधर व्यास : सबसे इम्पोर्टेन्ट बात तो यह है कि आपके लेप्स यहां से जाते हैं और उनकी हीट ज्यादा हो जाने से उनका कोई उपयोग नहीं होता है । अधिकांश मामले फेल हो रहे हैं । सब जगह यही हाल रहा है ।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं कोई अपने जवाब में बात को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं । जो भावना सदन के माननीय सदस्यों ने रखी ह और जो सूचना दी है, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि उनको राहत पहुंचाई जावे । जैसे जैसे इन्फार्मेशन आती है, २४ घन्टों में जहां लेप्स मौजूद होते हैं भेजने की कोशिश करते हैं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : अपने मेमोरेन्डम के अनुसार बहस हो चुकी है; काफी बहस हो चुकी है । अब इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

अब राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस जारी होगी । मैं इस संबन्ध में माननीय सदस्यों को सूचित करदूं कि इस पर करीब एक घन्टे तक बहस चलेगी, जिसमें माननीय सदस्य हिस्सा ले सकेंगे । सिर्फ ५ मिनट माननीय सदस्य बोलेंगे । उसके बाद मुख्य मंत्री और सरकार की तरफ से उत्तर होगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए डिबेट करेंगे ।

Page No.34

श्री जयसिंह (मालपुरा) : Mr. Speaker, much has already been said on the Address of the Governor; therefore, I will restrict myself to one subject only i.e. industries. In the Governor's address a very rosy picture has been given of industries and......

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दी में बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

(शोरगुल)

यह जन संघ की नीति है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): जनसंघ वाले राजाओं के पैसे पर पलते हैं।

श्री जयसिंह : We have been told of industrial units that have been set up in Rajasthan, such as Kota Nylon Factory, Zinc Smelter, Udaipur, and many other industries. I think if we go into more detailed state of affairs the picture will not be as rosy as has been conveyed to us.

I have concerned myself with only one unit and I can assure you that the progress of this unit, viz the Spinning and Weaving Mills, Bhilwara, has not been as satisfactory as it should have been. The Government of Rajasthan has offered lots of facilities like offering of cheap land, loans etc. to the industrialists to encourage them to come to Rajasthan and start industries. But in the case of the Bhilwara unit the power promised to them has been delayed for 18 months as a result of which the commissioning of the mills has been delayed.

I think, I need not explain to this House Planning is an integrated thing and it should be done on a very detailed scale and not haphazardly as the Government has done. The power that has finally been given in this case is not upto the mark: i.e. not as was originally promised and as a result of this the mills will not be able to work economically, thus causing the shareholders, who are not rich businessmen but mostly small investors, a loss of rupees two lakhs per month. I think the Rajasthan Government must be aware that if this is going to be the fate of all the plants that are just set up here, the investors and industrialists will shy away from this State and a great deal of damage will be done to the industrial progress of the State.

The next point that I would like to make out is that during the last two years as a Member of House I have been listening to the Governor's address, but no mention has been made of the largest industry in Rajasthan. This is an industry which has been recognised even by the Central Government.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): We are not able to hear him. He may use some other mike.

Page No.35

श्री रामकिशन: आप ही नहीं समझ रहे हैं या सदन के कोई माननीय सदस्य नहीं समझ रहे हैं। यह जनसंघ की नीति है। वोटरों को भी तो हिन्दी में समझाया होगा । बड़े आदमी के लड़के हैं इसलिये ।

एक माननीय सदस्य: जब राजा मानसिंहजी का अंग्रेजी में भाषण हुआ तो आपके सोश्यलिस्ट भाइयों ने सुना था, उस समय तो एतराज नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): समझने की अक्ल हम में है इसलिये समझ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सदन की भाषा हिन्दी है तो हिन्दी में भाषण होने चाहियें।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य पहले पहल बोले हैं इसलिये हिन्दी में बोलें ताकि हम उनकी बात को समझ सकें ।

श्री विजयसिंह झाली (नाथद्वारा) : माननीय सदस्य ने कहा कि जनसंघ के सदस्य राजाओं के पैसे पर पलते हैं, इस पर मुझे सख्त एतराज है, माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह मैं अपने वक्तव्य में साफ करूंगा कि किस तरह राजाओं के पैसे पर पलते हैं।

श्री अध्यक्ष: Order ! order Please !

श्री जयसिंह : I think it would be better to speak in a language in which I can express myself properly; rather than wasting your valuable time in trying to speak in a language in which I cannot express myself as best as I would like to.

That largest industry in Rajasthan is the Tourist industry. It is an industry which, besides earning foreign exchange for us, employed a vast number of people in the State, right from the top Hotel Managers down to the Mahout who takes the tourists up to the Amber Fort. Some measures have been taken to develop this industry but these have been rather one sided. They have been concentrated in one

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : समय समाप्त हो गया है ।

श्री विजयसिंह:

area at the expense of other areas and very little coordinated planning has been done in this respect.

We must take the facts today. I know it is not fashionable to speak of the old India in the present socialistic pattern of society, but I would like to say that the tourist who comes to India, does not come to see the Bhakra Nangal, he does not come to see the steel plant of Durgapur a not the Nylon Factory of Kota. He comes to see the palaces of Udaipur, he comes to see the Dilwara Temples and he comes to see the Mandor Fort, Amber and the Pink City of Jaipur. So I would strongly recommend to the Government that they should take every measure in their power to see that facilities are given to this industry and that

(श्री जयसिंह)

it is developed on a scale in proportion to the help and aid the Government are giving to other industries.

I would like to give one instance about the neglect of the tourist industry. The city of Jaipur which is famous as the Pink city is becoming the black city and unless some sort of legislation is passed to preserve the old monuments of tourist attraction, the tourists will not come either to Rajasthan or to India. Every other country in Asia is making tremendous efforts to attract tourists, and unless our State, which is one of the most important in the country for tourist attraction, maintains these palaces for tourists and maintains these monuments, we will find the number of tourists decreasing substantially and the loss in foreign exchange to the country will be considerable.

I would, therefore, ask the Government to take proper perspective and give every aid not only to the tourist industry but also to live up to their promises to other industries, otherwise the industrial development of this State will go down and not continue to expand.

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ समय पहले जब कि हम सदन में बैठे थे तो अचानक एकाएक हमारे प्रधान मंत्री की अपील सुनाई दी और उस अपील के बाद जब हम यहां पहली बार सदन में आये तो हमें राज्यपाल महोदय का भाषण सुनने को मिला जो विचार साथी देश के हमले के सम्बन्ध में व्यक्त किये ये बातें तो बहुत पहले से थीं उसी का यहां संकेत किया गया। आज इस तरह हमारी पिटाई हुई और उसके बाद हमारे अन्दर राष्ट्रीय चेतना आई, आज देश के कर्णधार अपील करते हैं कि उत्पादन बढ़ायें, ज्यादा से ज्यादा देश की रक्षा के लिये जुट जायं, पर आज राजस्थान में किसान की हालत अन्य प्रकार की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजदूरों की और किसानों की हालत राजस्थान में बहुत बुरी है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि बंजर भूमि तैयार करके किसानों को, भूमिहीन किसानों को दे रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़ सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय केवल इस प्रकार के भाषण दे देने से और बातों से उत्पादन नहीं बढ़ा करता है। जब तक किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये सहूलियत नहीं मिलेगी और बंजर भूमि अथवा खेती लायक़ ज़मीनें भूमिहीनों में वास्तविक रूप से वितरित नहीं की जायगी तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता। किसान आज मुक़दमेबाज़ी में लगे हुए हैं, उनको उनसे निकाल कर सहूलियत दीजिये और उत्पादन बढ़ाने में मदद दीजिये। मैं आपके सामने चम्बल एरिया प्रोजेक्ट की बात रखता हूं। हज़ारों बीघा ज़मीन जिनमें उत्पादन होता था नहरों म खोद दी गई। लोग आज तक भी मुआवज़े के लिये मारे मारे फिर रहे हैं, उनको मुआवज़ा नहीं मिला। बेचारे तारीखों पर जाते हैं, तारीख पेशियां बदलती रहती हैं और उनकी हालत को कोई देखनेवाला नहीं। नालों की बड़ी समस्या है। इस सम्बन्ध में कई बार आश्वासन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

दिये गये लेकिन आज तक उनकी पूर्ति नहीं होती।

दूसरी बात रक्षा के बारे में बतायी गई। कई ट्रेनिंग्ज भी चल रही हैं और शुरू हो रही हैं। रक्षा के निमित्त तैयारी कराना बड़ी उत्तम बात है और इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आज जो बन्दूकों के लाइसेन्स देने की स्थिति है उसको देखते हुए बन्दूकों के लाइसेन्स को समाप्त कर देना चाहिये। बन्दूकों के लाइसेन्स की पूर्ति न होने से लोग बड़े परेशान हैं और इसके लिये जो प्रोसीजर है वह बड़ा ही पेचीदा है। इसलिये इसमें सहूलियत का तरीका होना चाहिये।

मकान के लिये कर्जा दिया गया। लेकिन किसानों पर मुकदमें चल रहे हैं और उनके मकान तोड़ जाते हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मजदूरों के बारे में यह कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे। अध्यक्ष महोदय, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में क्या कभी सरकार ने सोचा है? वेज बोर्ड सरकार ने लागू किया है, लेकिन लाखेरी में अभी तक भी वह लागू नहीं हुआ है। हजारों केस मजदूरों के पेन्डिंग पड़े हैं। मजदूरों की जो स्थिति है वह बड़ी दयनीय है आखिर किससे जाकर कहें? उनका सुनने वाला कोई नहीं। सवाई माधोपुर फैक्ट्री का भी यही हाल है। लाखेरी में कहा कि सरकार कर्जा देगी, जमीन देगी। यह भी एक ढोंग है। एक गृह निर्माण समिति का निर्माण किया गया लेकिन कर्जा देने के लिये तैयार नहीं। मैंने कम समय में यह बताया।

अब मैं चम्बल एरिया की बात रखना चाहूंगा। गरीब लोग, पिछड़ी जाति के आदिवासी लोग रहते हैं। जमीन देने की समस्या है। दरड़ा और परड़ा है, पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनको आबाद किया जाय, उनको जमीन दी जाय, यह तो दूर रहा उनसे जमीन लेकर दूसरों को दिया जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है। जिस प्रकार चम्बल एरिया में अन्य किसानों को, भूमिहीनों को भी १५ बीघा जमीन देने के लिये तय किया है उसी प्रकार इन लोगों को भी जमीन दी जाय और उनको बसाया जाय, न कि उनको बेदखल किया जाय। यह सब हो रहा है कोलोनाइजेशन विभाग के कारण। उनके कारण उस एरिया में बड़ी परेशानी हो रही है। लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। बार बार उनको तारीखों पर बुलाया जाता है। भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है कि कोई हद नहीं। २५) से ८०) और ८०) से २५०) रु० बीघा तक है।

पाटन, तहसील में बन्दोबस्त का काम चालू है। हजारों लोग भूमिहीन हैं। ६१ तक काबिज किये हैं। फॉर्म भरवा लिये, खातेदारी राइट्स देना चाहते हैं। उनके मामले तय करें। साथ ही चाहूंगा कि जितने भी मुआवजे के मामले हैं उनको निपटा कर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा उनको दिलाया जाना चाहिये।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारी पार्टी की रीति नीति की आलोचना की। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम तो देश के बड़े वफादार हैं, जब कि नहीं हैं और आप अमेरिकन गुट में शामिल होने के लिए

Page No.38

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ढिंढोरा पीट रहे हो। उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके मन्त्री नम्बूद्रिपाद हैं। साफ साफ बता दिया है कि स्थिति क्या है और आप लोग क्या कार्य कर रहे हो। जब देश के ऊपर संकट आया और दुश्मन रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था तो किसकी ताकत से भारत मां की लाज बचायी गई? आपने नहीं? आपने तो अपनी वफादारी भी नहीं बतायी। दुश्मन को आक्रमणकारी भी नहीं बताया। फिर दबे जुबान से कहने लगे। बुरे वक्त पर, आड़े वक्त में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। जिसने आपकी आड़े वक्त में मदद की हो, आप उनके लिये इस सदन में बुरे शब्द लावें, यह आपके लिये शोभाप्रद नहीं है और नहीं इस देश के लिये भी। शब्दों से ही देश-सेवा नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक तैयार किये जा रहे हैं और राइफल ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिक से अधिक फ़ौजी तैयार किये जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि यह केवल ढकोसला मात्र ही न रह जाय। यह मेरी सरकार को चेतावनी है। वकील और बड़े बड़े नेता ट्रेनिंग लेने की कोशिश करते हैं, यह समय का दुरुपयोग है। हमारा काम लड़ने का नहीं है। जो भी काम किया जाय अच्छी तरह से किया जाय। केवल आंकड़े बता देने से काम नहीं चलेगा। जब देश पर संकट आवेगा तो बच्चा बच्चा सैनिक बन कर तुरन्त मातृभूमि की रक्षा के लिये पिल पड़ेगा और उसकी लाज बचायी जावेगी।

एमर्जेन्सी में ठके हुए हैं। सरकार अपने मर्जीदानों को इसमें लगा रही है, मर्जी के ठकेदार लाये गये हैं और उनके जरिये से सरकार भ्रष्टाचार को फैला रही है। अपने लोगों को टेन्डर दिये जाते हैं, उनमें लाखों का फर्क होता है। जहां आज देश को एक एक पैसे की जरूरत है, इस प्रकार अपने मर्जीदानों के जरिये भ्रष्टाचार पनपा कर देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसलिये इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अधिकारियों की ओर भी जो केसेज को निपटाने में अधिक से अधिक समय लगाते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। किसानों के लिये केवल यह कह देना काफी नहीं है कि हम किसानों के सेवक हैं। किसानों के सेवक तब ही कह सकते हैं जब कि उनको सहूलियतें दें और उनको कोई परेशानी न हो। जिसने गलतियां की हैं उनको दंड मिले। जो गाढे पसीने से उत्पादन बढाते हैं उनको सहूलियतें मिलनी चाहिये।

मैं कुछ पंचायती राज्य के बारे में भी कहना चाहूंगा। गडबडियां हो रही हैं, भाई-बंदे पल रहे हैं, करोडों रुपया खर्च हो रहा है और हिसाब नहीं। पाटन पंचायत समिति में देखिये। हजारों-लाखों रुपये दे दिये, वसूल नहीं हो रहे हैं। ग्राम सभायें आप इसीलिए बनाते हैं कि अभाव–अभियोग आपके सामने आवें और तत्काल उनकी पूर्ति करें। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक जितने अभाव-अभियोग पेश किये गये हैं वे मंत्री महोदय तक पेश ही नहीं हुए हैं। अव्वल तो परिचित भी नहीं हैं। दो-दो हजार रुपया फोटोज पर लगा दिये। अखबारों में वाहवाही निकल जाती है, बस; हो गया सब काम।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये राज्यपाल महोदय का भाषण निराशापूर्ण है और धन्यवाद देने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

अनेक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय:

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल जाट (सादडी): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह विशेष करके संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया है, वह बडा काबिल, सराहनीय है । लेकिन निर्वाचन क्षेत्र सादडी जिससे कि मैं आया हूं वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ३०-३२ प्रतिशत आदिम जन-जाति के लोग रहते हैं । पैरा १८ में राज्यपाल महोदय ने यह बताया कि आदिम जन-जाति के लोग जहां रहते हैं उनमें तीन विकास खंड और खोले गये हैं; लेकिन विकास खंड खोले जाने से उनकी बेकारी और बेरोजगारी मिटाने का कोई प्रावधान नहीं है । जैसा मैंने अर्ज किया कि सादडी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा घना जंगल है जहां से बहुत से बांस बाहर जाते हैं । यदि इसमें एक कागज का बडा कारखाना लगाया जाता तो समझता हूं कि वहां की बेकारी और बेरोजगारी बहुत हद तक मिट जाती । इसलिये मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो मैंने कागज के कारखाने का सुझाव दिया है उस पर आप उचित ध्यान देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने राज्यपाल महोदय ने जो नीति संबंधी वक्तव्य दिया था वह विचारार्थ है। हमने वक्तव्य को अच्छी तरह से श्रवण किया है और पढा भी है। इसके उपरान्त हमने यह पाया है कि यह न तो राजस्थान सरकार की नीति का द्योतक है और न देश के बचाने के सिलसिले में है। विदेश नीति की जहां चर्चा की गई है उसका भी सही तरीके से प्रतिपादन नहीं है। उससे हमें किसी प्रकार की प्रेरणा मिलती हो, ऐसी बात नहीं। मेरा निवेदन यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ बातें और जोड दी जायें जिससे यह भाषण पूर्ण रूप से राज्य की नीति का द्योतक हो सके। हालांकि समय कम है इसलिये मैं, अपनी बातें २१ सूत्रों में बना कर लाया हूं २१ सूत्रों में मैं अपने विचार ढालने की कोशिश करूंगा, जिनको मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा।

श्री अध्यक्ष: समय कम है इस लिये आपने २१ ही सूत्र बनाये हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमें चीन के साथ जो समझौते की बात चल रही है उसमें एक दृढ नीति अपनानी चाहिये, अगर हमें विदेशी हमले का मुकाबला करना है तो। इस प्रकार केवल ढिलमिल नीति से कि कभी कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, कभी ८ सितम्बर वाली बात को कहते हैं और कभी ७ नवम्बर की बात के लिये जोर देते हैं, हमें इस बारे में अपनी नीति यह स्पष्ट बना लेनी चाहिये कि १५ अगस्त, सन् १९४७ को जितनी जमीन हमारे पास थी, जितना क्षेत्र हमारे कब्जे में था उतने क्षेत्र को अपना माना जाय। १५ अगस्त, १९४७ की स्थिति को जब तक चीन मान्य नहीं करता तब तक किसी प्रकार की वार्ता नहीं होनी चाहिये।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें तिब्बत की आजादी की गारन्टी करनी चाहिये और दलाई लामा को उस गवर्नमेन्ट

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)

का हेड मान कर चलना चाहिये। दलाई लामा को वहां के सर्वोच्च शासक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये और खम्पा विद्रोहियों से मिल कर चीन के खिलाफ गुरिल्ला वार को प्रोत्साहन देना चाहिये। दलाई लामा अपने देश में रह कर जो मगोड़ा सरकार कायम करे, उसको हमारी सरकार मान्यता दे और विदेशों से संबंध स्थापित करने में हमारी सरकार को दलाई लामा की सरकार की मदद करनी चाहिये।

तीसरा, हमारे सामने किसी एक गुट्ट में मिलने का दृष्टिकोण न होकर देश रक्षा के लिये किसी भी खेमे से हमें हथियार मिलते हों वे लेने चाहिये। हमारा ध्येय केवल देश-रक्षा के लिये कहीं से भी हथियार लेने का होना चाहिये।

चौथा, हमारी जो विदेश नीति ढिलमिल चल रही है उसका परित्याग कर सक्रिय रचनात्मक तटस्थता नीति का अवलम्बन करना चाहिए। कभी इधर लुड़क पड़े, कभी उधर; इस नीति का परित्याग कर देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हम तीसरे खेमे के निर्माण के संबंध में सक्रिय कदम उठा सकते हैं; ताकि बैलेंसिंग पावर हम रख सकें, दो शक्तिशाली गुटों में शक्ति सन्तुलन का हम एक जरिया बन सकें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जैसा कि आपने बना रखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पांचवा, हमें इस बात के लिये कृत संकल्प होना चाहिये कि कांग्रेसी कुशासन जहां अनियमिततायें और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसको उठा फेंक देना चाहिये। राष्ट्रपति महोदय ने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां राष्ट्रपति ने भाषण कब दिया ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा मतलब राज्यपाल के अभिभाषण से है। राज्य में जो शासन है वह एक कुशासन है उससे असन्तोष का जन्म होता है और दूसरी तरफ जो साम्यवादी उछल-कूद करते हैं उस साम्यवाद को खत्म करना है। तो पहले हमें कांग्रेस के शासन को खत्म करना पड़ेगा।

छठा पोइण्ट यह है, जहां हमारे यहां आमदनियों में जमीन और आसमान का अन्तर है, जहां आमदनी में कोई समानता नहीं वहां १ से १० गुना से अधिक फर्क नहीं होना चाहिये। इस बात को मान कर चला जाय कि राज्य में किसी की भी आमदनी १००) रुपया माहवार से कम न हो और किसी भी उच्च अधिकारी की आमदनी १ हजार रुपये मासिक से ज्यादा न हो। इस प्रकार का परिवर्तन राज्यपाल के अभिभाषण में स्वीकार कर लेना चाहिये।

सातवां, हमें इस बात का दृढ संकल्प कर लेना चाहिये कि हम योजनाबद्ध विकास से आगे बढ़ेंगे। पंखे, रेफ्रीजरेटर, एयर कण्डीशण्ड कमरे आदि पर जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको तुरन्त बन्द कर देना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बिजली भी तुरन्त बुझा दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आठवें स्थान पर राजभवन में जो सजावट आदि

(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
पर व्यय होता है उसको तुरन्त आधा कर दिया जाय। राजभवन में जो सफेद हाथी बंधे हुए हैं उसके खर्चे में पचास प्रतिशत एक दम कटौती कर देनी चाहिये।

नवमां, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जोड़ दिया जाना चाहिये कि जो भी प्रिवी पर्स राजा–महाराजाओं को मिलता है उसको एक दम समाप्त कर दिया जाना चाहिये। आज राजा–महाराजाओं का जिस प्रकार का रुख है उसको देखते हुए इसको समाप्त कर देना चाहिये। निजाम हैदराबाद को ही ले लीजिये, जिसने विगत युद्ध में, जब हमारे यहां विदेशी हुकूमत थी उसने ४० करोड़ रुपया युद्ध में खर्च करने के लिये दिया, किंतु भारत के स्वतन्त्र होने पर जब युद्ध का मौका आया तो निजाम कहने लगे मेरे पास देने के लिये कुछ नहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर लन्दन में साठ लाख रुपये मस्जिद के निर्माण के लिये दे रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि हमारे सम्माननीय सदस्य एक इन्डियन सिटीजन जो हैं उसके लिये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर वे ऐसा कर रहे हैं। वे ऐसी बात नहीं कहें जो यहां उसका जवाब न दे सकें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २७२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य निजाम हैदराबाद पर सीरियस एलीगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान उनका आका है और उसके इशारे पर वे ऐसा कर रहे हैं। यह एक प्रकार से बहुत सीरियस एलीगेशन है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में स्पीकर महोदय से परामर्श ले लेनी चाहिये। इस रूल के अन्तर्गत किसी पर एलीगेशन लगाना, किसी पर मोटिव इम्प्यूट करना बिना अध्यक्ष महोदय की इजाजत के उचित नहीं है। इस बारे में माननीय अध्यक्ष अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे जो कुछ भी बोलें संयम से बोलें ताकि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति करने का मौका न हो।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल : नवमां पोइन्ट जो मैंने सदन के सामने रखा था वह यह कि राजाओं की प्रिवी पर्स को तुरन्त खत्म कर देना चाहिये।

दसवां, राज्यपाल महोदय ने आदिवासी, महिला, शूद्र और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको सात प्रतिशत स्थान देने की गारन्टी कर देनी चाहिये, इसमें ऐसा नहीं किया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अब देश में शूद्र कौन रह गया है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों से है।

ग्यारहवां पोइन्ट में यह रखना चाहता हूं कि जो मिनिस्टरों का बटालियन हमारे प्रान्त में है उसको कम कर दिया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : 'शूद्र' शब्द को एक्सपन्ज कर दिया जाना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १२ वीं बात है कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक ही तरीका हो सकता है कि शासक दल के लोगों को, सरकारी नेताओं की और सरकारी अधिकारियों की विगत दस, बारह साल की आमदनी की खुली जांच करवाई जावे और फिर यह देखा जावे कि ये कारें, ये बंगले या शान-शौकत कहां से आ गई, मामूली एक विजली की दूकान करने वाला व्यक्ति लाखों की सम्पत्ति का धनी कैसे बन गया ?

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, I protest about his sweeping remarks, vague remarks. न तो यह बताया कि किसने लाख रुपया बना लिया। केवल स्वीपिंग रिमार्क कस दिया। मेरे ख्याल से इस तरह के रिमार्क कसने की इजाजत देना बहुत गलत परम्परा होगी और मैं उसका प्रोटेस्ट करता हूं। जांच हो, इसका मैं पक्षपाती हूं; लूज टॉक की जावे इसका मैं प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनका बैंक बैलेन्स फिर आप ही बता दीजिये न, कि किस तरह से बढ़ गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I protest like anything and I take exception to his remarks.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप कुछ भी कहिये। ऐसी फ्लैटरी करने से मिनिस्टरी में कुर्सी आपको नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैं अपने ११ वें सूत्र में रख चुका हूं कि जो मिनिस्टरों की एक बटालियन बन गई है उसमें ५० प्रतिशत कटौती शीघ्र की जाये।

अब १३ वां सूत्र रखना चाहूंगा; यह दामों की लूट समाप्त करने के लिये है। जब फसल आने को होती है तो किसानों के लिये उनकी प्रोडक्ट की कीमत घट जाती है; गेहूं १४),१५) रु. मन हो जाता है। अब धीरे धीरे जाकर बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहां वह जमा हो जाता है तो फिर उनके दाम बढ़ने लगते हैं। बीस-बीस, बाईस-बाईस, पच्चीस-पच्चीस और अट्ठाईस-अट्ठाईस तक गेहूं और दूसरे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि ७०० करोड़ का मुनाफा कुछ लोगों के पेट में प्रति वर्ष चला जाता है। राज्यपाल के भाषण में इतना अहम मसला जो आना चाहिये था, नहीं आया।

चौदहवां सूत्र है, लोक भाषाओं का प्रचलन हो व अंग्रेजी को अविलम्ब दफना दिया जावे; क्योंकि यह अंग्रेजों के जमाने की गुलामी की निशानी है—प्रान्तीय भाषाओं में काम हो प्रान्त में।

पन्द्रहवां सूत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सही माने में अगर समाजवाद लाना चाहती है तो उसे अविलम्ब यह घोषणा कर देनी चाहिये कि जिनके पास छः एकड़ से कम जमीन है या छः एकड़ की जोत का जो किसान है उससे लगान नहीं लिया जावेगा। सरकार उसे लगान माफ करती है।

१६वां सूत्र है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Point of clarification, Sir ये तो चौथे पर ही चल रहे थे, १६ कहां से आ गये ?

श्री अध्यक्ष : १६ तक पहुंच गये हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १६ वें स्थान पर निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमें देश की रक्षा करनी है विदेशी हमले से और अगर हिफाजत करनी है और ईमानदारी से करनी है तो यह नहीं हो सकता कि गरीब किसानों के लड़कों को वेतन का लालच देकर फ़ौजों में भरते हैं और उनकी गरीबी का लाभ उठा कर उनके सिर कटवाते हैं। इस तरह से वेतनभोगी लोगों के भरोसे पर हम देश की रक्षा से निश्चिन्त नहीं हो सकते। हमें लोक सेना बनानी होगी। १५, २५ और २६ साल का कोई भी देश का नागरिक हो; गरीब हो, अमीर हो, जो हृष्ट-पुष्ट है उसे अनिवार्य रूप से जबरदस्ती लोक सेना में लिया जावे, फिर वह लड़का चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, रानी का हो, राजा का हो, सेठ का हो, साहूकार का हो किसी का भी हो, ताकि सही माने में लोक सेवा का निर्माण हो सके। आज की इस वेतन भोगी सेना से काम नहीं चलेगा।

सतरहवें स्थान पर निवेदन करूंगा कि राजस्थान मे धौलपुर, गंगानगर वगैरह इलाकों में जो डाकुओं की समस्या है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह स्थान कौनसा है ? कितने स्थान तक जावेंगे वे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाकुओं की समस्या का उन्मूलन करने के लिये सरकार को शीघ्र ही प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये थे। पर इसका कोई उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं है।

१६ वें स्थान पर कहना चाहूंगा कि कम से कम बेरोजगारों की समस्या को जो निरन्तर बढ़ती जा रही है, हल करने के लिये सरकार को कम से कम अपनी यह नीति बना कर चलना चाहिये कि या तो सब को जरूर वह काम दे, या बेकारी का भत्ता उनको दे। इस प्रकार की नीति के अविलम्ब घोषणा किये जाने का कोई उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं है।

मैं बीसवें स्थान पर कहूंगा कि न्याय व्यवस्था सस्ती, सुलभ और शीघ्र होनी चाहिये और इसके लिये कम से कम हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में आनी चाहिए, जिससे किसानों को जल्दी से और सस्ता न्याय मिल सके।

मैं २१वें स्थान पर निवेदन करना चाहूंगा कि आज कल जब कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में संकटकालीन जो स्थिति है या उसके अन्तर्गत बनाये गये जो नियम-उपनियम हैं उनको अविलम्ब समाप्त कर दिया जाय ताकि देश में स्थायित्व की भावना आ सके और दुश्मनों का सामना करने की तैयारी की जा सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): २१ वीं धारा के अनुसार अब लड़ाई खत्म हो चुकी है आपकी, इसका यह मतलब है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सही माने में देश को बचाना है, सही माने में देश में समाजवाद लाना है, अगर सही माने में विदेशी दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ना है, उनका सही माने में मुकाबला करना है तो मैंने जो थोड़े स्थान बताये हैं, जो सूत्र बताये हैं उन पर चलना ही होगा और चूंकि इन बातों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी कोई

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
उल्लेख नहीं है इसलिये मैं नहीं समझता कि किस आधार पर उनको धन्यवाद दिया जाय। हां, सिर्फ एक बात की उनकी मैं कद्र करूंगा जो उन्होंने कही है और वह है सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की बात। उनकी यह बात उचित है, बाकी का तो तमाम भाषण बेकार है। इसलिये उनको धन्यवाद देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीराम।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, २१ सूत्रों की बात में समय काफी ले लिया माननीय सदस्य ने, तो क्या समय बढ़ाया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बहस कब तक चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : १.२० बजे तक।

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर बड़ा संकोच होता है कि हम अपने देश की विदेशी नीति पर यहां कोई चर्चा करें। पर कल अलवर से आनेवाले कम्युनिस्ट सदस्य ने करीब एक घंटे तक इस पर चर्चा की। मैं इस विषय को यहां का विषय नहीं मानता। पर चूंकि बहस हो गई है इसलिये अपने भी कुछ विचार इस पर प्रकट करना चाहता हूं।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन्होंने जो भाषण दिया उसमें ज्यादातर समय इस बात पर लगाया कि सदन को यह बताया जाय कि इंगलैंड और अमेरिका दोनों देश बड़े खराब हैं और वे हमारी मदद करने के बहाने हमारी आजादी को हड़पना चाहते हैं। मैं इस तरह के विचार को कतई ठीक नहीं मानता। उनका जो कुछ भी व्यवहार इस दर्मियान रहा है देश के प्रति, वह अच्छा रहा है। उन्होंने हमारे संकटकाल में बिना किसी शर्त के हमारी मदद की है और जब कि हमारे बेशर्म पड़ौसी दुश्मन के अचानक भयानक हमले से हम घबराये हुए थे, ऐसे वक्त में उन्होंने हमें हथियार देकर मदद की; यह हम लोग जो रेडियो सुनते हैं अच्छी तरह से जानते हैं। पर उन्होंने अपने सारे भाषण में इस तरह की बातें कहीं मानो कि वे हमारी आजादी को छीनना चाहते हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि वे यह बात किस आधार पर कह गये।

उन्होंने एक बात पढ़ कर सुनाई कि राजगोपालचारीजी यह बात कह रहे हैं कि हमें अपनी आजादी तो खोनी ही है, अब उसे चाहे चीन की टैंकों के सामने खोवें या अंग्रेज और अमेरिका की मदद लेकर और उनके खेमे में जाकर खोवें। मैं समझता हूं कि यह बात सत्यता से कोसों दूर है। राजाजी देश के या सरकार के कोई अधिकृत वक्ता नहीं हैं। और कई लोग जैसे अपनी बात कह सकते हैं वे भी कह सकते हैं। वे कोई अधिकारी नहीं हैं। उनका कहना गलत है। राजाजी के कहने के हम जिम्मेदार नहीं हैं।

इसके अलावा उन्होंने यह बात कही कि इंगलैंड से हम लोगों ने बहुत कुर्बानियों के बाद आजादी ली है, बड़ी यातनाएं सही हैं। ठीक बात है, जहां तक आजादी लेने का और कुर्बानियां करने का सवाल है बहुतसों ने कुर्बानियां की हैं। पर आज तो देश को खतरा चीन से हो रहा है, अंग्रेजों से और अमेरिका से नहीं हो रहा है। फिर आज अमेरिका का तो दुनिया में कोई कहीं कॉलोनी

(श्री घासीराम यादव)

तक नहीं है। फिर अंग्रेज भी आज हमें ही केवल आजादी देकर नहीं गये, दुनिया में जहां जहां भी उनके साम्राज्य थे वे वहां से भी चले गये हैं और धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में सदन में बातों की आड़ लेकर उनको इस तरह से पेन्ट करना कि वे हमारी आजादी के दुश्मन बन कर आ रहे हैं उचित नहीं है।

एक बात और उन्होंने कही कि अगर हम इंगलैंड की मदद भी लेंगे तो भी क्या कर लेंगे, इंगलैंड की मदद लेकर कोरिया या वियटनाम ने क्या कर लिया ? मैं नहीं समझ सका कि इससे वे क्या साबित करना चाहते हैं ? क्या उनको इस बात की तकलीफ है कि हम चीन के शिकार क्यों नहीं हो गये या चीन के झगड़े के समय उन देशों ने हमें मदद क्यों दी ? उनके मन की बात मैं समझ नहीं सका। यह ठीक है कि जहां तक किसी भी ब्लाक में जाने का सवाल है हम किसी भी ब्लाक में जाना नहीं चाहते, न वेस्टर्न ब्लाक में हमें मिलना है न ईस्टर्न ब्लाक में। हमें अपनी तटस्थता की नीति पर दृढ़ता से चलते हुए अपने देश को सशक्त बनाना है। पर जिन्होंने हमारी आड़े वक्त में मदद दी उनकी इस तरह से बुराई हमें नहीं करनी है। यह ठीक नहीं है।

(१.० म. प.)

उन्होंने यह बात भी कही कि स्वेज कैनाल के अन्दर एक झगड़ा हुआ तो प्रेशर पड़ा और प्रेशर से इग्लैण्ड और फ्रांस वहां से चले गए। यह ठीक है, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि वह प्रेशर सबसे बड़ा अमेरिका का था। अमेरिका एक नॉन-कॉलोनियल देश है, अमेरिका की कोई कॉलोनी नहीं है। इसलिये इन देशों की निन्दा करें, यह सराहनीय बात नहीं है। मैं कहता हूं कि उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आज हमारी मुसीबत में मदद की, इसलिये हम उनके शुक्रगुजार हैं। यह ठीक है कि हमें नान-अलाइनमेन्ट की पॉलिसी रखनी चाहिए, लेकिन उनकी बुराई भी तो नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सारे राजस्थान में आज तरक्की हो रही है, राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था और आज बहुत आगे चल रहा है। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारा जो अलवर का इलाका है यह किसी जमाने में बहुत फारवर्ड इलाका कहलाता था। सबसे ज्यादा एजुकेशन का पर्सेन्टेज हमारे यहां राजस्थान में इस समय अलवर में है, क्योंकि यह दिल्ली के पास पड़ता है, लेकिन आज ऐसी हालत है कि यह सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाका बनता जा रहा है। पंजाब में बिजली आ गई, राजस्थान में बिजली आ गयी, कोटा में आ गयी, लेकिन अलवर एक ऐसा इलाका है जिसमें कि बिजली नहीं आ रही है। हम इसके लिए तीन साल से मांग कर रहे हैं कि अलवर में भाखरा की बिजली आनी चाहिए पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर हम यहां पर भाषण देते हैं, अपने यहां की तकलीफें आपके सामने रखते हैं तो हमारे भाषणों का कोई तो मतलब निकलना चाहिये। राज्य सरकार इस बात का जवाब दे कि वह हमारे इलाके में बिजली क्यों नहीं देती ? मुझे मालूम पड़ता है कि कुछ रुपया तो इसके लिए मंजूर भी कर रखा है लेकिन उसमें लगता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा हमारे यहां कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे रोजगार बढ़ सके। हमारे

(श्री घासीराम यादव)

यहां कोई नहर नहीं बनी, मेजर इरिगेशन का कोई काम नहीं हुआ। एक मीडियम इरिगेशन की स्कीम है, परन्तु वह भी ज्यों की त्यों पड़ी है। इसको दूसरे, तीसरे प्लान में रखा जाता है लेकिन पता नहीं, क्यों नहीं इसको किया जाता है ? इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये हाउस से कि हमारे यहां अलवर जिले में सबसे ज्यादा कुएं हैं। वैल इरिगेशन से बिजली का बहुत ताल्लुक है। अगर कुओं पर बिजली दी जाय तो हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। जिस इलाके में कुएं नहीं हैं वहां बिजली को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी वहां मिलनी चाहिए जहां कि कुए ज्यादा हैं। इससे हमारे यहां एजुकेटेड अनएम्प्लायमेन्ट होने की वजह से उनको रोजगार भी मिलेगा।

इसके अलावा मैं इन्डस्ट्रीज़ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इन्डस्ट्री भी अलवर में कोई नहीं है। अलवर में इन्डस्ट्री नहीं होने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि वहां पर बिजली नहीं आ रही है। बिजली के नहीं होने के कारण हमको बहुत तकलीफ होती है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हमारे खेतों में से बिजली जाती है और हमको नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण यह बताते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है। परन्तु मैं एक बात कहता हूं कि जब राजस्थान को इतना रुपया मिलता है तो हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिले ? बिजली की तकलीफ बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि इस साल तो कम से कम हमारे बोर्डर के एरिया में तीन-चार तहसीलों में बिजली पहुंचा दें ताकि हम यह उत्तर तो दे सकें कि हमको बिजली मिल गयी। पंजाब के एरिया में जो कि हमारे एरिया से बिल्कुल मिले हुए हैं काफी बिजली है। वहां की बिजली तो चलती रहती है और राजस्थान में अंधेरा रहता है, बल्कि बिल्कुल साफ मालूम पड़ जाता है कि यह पंजाब है और यह राजस्थान है। हमारा कुसूर सिर्फ इतना है कि हम राजस्थान में हैं; वर्ना जमीन वही है, खेत वही हैं। इसमें लोकेशन का कोई कुसूर नहीं है, कुसूर तो इस बात का है कि हम राजस्थान में हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का बहुत अनुरोध करता हूं कि बिजली जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है।

दूसरी बात हाई कोर्ट . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसका मैं विरोध करता हूं; क्योंकि उसमें हमारे सैनिकों के लिये हमारी राजस्थान सरकार ने एक लाख एकड़ जो भूमि रखी है, मैं समझता हूं कि पहले भी हमारे सैनिकों के लिये हमारी राजस्थान सरकार ने भूमि रखी थी, लेकिन जिन सैनिकों ने लड़ाई में काम किया उनमें अधिकतर ऐसे आदमी हैं कि जिनको भूमि नहीं मिली है। मैं निवेदन करूंगा कि जो जो भूमि सैनिकों के लिए रखी जाती है वह उन्हीं को मिलनी चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि पहाड़ी व्यक्ति रहते हैं और पहाड़ी आदमी हमेशा हाइट में छोटे होते हैं। जैसे दूसरे पहाड़ी इलाकों के आदमी हैं उनकी हाइट कम होने पर भी ले लिया जाता है उसी प्रकार मेवाड़

(श्री जोधसिंह चौहान)

के व्यक्ति क्योंकि पहाड़ी इलाके के रहनेवाले होते हैं और उनकी हाइट कम होती है इसलिए उनको भी लड़ाई में भर्ती करते समय छूट होनी चाहिए। इस प्रकार से वहां के लोगों को लड़ाई में भर्ती होने की सुविधा मिल जायगी और वहां के आदमी भी लाभ उठा सकेंगे।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार लद्दाख और दूसरे पहाड़ी इलाके के लोगों को सुविधायें दे रखी हैं उसी तरह से मेवाड़ के लोगों को भी सुविधायें मिलनी चाहिए। अभी एक सैनिक भाई लद्दाख से आये थे और वे बीमार थे। वहां से आते समय जब वे दिल्ली आये तो रेलगाड़ी में बैठने के लिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि एक सीट का रिज़र्वेशन चाहिए तो स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि फौजी सिपाहियों के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि फौजी अफसरों और सिपाहियों के लिए रेलों में खास तौर से प्रावधान होना चाहिए। वह बीमार सैनिक जब स्टेशन पर पहुंचा तो उसको रिज़र्वेशन के लिए मना कर दिया गया, तो उसने कुली से कहा कि मैं तुमको इनाम दूंगा, तुम मेरे लिए रिज़र्वेशन करा दो। फिर उस आफिसर के लिए सीट का रिज़र्वेशन हो गया। मैं कहता हूं कि इस आपत्तकाल में भी हमारे लोग इस प्रकार का खराब चरित्र रखते हैं उनको कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

मैं साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और राजस्थान में अधिकतर ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज हैं जहां कि राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे हैं, यह जनतंत्रवाद के खिलाफ है। इससे क्या होता है कि प्रशासक अपनी मनमानी करते हैं। उदयपुर नगर में एक बड़ा भारी स्थान था, जिसको व्यापार मण्डल को दे दिया हमारे प्रशासक ने और हमारे सफेद हाथियों ने मिलकर उनसे संधि कराई और हजारों की जमीन थी वह कुछ ही रुपयों में दे दी गयी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): किसने दे दी ?

श्री जोधसिंह चौहान : प्रशासक ने।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसको ?

श्री जोधसिंह चौहान : व्यापार मण्डल को।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर कई तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति को ठेका दिया जाता है, दूसरे को नहीं देकर उनको ही, जो कि उनके खास आदमी होते हैं, ज्यादा रेट पर ठेका दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रशासक हैं वे अपनी मनमानी करते हैं और जनतंत्रवाद का गला घोंटते हैं। जब कि आज के समय में पार्लियामेन्ट और विधान सभाओं के चुनाव हो रहे हैं तो राजस्थान के अन्दर म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव क्यों नहीं होते हैं ?

इसके अलावा एक बात और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऋण दिये जाते हैं उनका दुरुपयोग होता है। एक नाथू नाम का व्यक्ति है। उसको ऋण के लिए कभी ३,०००) रुपये नहीं दिये, फिर भी उसके नाम पर रुपये निकल रहे हैं। इसी तरह से भील लोग हैं उनको ऋण नहीं दिया गया,

(श्री जोधसिंह चौहान)

फिर भी उनके नाम पर चंपा जा रहा है। आये दिन घोटाले हो रहे हैं। इसी तरह से कोटला में एक व्यक्ति से ऋण की रकम वसूल करने के लिये गये। उन्होंने उस व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा और कहा कि तुम ऋण नहीं दोगे तो तुमको मार दिया जायेगा। वह बेचारा बहुत घबराया और वह रात में ही मर गया। यह खबर 'नव भारत टाइम्स' में भी है। इसकी जांच होनी चाहिये कि इस व्यक्ति को किसने मारा, क्यों मारा ?

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य जिस ऋण के लिए कह रहे हैं तो वे बतायें कि यह कौन सा ऋण है ? पंचायत समिति द्वारा दिया जाता है वह ऋण है या कोई और है ? इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक आदमी को मार डाला तो उस आदमी को किसने मारा, क्या सर्कमस्टान्सेज़ थी; ऐसे जो चार्जेज़ हैं उनको सब्स्टेन्शियेट करना चाहिए ?

श्री जोधसिंह चौहान : मेरे पास एक कटिंग है। रामा नाम का एक व्यक्ति मारा गया उदयपुर की कोटड़ा तहसील के लुहारिया ग्राम में।

इस प्रकार मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कई भ्रष्टाचारी हैं उनको रोकना चाहिए। हमारे यहां कई असुविधाएं हैं उनको रोकनी चाहिये। राज्यपाल महोदय ने मजदूर यूनियन की जांच के लिये एक कमेटी बनाने की बात कही है, उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां उदयपुर में मजदूरों की एक यूनियन है, वहां बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए मैंने माननीय मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था, उनकी यूनियन वाले भी उनसे मिले थे; लेकिन अभी तक वहां घोटाला है। एक बेचारा मजदूर टी. बी. का मरीज था। वह हास्पिटल में दाखिल था और हास्पिटल में इस प्रकार की सुविधा मिलती है कि उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है ! आये दिन इस तरह से तंग किया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और इस विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसकी जांच होनी चाहिए। उनके लिए सहूलियत होनी चाहिए। बूंदी से आने वाले मेरे मित्र ने कहा था कि इन्टक के मजदूरों ने हमारी सेना के लिये काफी दान दिया था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि उदयपुर में कॉटन मिल है। वहां पर इन्टक बनी हुई है। वहां पर आपस में लड़ाई के कारण एक व्यक्ति मारा गया था। उसके लिये भी मैंने निवेदन किया था। अब क्या हुआ कि आपस में घोटाले के कारण जो इन्टक की समिति बनी हुई है उसने पैसा देने से इन्कार कर दिया; क्योंकि वे पैसा खा गये, मिल मालिक से पैसा खा गये। इसलिये इस कारण से लोगों ने चन्दा देना बन्द कर दिया। यह उनकी हालत है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की हालत सुधार नहीं सकते, मजदूरों के हितों का पालन नहीं कर सकते तो फिर क्यों ढोंग करते हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि मजदूरों को जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: श्री केसरीसिंह।

श्री केसरीसिंह (पाली): अध्यक्ष महोदय, जो समय अब उपलब्ध है उसमें कोई बात विस्तार से नहीं कह कर मैं सिर्फ एक, दो कान्क्रीट सजेशन्स ही सामने रखूंगा। चाइना के हमले से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए यह सारा बताया जाता है कि डिफेन्स के लिये पूरी पूरी तैयारी की जाय और इकोनोमिक और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पूरा पूरा हो साथ साथ। अब इसमें बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी सारी बातों को छोड़ कर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के विषय में मैं यह अर्ज करूंगा कि जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैन्ड रिफॉर्म्स सरकार द्वारा लागू किये गये हैं उनका कैसा, क्या इम्पेक्ट हुआ है काश्तकारों पर और उसको लेकर पर-एकड़ प्रोडक्शन पर क्या असर हुआ है, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये।

पिछली बार मैंने कन्सोलिडेशन के विषय में अर्ज किया था। मुझे खुशी है कि सरकार ने यह बात मंजूर कर ली है कि आयन्दा कन्सोलिडेशन वहीं किया जायगा जहां पंचायतें या पंचायत समितियां प्रस्ताव करके भेजेंगी कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां कन्सोलिडेशन किया जाय। इसकी मुझे बहुत खुशी है।

अब प्रश्न रहता है सीलिंग और अन्य भी कई रिफॉर्म्स जो हैं उनका। उस विषय में मेरे जनसंघ के एक मित्र ने बहुत ही आग्रहपूर्वक कहा था कि सरकार जल्दी से जल्दी क्यों नहीं सीलिंग लगाती है? मुझे अफसोस है कि उनको काश्तकारी और काश्तकारों के हालात ठीक ठीक मालूम नहीं हैं। काश्तकार लोग जो चाहते हैं वह बिल्कुल दूसरी बात है। इस विषय में जो रेवेन्यू लॉज़ कमीशन मुकर्रर किया गया था वह इसलिये कि इन लॉज़ का इम्पेक्ट क्या है काश्तकारों पर उसको स्टेडी करे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे कि कहां पर कायदे-कानून में तब्दीली होनी चाहिए या हेरफेर होना चाहिए। वह जो कमीशन था उसने एक क्वेश्चनेयर निकाला और सब पंचायतों के पास भेजा और जवाब भी मांगे और ये सारी बातें जो हैं उनके आधार पर कोई निर्णय लिया जाता तो ठीक होता। मुझे अफसोस है कि एमर्जेन्सी आने पर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि कमीशन को रिवाइव किया जाय, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण और काश्तकारों से ताल्लुक रखने वाला है। सारे विचार काश्तकारों के रेवेन्यू कमीशन के सामने आयेंगे और फिर जो भी निर्णय होगा वह वास्तव में एग्रीकल्चर को बढ़ाने में कारगर होगा। ये रिफॉर्म्स कैसे हैं उस विषय में श्री पंजाबराव देशमुख, जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था। मैं उसकी दो, एक लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने १३ फरवरी को त्रिवेन्द्रम में कहा है: –

"Agrarian reforms have done only harms and no good to the country."

आगे उन्होंने कहा है:

"Production had been hampered. Agriculturists were indifferent to cultivation and investment was shy. This was the outcome of the Reforms."

ये उन्हीं के शब्द हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हुए हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है सोच-समझ कर ही कहा होगा। इस बात पर भी गौर फर्माया जाय।

(श्री केसरीसिंह)

एक बात और अर्ज करूंगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंह जी ने बताया कि पक्षपात बहुत है। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी द्वारा तरह-तरह के ऑप्रेशन (Oppression) होते हैं। कई जगह जहां लोकल बोडीज में गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, रूलिंग पार्टी का सपोर्ट होता है तो पदस्थ जन-प्रतिनिधि मनमाना अन्याय कर सकते हैं। यदि रूलिंग पार्टी का सपोर्ट नहीं होता है तो स्वयं उनके प्रति अन्याय कर दिया जाता है। इसी तरह का अन्याय गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के साथ में हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जितनी भी गैरवाजिब बातें होती हैं उनको मिटाने के लिये सचमुच में गवर्नमेंट का इरादा हो कि ये अन्याय मिटें तो मैं एक कॉन्क्रीट सजेशन अर्ज करता हूं। पिछली बार भी मैंने इस ओर संकेत किया था और इस बार फिर अर्ज करता हूं। मेरे ख्याल से स्टेट लेवल पर एक हाई कोर्ट के जज की चेयरमैनशिप के अन्दर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिये, जिसमें कम से कम ३ या ५ मेम्बर्स हों, जिनको एम. एल. एज. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के हिसाब से चुनें जिससे कि उसमें रूलिंग पार्टी के अलावा भी एक-दो सदस्य दूसरे आ सकें। तो इस संबंध में जितनी भी बातें उनके सामने आयेंगी तो कानूनी दृष्टिकोण से जो हाईकोर्ट के जज हैं वे उस चीज को देख सकते हैं और ये जो ५ अन्य सदस्य होंगे वे फेक्चुअल दृष्टिकोण से एसेसर्स की तरह पर काम कर सकते हैं। यह तो स्टेट लेवल पर हो, जो कि अपीलें सुने, ऐसा ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जिले में होना चाहिये, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन्स जज की हैसियत के जो जज हैं वे उसके चेयरमैन होंगे और वहां पर भी ५ सदस्यों को चुना जाय, जिनके लिये इलेक्टोरेट जितनी भी पंचायत समितियां हैं एक जिले में उनके जितने मेम्बर्स हैं उन मेम्बर्स के द्वारा ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के सिस्टम से वे ५ आदमी चुने जायं, जो कि एसेसर्स के तौर पर काम कर सकते हैं और सेशन्स जज उसका चेयरमैन रहे। अब यह कहा जा सकता है कि हरेक डिस्ट्रिक्ट में एक-एक सेशन्स जज मुकर्रर करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रेजेन्ट जज हैं उनको यह काम सम्हलाया जाय तो यह इतना एडीशनल वर्क होगा और वे शायद उससे कोप-विथ नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि १, २ या ४ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक ऐसा जज नियुक्त किया जा सकता है जिस तरह आर. टी. एज. हैं उनमें चेयरमैन हावा साहब सब जगह के लिये एक ही हैं और दूसरे मेम्बर्स अलग अलग हैं उसी तरह से इसमें भी पांच, पांच सदस्य पंचायत समितियां जितनी भी जिले में पड़ें उनके मेम्बरों द्वारा चुने जाने चाहियें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन सिस्टम से और एक सेशन्स जज की हैसियत का व्यक्ति उसका चेयरमैन हो यह सुओ मोटो भी और किसी की दर्ख्वास्त आवे उसके बिना पर भी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म से पैदा हुए करप्शन से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गडबड़ियां हों उनकी जांच करें। इसको वाइड पॉवर्स होनी चाहिये, जिससे कि वह काम कर सके और यह जो चीज है, एन्टीकरप्शन पुलिस है वह पूर्ण रूप से इस सिस्टम के नीचे काम करे; वह एग्ज़ीक्यूटिव के नीचे से हटा दी जाय। इस सारे सिस्टम पर अन्तिम नियन्त्रण हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का होना चाहिये। आज

(श्री केसरीसिंह)
जुडीशियरी ही ऐसी चीज़ रह गई है जो सिटीज़न्स के राइट्स की रक्षा कर सकती है। मेरे विचार इतने क्लीयर और डिटेल्ड (clear और detailed) नहीं हैं लेकिन कोई कमेटी अगर इन्हें वर्क-आउट करे तो मुझे उम्मीद है ये सुझाव उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से चाहते हैं कि क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में आवे तो कम से कम इन पर गौर तो करना ही चाहिये और यथासंभव हो अमली रूप भी देना चाहिये। मुझे यही दो बातें अर्ज करनी थी।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सदन से जब इस अधिवेशन में हम मिले उसके दर्मियान माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में कहा है और जिसमें उन्होंने इस बात को बताया कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर आये हुए जिलों में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन, ख़ास तौर से डकैतियों के कुछ वाकयात ज्यादा हुए हैं और राजस्थान के दूसरे इलाकों में स्थिति नोर्मल रही है।

सदन में माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए हमारे पुलिस विभाग के बारे में जो ध्यान हमारा आकर्षित किया है उसके लिये तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और उनकी यह दिलचस्पी इस विभाग में और लॉ एण्ड ऑर्डर में बनी रहे, जिससे हमको आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहे।

हमें इस बात का खेद है कि एमर्जेन्सी, संकटकालीन स्थिति घोषित होने के बाद में हमारे पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कुछ डकैतियों की घटनाएं हुई। आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे और माननीय सदस्य जो उन इलाकों की तरफ से सदन में प्रतिनिधित्व रखते हैं उनको इस बात का अनुभव है कि ये डकैत जो हमारी सीमा पर काम करते हैं उन्हें पाकिस्तान की भूमि में और पाकिस्तान के इलाके में शरण मिलती है। मैं यह कहना चाहता नहीं कि इसमें पाकिस्तान सरकार का कितना हाथ है, लेकिन यह बात अवश्य है कि वहां की पुलिस उन लोगों के बावजूद हमारे कई दफ़ा कहने पर, बावजूद हमारे भारत सरकार के ज़रिये उनको एप्रोच होने के, बावजूद हमारी और उनकी पुलिस के बीच जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर मुलाकात और मीटिंग्ज़ होती हैं बोर्डर पर, वह होने पर भी अब तक जितना उनके दिमाग़ में परिवर्तन आना चाहिये था और जो सहयोग एक पुलिस विभाग को दूसरे से मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है; क्योंकि ये डकैत पाकिस्तान में पनाह पाते हैं और यहां पर डकैतियां करके वहां चले जाते हैं। खास कर माननीय सदस्यों को मालूम है कि राज्य सरकार की मौजूदा नीति डकैतों के सम्बन्ध में साफ है और इस सदन के शुरुआत में मैंने चर्चा की थी कि हम डकैतों को किसी तरह से पनपाना नहीं चाहते और हम डकैतों को पूरी तौर से हमेशा के लिये खत्म करना चाहते है; लेकिन यह दुःख की बात है कि जो पाकिस्तान में शरण लेने वाले डकैतों के गेंग हैं वे जगमाल, विजयसिंह या भाटी गेंग हों चाहे अजीतसिंह, चैना, शेरखां का गेंग हो, ये जितने गेंग काम करते हैं बाड़मेर से गंगानगर तक उनका एक्शन होता है; ये गेंग आज नये पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि पुराने हैं। कोई १० साल से ऑपरेट कर रहा है, कोई ५ साल

(श्री मथुरादास माथुर)

से ऑपरेट कर रहा है और ये सब पाकिस्तान में शरण पाते हैं। हमने शुरूआत में फैसला किया और जब यह सदन बना, मौजूदा सरकार बनी, हमने इसका फैसला किया और बाड़मेर में भाटी गैंग को लिक्विडेट करने के लिये एक एक्शन स्टार्ट किया था जिसका ज़िक्र सदन में कई दफ़ा हो चुका था, लेकिन यह एक्शन माननीय सदस्यों के कहने से रोकना पड़ा। मुझे दुःख है, जितनी कामयाबी हासिल करनी चाहते थे वह नहीं कर पाये। लेकिन उस वक्त यदि उसको तेज़ी से चलाया जाता और आज तक चालू रखा जाता तो मुझे उम्मेद थी कि भाटी गैंग लिक्विडेट हो जाता। मैं आज सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर व जैसलमेर के इलाकों में जितनी डकैतियां हुई हैं और करीब करीब १४, १५ डकैतियां हुई इन तीन महीनों में और उसमें जिस गैंग का ज़िक्र किया उनको निर्मूल करने का हमने निश्चय ही नहीं किया है; बल्कि मुक़ाबला दो महीनों से उनके साथ हो रहा है। उनमें से कई गिरफ्तार हुए हैं, कई मारे भी गये हैं। उनको हार्बर करने वाले जो हिन्दुस्तान की सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनका चालान किया गया है और साथ ही साथ ऐसे लोग जो स्मेगलर्स और डकैतों को हार्बर करेंगे, उनको शरण देंगे, हिस्सा लेते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और करीब १०-१२ आदमी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट की धारा ३० ब. में नज़रबन्द किये हैं। ये सब कदम उठाये हैं। पुलिस दल बहुत ज्यादा रखा है, कई चौकियां एन्टी-डकैती की बनाई हैं और केवल बनाई ही नहीं हैं; बल्कि हमने उनको बहुत साधन दिये हैं, काम्युनिकेशन के, जीप, ट्रान्सपोर्ट, ऊंट दिये हैं और जितनी जरूरत होनी चाहिये इन डकैतों का मुकाबला करने के लिये, राज्य सरकार ने इस इमर्जेन्सी में खर्चा होते हुए भी ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of order, Sir,......

श्री अध्यक्ष : Please dont interrupt like this.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्षजी, यह सब कदम उठाने के बाद हमने वहां पर जो ऑफिसर इस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाये थे उनके खिलाफ़ कदम भी उठाये हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई पुलिस कर्मचारी यदि हौसले और हिम्मत से डकैतों के मुक़ाबले का काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त क़दम उठाया जायगा। इन सब कार्यवाहियों से हमने कुछ नतीजा भी पिछले दो महीनों में निकाला, जिसका ज़िक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। कई डकैत पकड़े गये, कइयों का मुकाबला हुआ। उसमें पुलिस कर्मचारी भी कुछ काम आये, कुछ घायल हुए। यह सब होते हुए भी मैं इतना निवेदन करना पसन्द करूंगा कि हम लोगों ने, राज्य सरकार और पुलिस ने डकैतों के चैलेन्ज को पूरे तौर पर जवाबदारी से स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप जनवरी और फरवरी के महीने में बाड़मेर में एक भी डकैती नहीं हुई, जैसलमेर में नहीं हुई। बीकानेर में चार-पांच हुई हैं और गंगानगर में भी जनवरी और फरवरी में डकैतियों का नम्बर कम हुआ है। लेकिन इन डकैत नेताओं

(श्री मथुरादास माथुर)

को जब तक गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं या मार नहीं पाते हैं तब तक हमेशा खतरा बना रहेगा कि कहीं फिर आकर हमारे यहां या पास के प्रदेश में फिर से वारदात न करें। उसके लिये हमने, जैसा कि निवेदन किया, पूरा-माकूल इन्तजाम किया है और करते रहेंगे।

बीकानेर से आनेवाले साथियों ने हमारा ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित किया था उनका आभारी हूं, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं, बीकानेर जिले में खास तौर से डकैतों का मुकाबला करने के लिये, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप गफलत में न रहें, हम डकैतों का मुकाबला करने के लिये किसी तरह से गफलत में नहीं हैं। डकैतों का मुकाबला करने के लिये जितने साधन और सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिये वह सामग्री और साधन हमने पुलिस को वहां पर दे दिये हैं और वक्त आने पर और कोई जरूरत की सामग्री मांगी जायगी तो उसे भी देने के लिये हम तैयार हैं। हमारे यहां खास तौर पर बीकानेर जिले के अन्दर इस पुलिस की तादाद जो पहले से थी अब उसमें ३०० आदमी और ज्यादा एन्टी-डैकोइटी के काम में लग रहे हैं और उनके पास पूरे हथियार और साधन हैं, कॉम्युनिकेशन के लिये जीपें हैं, वायरलैस सैट्स हैं और हर एक चौकी पर जो ऊंट देने की बात थी वहां हमने दस ऊंट एन्टी-डैकोइटी पुलिस के लिये दिये हैं और वे उन्हें मिल चुके हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): वहां ऊंट नहीं मिले हैं।

श्री मथुरादास माथुर: आप वहां जाकर जानकारी कर लीजिये, ऊंट मिल चुके हैं।

यह ठीक है कि इतने बड़े पैमाने पर अच्छी किस्म के ऊंट खरीदे जांय, इसमें थोड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ऊंट मिलते जा रहे हैं, हम उन्हें चौकियों पर देते रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि बीकानेर एन्टी-डैकोइटी चौकियों पर ऊंट पहुंच चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: कल रात को पहुंचे हैं।

श्री मथुरादास माथुर: कल रात को नहीं, चार, पांच दिन पहले पहुंचे हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि तीन-चार चौकियों पर ऊंट नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब वहां भी पहुंच चुके हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह इन्फ़ॉर्मेशन ही काफी है कि तीन-चार चौकियों पर नहीं पहुंचे।

श्री मथुरादास माथुर: हमको, जो चौकियां थीं, उन पर दो सौ ऊंट भेजने की जरूरत थी। उन दो सौ में से १६० ऊंट पहले भेजे जा चुके हैं; बाकी के तीन-चार दिन पहले खरीद कर पहुंचा चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जीपें कितनी दी हैं?

श्री मथुरादास माथुर: किस जगह?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: बीकानेर जिले में जीपें कितनी दी हैं?

Page No.54

श्री मथुरादास माथुर: बीकानेर जिले में हमारी तरफ से जो जीपें पहले दी गई थीं, उनको एडीशनल तीन-चार जीपें और दी हैं। दस जीपें बाड़मेर, जैसलमेर को एडीशनल भेजी हैं। इसके अलावा जो आर. ए. सी. के पहले साधन हैं उनको एडीशनल जीपें भेजी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर में कितनी भेजी हैं?

श्री मथुरादास माथुर : गंगानगर अनूपगढ़ में ही है। वहां एन्टी-डैकोइटी चौकियों के लिये दस जीपें दी हैं। इसके अलावा वहां आर. ए. सी. की बटालियनें हैं, एक दूसरे से मिल कर उनकी जीपें भी काम में लाई जा सकती हैं। इस तरह अब जीपों की कमी नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब जो कदम उठाये हैं हमको उन कदमों से तसल्ली हुई है कि इन इलाकों के अन्दर डैकोइट्स का अब तक जो अपर हैंड लेकर चलते थे अब उनका अपर हैंड नहीं रहा है। अब बराबर उनका मुकाबला और एन्काउन्टर होते हैं। इस सदन के माननीय सदस्य, जो अखबार पढ़ते हैं, वे खबरें पढ़ते होंगे जो रोज आती हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो डैकोइट्स के लीडर हैं, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन कर दिया, उन्हें लिक्वीडट कर दिया हो। आज यह स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी से हम चल रहे हैं और जिस इरादे से हम चल रहे हैं उससे मुझे यह पूरी उम्मीद है सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग और आशीर्वाद से कि जो डैकोइट्स के लीडर्स हैं, उनको हम लिक्वीडेट कर पायेंगे। मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना जरूरी समझूंगा, जैसा कि कई दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि बोर्डर के अलावा भी हमारे यहां दूसरे जिलों में डकैतियां हुई हैं। इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि बाकी जिलों में स्थिति करीब करीब नॉर्मल रहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने वह बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि हमारे यहां भरतपुर में १९६०, ६१ व १९६२–इन तीन सालों में छः डकैतियों का औसत रहा है, जब कि पहले भी भरतपुर जिले में छः डकैतियों का औसत रहा है। इन पूरे साल भर में भरतपुर-धौलपुर में १६ डकैतियों का औसत पड़ता था, वे इस साल भी हुई हैं··

श्री रामकिशन (वैर) : इस साल ज्यादा हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ज्यादा नहीं हैं।

श्री रामकिशन : आप देख लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फीगर्स के आधार पर कहता हूं।

एक माननीय सदस्य : १६ डकैतियां हुई हैं। आपका मतलब है कि १६ डकैतियां होनी चाहियें?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : और बढ़ावा दें तो ठीक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : टार्गेट्स पूरे हो गये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस साल बहुत जबरदस्त डाके पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश न करें। आप

(श्री अध्यक्ष)
अपने ढंग से कहते जांय। इस ढंग से कभी बहस समाप्त नहीं होगी।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, हम नहीं चाहते कि किसी भी जिले में एक भी डकैती हो। यह किसने कहा? राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में नहीं कहा, राज्य सरकार ने भी नहीं कहा। यह बात कही गई है कि बोर्डर के अलावा भी डकैतियां बढ़ी हैं। बाक़ी की जगह नहीं बढ़ी हैं, यह उसके जवाब में कहा है। जितनी डकैतियों के फिगर्स नॉर्मली रहते थे उतने ही रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन इलाक़ों में डकैतियां हुई हैं, वहां पर डकैतों का मुक़ाबला हुआ है। उस मुक़ाबले में डकैत पकड़े गये हैं, उनका चालान किया गया है और भरतपुर-धौलपुर ज़िले के अन्दर, ख़ास तौर से धौलपुर के अन्दर इस वक्त पुलिस ने बड़ी होशियारी से काम किया है। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि पुलिस जहां कोई बुरा काम करे तो उसे अच्छा न कहें लेकिन जहां अच्छा काम करे, ऊंचे हौसले से पुलिस काम करे तो आपकी ज़ुबान से एक शब्द एप्रीसियेशन का निकलेगा तो उन्हें बल मिलेगा और पुलिस कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि अभी पिटारा में बड़ी डकैती हुई। मैं ख़ुद वहां गया था डकैती होने के बाद। वहां हमने तीन कम्पनीज़ भेजीं। उसके बाद मुकाबला होता रहा, लेकिन डाकू निकल गये। उन डाकुओं में से छः, सात डाकू पकड़े गये। उनका चालान किया गया है। इसके अलावा प्रोपर्टी भी पकड़ी गई है और औरतों को रेस्क्यू किया। वैसे डकैत अपनी किस्मत लेकर किसी इलाके में घुसते हैं, इतना बड़ा इलाका है। मैं ख़ास तौर पर निवेदन करूं, भरतपुर और धौलपुर इलाके और रेगिस्तान के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा था, चम्बल रेविन्स, अरावली की पहाड़ियों और रेगिस्तान के सैंड ड्युन्स ऐसी हैं, जिनके कारण हमें बड़ी कठिनाई होती है और डाकू पाकिस्तान में निकल जाते हैं। इधर चम्बल रेविन्स में चले जाते हैं और ख़ास तौर पर जब रेविन्स में चले जाते हैं तो उस वक्त उनका मिलना कठिन हो जाता है। फिर भी धौलपुर की पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस ने इन दो महीनों में जो काम किया है वह आप जानते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में रहने वाले जो माननीय सदस्य हैं, मैं उनसे पूछता रहा हूं और उनकी जो सलाह आती है उस पर भी ग़ौर करता रहा हूं। वह इसलिये कि हम चाहते हैं कि किसी तरह सब की इमदाद मिले और हम सब का पूरा सहयोग लें। मैं इस विषय पर सरकारी नीति साफ कर देना चाहता हूं कि धौलपुर में पांच-सात डाकुओं ने सरेन्डर किया है, कई डकैत आते हैं और हथियार डालते हैं। उन सारे मुक़दमों में तफतीश की गई है और फिर चालान किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की इस सम्बन्ध में नीति साफ है कि हम डकैती कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते और डकैतों को पूरी तरह से लिक्वीडेट करना चाहते हैं, चाहे पुलिस को कितनी ही कुर्बानी करनी पड़े और कितना ही नुकसान उठाना पड़े। हम इस नीति को लेकर चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे····

Page No.56

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अभी तो किस्मत डकैतों की जोरदार है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, अब तो उनकी किस्मत खराब हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् १९६७ तक खराब हो जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है कि कितने ही डाकू मारे गये हैं और कितने ही गिरफ्तार हुए हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि अब किसी तरह डकैत पुलिस पर हावी नहीं हैं। अब बराबर महीने, दो महीने से हर रोज़ समाचार प्राप्त हो रहे हैं; डकैत हार्बरर्स, स्मगलर्स में कमी हुई है और अलग अलग जो गिरोह हैं उनको पुलिस तेजी से साफ कर रही है। स्मगलिंग में भी काफी पकड़े गये हैं.........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि पुलिस के ऊपर डाकू हावी नहीं हैं, वे कब से नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हावी से मेरे मायने यह हैं कि जब इमर्जेन्सी हुई तो राजस्थान में डकैती के ऊपर डकैती हुई और डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सके, एनकाउन्टर नहीं कर सके, किडनेप्ड को रेस्क्यू नहीं कर पाये। मैं और बातों में नहीं जाना चाहता जो डकैतियों से सम्बन्धित नहीं हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पाकिस्तान बोर्डर पर जितने चार जिले हैं, उन जिलों में बीकानेर, बाडमेर में जो भी डकैती हुई थीं और जैसलमेर में जो हुई उनमें एक भी ऐसा किडनेप्ड नहीं है, जो पाकिस्तान की तरफ हो। सब को पुलिस की कोशिशों से या एन्काउन्टरों के जरिये या किसी तरह वापिस लाया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपका स्टेटमेंट है कि एक भी किडनेप्ड पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पूलेवाल डकैती में जो ले गये वह पाकिस्तान में है।

श्री मथुरादास माथुर: पूलेवाल गंगानगर में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अनोपगढ़ में है।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य थोड़े उतावले नहीं हों, मेरा स्टेटमेंट पूरा सुन लें.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करूं कि आपका सिपाही पाकिस्तान में है, जिसको जगमाल उठा ले गया।

श्री मथुरादास माथुर : सिपाही आ गया, आपको सूचना नहीं है, आपको गंगानगर छोड़े हुए कई दिन हो गये। हर रोज डाकू पकड़े जा रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में एक भी किडनेप्ड नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): वंशी को डाकू उठा ले गये, उसको वापिस लाये ?

श्री मथुरादास माथुर: मैं निवेदन करूं, आप सुनिये जरा।

गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के और मैं निवेदन करना चाहता हूं सिर्फ तीन-चार पूलेवाल डकैती के हैं, वे लौट कर नहीं आये हैं। बाकी सब पुलिस के जरिये वापिस लाये गये हैं,

(श्री अध्यक्ष)

यह नहीं कि डकैतों ने छोड़ दिया हो; व वापिस बरामद कर लाये गये हैं।

मैं........

श्री हरदत्तसिंह (नोहर): गंगानगर में ढिलाई क्यों रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : आ जायेंगे, वे भी आ जायेंगे, कोशिश चल रही है, ढिलाई नहीं है, पूरी कोशिश चल रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं एक बात की जानकारी चाहूंगा कि पुलिस पर.........

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस तरह से भाषण के समय प्रश्नों का सही तरीका नहीं है। यदि भाषण के दौरान में प्रश्न होते रहेंगे तो भाषण नहीं हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से अगर प्रश्न पूछेंगे तो न तो डिबेट चल सकेगी और न कोई काम होगा। माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। माननीय मंत्री को भी बोलने का मौका होना चाहिये। इस तरह से प्रश्न होते रहे तो भाषण नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): बजट पर बोलने को काफी समय मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : अब मैं आर्म्स के लाइसेन्स के बारे में सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां आर्म्स का प्रश्न है वह आर्म्स एक्ट के मातहत लाइसेन्स होता है और इसके लिये रूल्स के मुताबिक हम काम करते हैं। उसके आधार पर हमको कुछ राइट्स हैं और बाकी सब सेन्ट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इसलिये बहुत सी बातें हमारी परिधि के बाहर हैं; फिर भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि हर साल चार आना चैकिंग फीस देनी पड़ती है और उसके लिये लोगों को जाना पड़ता है; इसलिये उसकी अवधि तीन साल कर दी जावे तो ठीक होगा। हमारे यहां ३ साल का प्रोविजन है। इसलिये जो उन्होंने सुझाव दिया उस पर हम पहले से विचार कर रहे हैं और हमारे यहां इसका प्रोविजन है, उसका फायदा उठा सकते हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि ४ आने के लिये उनको जाना पड़ता है। मैंने कहा कि आप मनीऑर्डर के द्वारा पैसे भेज सकते हैं और आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पास में तहसील हो तो आप वहां से चालान भर कर भेज सकते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि रहा प्रश्न आपको अपनी बन्दूक को दिखाने का। बन्दूक तो आपको दिखानी पड़ती है। इसके लिये कहीं नजदीक में कोई चौकी हो वहां पर आप अपनी बन्दूक को दिखा दें और उनसे सर्टीफाई करा लें और चिट्ठी के जरिये आप उसको भेज दें।

आपने कहा कि लाइसेन्स बनने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिये हमने अपने रूल्स कुछ लिबरल कर दिये हैं। यदि कोई आदमी नया लाइसेन्स चाहता है और वह बुरा आदमी नहीं है, पुलिस में उसके खिलाफ कोई एन्ट्री नहीं है तो हमको कोई एतराज नहीं है। इसके लिये पहले मांग गंगानगर

(श्री मथुरादास माथुर)

से आती है। हमने रूल्स बना कर भेजे हैं। इससे एक महीने में उनको लाइसेन्स मिल जाने चाहियें। हमने रूल्स बना कर कलेक्टर को भेज दिये हैं। इस बारे में हम बहुत लिबरल हैं। प्रतिबन्ध केवल यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो सजायाफ्ता हो या पुलिस में उसका नाम १० नम्बर में हो।

इसलिये आर्म्स की पोजीशन थी वह तो मैंने आपके सामने रख दी है। जहां तक मज़ल लोडिंग गन्स की बात है हमने आदिवासियों के लिये गन्स की फीस माफ कर दी है. यह फैसला किया है।

इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें रखी और खास तौर से बीकानेर से आनेवाले साथी ने बहुत जोर से रखी और वह अनोपचन्द का केस है। उन्होंने एक चिट्ठी भाषण के समय बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिट्ठी के पढ़ने से मालूम होता है कि अनोपचन्द कोचर कहीं पर नहीं लिखा है। उसमें अनोपचन्द कोचर नहीं है, मगर मैं इस संबन्ध में यह कहना चाहता हूं कि एन्टी-स्मग्लिंग या स्मग्लिंग में पकड़ा जाए उसको सजा मिलनी चाहिये। यह भारत सरकार की कस्टम्स ऑथॉरटीज है। यह बात सब भाई जानते हैं, जो उस इलाके में रहते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि वह चिट्ठी जो स्मगलर की जेब में थी और वह मारा गया, उसे कस्टम ऑथोरेटीज को भेज दी है और उसकी अभी तक तफ्तीश चल रही है। जब तक तफ्तीश चल रही है हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो चिट्ठी लेकर आये वे तीनों मारे गये और चिट्ठी लिखनेवाला पाकिस्तान में बैठा हुआ है। उसके भी स्टेटमेंट होने जरूरी हैं। इस संबन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के लोग कदम उठायेंगे। एक आदमी इन्टरोगेट हो चुका है।

एक माननीय सदस्य: ऐसा है कि वह फरार हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर: वह इन्टरोगेट हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जिस तरह से चार आदमियों को जयपुर जेल में बन्द कर दिया है उसी तरह उसको भी क्यों नहीं बन्द करते?

श्री मथुरादास माथुर: मैं सदन को सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार में कोई भी आदमी हो, चाहे वह कांग्रेसी हो या कोई अन्य, मैं नहीं कहता कि वह कांग्रेसी है, मगर कोई कांग्रेसी हो, चाहे गैर-कांग्रेसी या कोई बड़े से बड़ा आदमी हो यदि वह स्मग्लिंग या एन्टी-सोशियल एण्ड एन्टी नेशनल एक्टीविटीज में काम करता हुआ पाया जावेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर नहीं रखेगी। यदि कोई कांग्रेसी इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो वह कांग्रेस की शोभा को नहीं बढ़ाता है और न उससे कांग्रेस को बल मिलता है; वह तो उल्टा कांग्रेस को कमजोर ही बनाता है। इसलिये मैं आपको तसल्ली दिलाता हूं कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा अवश्य मिलेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): ७-१-६३ को बेगूं में जोधपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं...

(श्री विजयसिंह झाला)

(दो)तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

सज्जनसिंह को गिरफ्तार किया ।

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य को पहले बोलना चाहिये था, अगर वे वेगू की बात कहते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्वाहेड़ा): पुलिस एग्रेशन करती है ।

श्री अध्यक्ष: Order ! Order !

r r r r r

आप जब मर्जी आवे बोलने खड़े हो जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक फोटोग्राफ पेश की है ।

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने दो पेश की, उनमें से आपने एक को तसलीम किया ।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें मैं यह कहूंगा कि यह जो फोटो स्केच पर चार लाइनों में लिखा था कि जोधपुर में फिजिकल ट्रेनिंग इन्सेटीट्यूट कॉलेज के होस्टल के लिये और बिल्डिंग के लिये जमीन चाहिये । वहां पर राव राजा मोहनसिंहजी जो अब दुनिया में नहीं हैं, उनके लड़के ने लिखा कि मैं इसको एक लाख, ४५ हजार में वेचना चाहता हूं और उसने यह भी लिखा है कि १४५ हजार में बंगला बेचना चाहता हूं । चिट्ठी नहीं, यह रुक्का है। जिसकी फोटोस्टेट कॉपी आपने पेश की है इसमें लिखा है कि १० हजार रुपये आपको मिलेंगे, साफ नहीं है, पर आप मान लें कि १० हजार आपको दूंगा, मेरा बंगला बिकवा दें, इसके माने यही हो सकते हैं । दो दिन हुए मुझे यह फोटोस्टेट कॉपी यहां पर मिली । मैंने इस बारे में मालूमात की, मामला अभी जेर तफतीश है । जो कुछ रेकार्ड अवेलेबिल है, उससे कह सकता हूं की उस प्रिन्सिपल ने डाइरेक्टर एज्यूकेशन को लिख दिया कि १ लाख, ४५ हजार में खरीद लें । डाइरेक्टर ने गवर्नमेंट को लिखा कि बंगला खरीदा जाय । गवर्नमेंट ने चीफ इन्जीनियर को लिखा कि इस बंगले की वेल्यू का असेसमेंट कराया जाय । चीफ इन्जीनियर ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को लिखा और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सिटी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को वेल्यू असेस करने के लिये कहा । उसने असेसमेंट किया, बंगले की वेल्यू ८५ हजार रुपया असेस की गई और उसकी बहुत बड़ी जमीन है । उसकी वेल्यू असेस की, उन्होंने कहा कि २३३ हजार जमीन के भाव से वेल्यू असेस होती है। म्यूनिसिपैलिटी को पूछा गया तो म्यूनिसिपेलिटी ने बताया कि यहां जो जमीन की रेट्स प्रिवेलेंट हैं दो रुपया गज का जमीन का भाव है, उसी हिसाब से असेसमेंट करके २,३३,००० रु० का एस्टीमेंट बना कर डाईरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को भेज दिया, डाइरेक्टर ने गवर्नमेंट को भेज दिया, गवर्नमेंट को मालूम नहीं कि १,४५,००० रु० की ऑफर आई थी । गवर्नमेंट ने सेंक्शन दे दी उसकी, चिट्ठी से ऐसा मालूम पड़ता है । बंगले के साथ साथ इतनी बड़ी जमीन है वह इसका पार्ट थी या नहीं यह जेरे तजवीज है, बंगले का एस्टीमेट

(श्री मथुरादास माथुर)
जो वेल्यू का असेसमेंट किया गया वह ८५ हजार है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): बंगला बिकने के बाद जमीन बाकी रह जाती है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हां, रह जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : You are befooling the opposition and yourself.

श्री मथुरादास माथुर : बंगला बिक जाता है . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : बंगला बिक जाय और जमीन रह जाय, you are befooling your party, yourself and every one.

श्री मथुरादास माथुर : क्या कहा आपने ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अंग्रेजी में कहा इसलिये समझे नहीं।

श्री मथुरादास माथुर: मेरी बात सुनिये। सदन में बहुत से चार्ज लगा देते हैं, हम कतई प्रोटेक्ट नहीं करते। उन्होंने बंगला बेचने की चिट्ठी लिखी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि बंगले को बेचने के बाद में जमीन की कीमत अलग नहीं रहती। तो इस तरह की बात कह कर आप हम ऑपोजिशन वालों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और अपने आपको भी धोखा देना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: न अपने आपको धोखा देना चाहता हूं और न आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूं; पर कोई बने तो उसके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास: आप बनाओ तो भी नहीं बनेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): on a point of clarification, Sir, यह क्लेरिफिकेशन दीजिये कि १० हजार की बात सज्जनसिंह ने लिखी उस लैटर वाले फैक्ट को सप्रेस किसने किया ? उसके लैटर पर सजेशन किया गया, उसके सजेशन के ऊपर डाइरेक्टर ने गवर्नमेंट को लिख दिया। तो इस १० हजार के फैक्ट को और १४५ हजार की ऑफर को किसने सप्रेस किया ? दूसरा यह क्वेश्चन उठाया गया कि बंगले के अन्दर जमीन शामिल थी या नहीं? तो यह समझ में नहीं आता कि जिसने बंगला बेच दिया वह जमीन रखना क्यों चाहेगा ? इसलिये इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिये जिससे कि बेचनेवाली बात समझ में आये। उस आदमी को सजा मिलनी चाहिये जिसने सब पार्टियों को करप्शन में इन्वोल्व किया ।

श्री मुरलीधर व्यास: बंगले के बारे में वह मालिक कहता है कि बेचूंगा, तो बंगले का असेसमेंट पी. डब्ल्यू. डी. ने लगाया २३३ हजार। तो चीज तो सिर्फ बंगला थी, फिर जमीन बीच में कहां से आ गई ?

श्री अध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मथुरादास माथुर: कोई डिस्टर्बेन्स नहीं हो तो मैं जल्दी ही समाप्त करदूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डाइरेक्टर एज्यूकेशन को कहा कि १४५ हजार की ऑफर है तो गवर्नमेंट को उस ऑफर के बारे में लिखा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर: यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। परसों चिट्ठी सदन के सामने आई। दो दिनों में जो फैक्ट्स इकट्ठे हुए वही बता रहा हूं। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिये पुलिस को कह दिया है। जो आपने असली चिट्ठी की फॉटोस्टेट कॉपी दी है वह हैंड-राइटिंग एक्सपर्ट को दिखाई जायगी कि यह हैंड-राइटिंग उस-ही के हैं या नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): एक सूचना है हमारे पास कि ५० हजार रुपया तक ऑफर किया गया है कि इस रेकॉर्ड को डेस्ट्रोय कर दिया जाय। जो रेकॉर्ड ही नष्ट हो गया तो आप जांच करेंगे किससे ?

श्री मथुरादास माथुर: जो रेकॉर्ड हमारे पास है वह डेस्ट्रोय नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या आपके पास यह सूचना है कि इस रेकॉर्ड को जो सी. आई. डी. यहां ला रहा था रास्ते में रोका गया और उसे कहा गया कि इस रेकॉर्ड को मत ले जाओ और ५० हजार रुपये ले लो ?

श्री मथुरादास माथुर: ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

एक माननीय सदस्य: ऐसी कोशिश हो रही है कि इस रेकार्ड को समाप्त करने के लिये ५० हजार रुपया तक दे दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इस सारे मामले को तय करने के लिये क्या सरकार जुडीशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार है ? हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और दूसरे बड़े बड़े इसमें इन्वोल्व्ड हैं तो इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाय। यह गवर्नमेंट के भी हित में होगा और डाउट्स भी रिमूव हो जायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: जुडीशियल इन्क्वायरी में भी तो कोई न कोई पुलिस ऑफिसर साथ होगा। तो मैं यह चाहता हूं कि पुलिस से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाय और फिर इससे संतोष नहीं हो तो जुडीशियल इन्क्वायरी हो सकती है। मैं कम से कम डी वाई. एस. पी. के रैंक के ऑफिसर को लगाऊंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): वह डॉक्यूमेंट जिस पर सारा केस मुब्नी है उसके लिये माननीय अध्यक्ष, आपकी तरफ से, सदन की तरफ से कोशिश होनी चाहिये कि उसको सुरक्षित रखने के लिये अपने कब्जे में ले लेना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष से माननीय सदस्य ने कहा, वह डॉक्यूमेंट तो १० हजार रुपये रिश्वत देने का है, वही तो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है।

श्री मुरलीधर व्यास: डाइरेक्टर को भेजा गया वह तो नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या होम मिनिस्टर साहब आश्वासन दे सकते हैं कि १५ दिन में इत्तला देंगे हाउस को कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर: १५ दिन तो काफी ज्यादा मांग रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: एक महीना कह दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर: ज्योंही इन्वेस्टिगेशन हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह: यह मामला बहुत कॉम्प्लीकेटेड है, डी वाई.

(श्री भैरोंसिह)

एस. पी. की जांच से इसमें कुछ नहीं हो सकेगा। तो माननीय अध्यक्ष, या तो इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाय या इस सदन की एक कमेटी मुकर्रर करें जो इसकी जांच करे और उस जांच की प्रोग्रेस से सदन को समय समय पर परिचित करे।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष, यह एक बहुत ही मामूली मामला है।

श्री मानसिंह महार (आमेर): मामूली ही है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस राज्य में लाखों के मामले होते हैं, यह तो हजारों का ही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष, यह एक एन्टी–नेशनल एक्टिविटी है। अभी सम्माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि एन्टी–नेशनल एक्टिविटी होगी उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यह एक एन्टी-नेशनल एक्टिविटी है, तो इसको इस इमर्जेन्सी के टाइम में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

(विराम)

इस प्रकार की कार्यवाही एन्टी–नेशनल है, इसकी निश्चित रूप से इस तरीके से इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिए जिससे कि सारा मामला सही हालत में सामने आए और सारी जनता को विश्वास हो।

(२.० म. प.)

एक माननीय सदस्य: क्या हम आशा करें कि इससे भी बड़े बड़े मामले सरकार की निगाह में पेन्डिग हैं ?

श्री अध्यक्ष: पहले आप मामले लाइये, फिर निगाह की बात हो।

श्री मथुरादास माथुर: और भी दो-तीन मामले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले इसको पिन-अप कर लिया जाय। What do you want to do about it ?

श्री मथुरादास माथुर: इसकी इन्क्वायरी शुरू कर दी गई है और इन्क्वायरी खत्म होने पर इमीजिएटली हाउस के सामने रख दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष: वह समय १५ दिन से ज्यादा नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर: मैंने खुद ने कहा है। मैंने मंजूर किया है। बाकी दो-तीन मामले हैं। हरदत्तसिहजी ने रखे हैं।

श्री रामकिशन (वैर): नीम के थाने का क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर: मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हमारे पास भी उसकी कॉपी आयी है। इन्क्वायरी के लिए आर्डर दे दिए थे। इन्क्वायरी होकर आ गई है और कार्यवाही उस पर की जा रही है।

श्री रामकिशन: यह तो एक मामला था, लेकिन मुख्य मंत्रीजी से कई बार निवेदन कर चुके हैं। आप पूरे ही मामले को खोल कर बता दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर: मेरे पास एक ही मामला आया है और जांच की रिपोर्ट उसमें आ गई है और कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकिशन: क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्वायरी होकर आयी और जो कार्यवाही की जानी है वह की जा रही है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : एस. डी. एम. को वहां क्यों रख रखा है ? आप उसको सस्पेण्ड करके जल्दी से जल्दी जयपुर क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इन्क्वायरी रिपोर्ट पर विचार करके सरकार कदम उठाएगी।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इन्क्वायरी होगी कैसे ? एस. डी. एम. की हैसियत का व्यक्ति वहां मौजूद हो और उसकी प्रजेन्स में इन्क्वायरी हो तो उस इन्क्वायरी को इन्फ्ल्युयन्स किया हो तो फिर कैसे इन्क्वायरी हो सकती है ?

श्री मथुरादास माथुर : चर्चा इस पर क्यों हो, जब हम कह चुके हैं कि इन्क्वायरी करा चुके हैं, रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मानसिंह महार : एडीशनल कलेक्टर बना कर भेज देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन्क्वायरी किस हवालदार ने की ?

श्री मथुरादास माथुर: डिप्टी एस. पी. के रेन्क के आदमी ने इन्क्वायरी की है। इसमें एस. डी. एम. की इन्क्वायरी भी शामिल है। सब के बारे में है। अधिक समय मैं सदन का नहीं लेना चाहता, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है। दो-तीन तफतीश के मामले हैं उन पर अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा।

श्री हरदत्त सिंह (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मेरा तो नाम ही आकर रह गया।

श्री मथुरादास माथुर : तारानगर और एक मर्डर का केस है। ये कल मुझसे मिल चुके हैं। मैंने इनको संतोष भी दिला दिया है, इसलिए मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। दो ही बातें कही थीं। वे भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। सुझाव दिये और कार्यवाही कर रहे हैं।

ज्यादा समय सदन का मैं नहीं लेना चाहता हूं और आप से अपील करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में कहा है उसको देखते हुए जो खास कर लॉ एण्ड आर्डर के बारे में, आप उसको मंजूर करें और माननीय श्री बृजसुन्दरजी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको एक मत से पास करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, इस सदन के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया और उस पर जो अब तक वाद-विवाद हुआ उसमें कई पहलुओं से यहां पर प्रकाश डाला गया। मैं सारी चीज में विस्तार के साथ तो इस समय को देखते हुए शायद न जा पाऊं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में यहां पर कहना चाहूंगा। हमारे देश में पिछली बार जब कि सदन की बैठक हो रही थी, चीन के आक्रमण की बिना से एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई और उस परिस्थिति के पैदा होने के बाद इस सदन में ही एक इस प्रकार का वातावरण था कि जिससे राजस्थान में भी एक कमेटी का निर्माण हुआ, देश में भी कई कमेटियां बनी और इस विपत्ति काल का मुकाबला करने के लिये सारे देश के अन्दर एक उत्साह पैदा हुआ। आज जब कि हम यहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर मिल रहे हैं चीन और भारत के बीच मोर्चे पर लड़ाई बन्द है। यह एक बात है। लेकिन मैं समझता हूं, इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि इस बात का अनुभव करता हो कि वह सारी चीज समाप्त हो गई है और केवल मात्र वह चर्चा का विषय रह गया है और टीका-टिप्पणी का विषय रह गया है। ऐसा समझ कर चलना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गल्ती होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी बहस के दौरान में यहां पर और बाहर भी कई बार इस बात की चर्चा की जाती है कि देश की रक्षा-व्यवस्था ठीक करने के लिये यह आवश्यक है कि हम अपना सम्बन्ध वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जोड़ लें इस सदन में भी एक माननीय सदस्य ने स्पष्ट तौर से इस बात को कहा, यह कह कर कि उनकी पार्टी की यह नीति है कि हमें ब्लॉक के अन्दर शरीक हो जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक काफी गंभीर प्रश्न है और इसको पोलिटिक्स, पोलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से न देख कर, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक राष्ट्र की नीति के आधार पर देखा जाना चाहिये। अगर हम इसको राष्ट्र की नीति के आधार पर देखेंगे तो, मैं समझता हूं, शायद सब एक ही निर्णय पर पहुंच सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है हमारे देश की पार्लियामेन्ट ने भी इस नीति को देश की नीति स्वीकार किया है। यदि हम इसे केवल एक पार्टी की नीति कह कर चलें तो उपयुक्त नहीं होगा। इस युद्ध के बाद हमारे देश में इतनी ज्यादा कुछ लोगों द्वारा चर्चा हुई, कुछ हमारे मित्र हैं जो किसी गुट विशेष का पक्ष करना चाहते हैं उन देशों में उसकी चर्चा हुई हो, यहां अधिक हुई। किसी दृष्टिकोण से वे इस चर्चा को करते हैं और किसी कारण इस पहलू को बार-बार दोहराते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि हमारी नीति निर्भर करती है हमारी डिफेन्स पॉलिसी और फोरिन पोलिसी पर। दोनों पॉलिसी अलग नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूं, हमें इसके साथ बहुत बड़े बेसिक फैक्टर को लेकर चलना होगा कि फौरिन पॉलिसी हमारी इकोनोमिक पॉलिसी से भी अलग नहीं हो सकती है। देश में हम जिस अर्थ नीति को स्वीकार करना चाहते हैं वह फौरिन पॉलिसी और डिफेन्स पॉलिसी से सम्बन्धित हैं। हम तीनों को अलग करके नहीं चल सकते। आज देश ने सोशियलिस्टिक पेटर्न को स्वीकार किया; उसमें मतभेद हो सकते हैं। कोई उसमें तेजी से चलने में मानता हो, कोई और तरह से मानता हो; लेकिन देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात के हैं कि हमें उस पेटर्न को स्वीकार करना है और मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस ब्लाक में शरीक होने के लिए कुछ मित्र कहते हैं, जिन लोगों ने इस अर्थ-नीति को स्वीकार किया है वे नोन-अलाइन्ड कन्ट्रीज को फन्कशन करते हैं और दूसरे जो रीजनल ब्लाक्स हैं वे फन्कशन करते हैं। आज सबसे बडा प्रश्न अगर कोई है तो यह है कि हमने डेमोक्रेसी को शासन-तन्त्र का, शासन व्यवस्था का आधार स्वीकार किया है; हमने अपनी इकोनोमिक पोलिसीज का सोश्यलिस्टिक पेटर्न स्वीकार किया है। आज, मैं समझता हूं, इन दोनों बातों को सामने रखते हुए भारत के लिए निश्चित रूप से एक रास्ता रहता है कि नोन अलाइन्ड पोलिसी को स्वीकार कर लें। नोन अलाइन्ड पोलिसी को स्वीकार करने से कुछ मित्र ऐसा कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त नहीं होगी।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, आखिर यह देश किसी चीज के लिए लड रहा है, निश्चित तौर से भारत अपने सिद्धान्तों के लिये, अपनी आजादी के लिये लड रहा है, क्योंकि यह देश जनतंत्र प्रणाली के जरिये अपना विकास करने के सिद्धान्त को मानता है । मैं समझता हूं दूसरे देश जो हैं, जो जनतन्त्रीय प्रणाली पर चलनेवाले देश हैं, वे चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों की भी स्वतंत्रता कायम रखनी चाहिये । उसी आधार पर कई देश हमारा सहयोग और मदद देने के लिये तैयार हैं । अगर किसी एक गुट्ट के अन्दर शरीक हो जाते हैं या दूसरे गुट्ट में शरीक होते हैं तो उसका यह मतलब होगा कि हमने जिन सिद्धान्तों को अपना रखा है उसकी कोई कीमत नहीं । अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिस गुट्ट में हम शामिल होते हैं उसकी सारी नीतियों को स्वीकार करें, उसमें हमें स्वतंत्रतापूर्वक जनतन्त्रीय तरीके से हमें विचार करने की आजादी नहीं रहती है । वैसी हालत में जब आज चीन का हमारे देश पर हमला हुआ उसके बाद जो एक तरीका हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने अपनाया है, जो वेस्टर्न ब्लॉक में सम्मिलित है, जिसकी चर्चा कई बार करते हैं वह आज चीन के साथ अपने बोर्डर के सवाल पर सन्धि कर रहा है । यह उसने उचित समझा, लेकिन भारतवर्ष जो स्वाभिमान को ज्यादा तरजीह देता है, जो जनतन्त्रीय तरीके को कायम रखने के लिये पूरी तरह से अग्रसर है, आज उसके लिये किसी ब्लॉक में मिलाने का प्रश्न उठाना उचित नहीं होगा । मेरा अपना मानना यह है कि आज वेस्टर्न ब्लॉक भी यह भली-भांति समझता है कि जो हिन्दुस्तान ने नीति अख्त्यार कर रखी है वह दुनिया के लिये और खुद भारत के लिये भी बहुत लाभप्रद नीति है; बजाय वह किसी गुट्ट के अन्दर शरीक होकर चले ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज दिन यह ठीक बात है कि शस्त्रास्त्रों से और दूसरे तरीकों से हमारे को इस संकट के मौके पर इंगलैण्ड और अमेरिका ने मदद की है उसके लिये सारे देश ने एक स्वर से उसकी सराहना की है । आज तक हमने यह कभी नहीं कहा कि हम अमुक राष्ट्र का सहयोग लेते हैं, अमुक का नहीं । हमने सभी राष्ट्रों से सहयोग के लिये कहा है और सभी ने हमें सहयोग दिया भी है ।

सदन में बहस के दौरान में यह भी कहा गया कि रूस और चीन में कोई मतभेद नहीं है, हमें इनको एक सा समझ कर अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ देना चाहिये; हमें देखना चाहिये कि दुनिया में इन पिछले दिनों कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा । दुनिया के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो युद्ध चाहते हैं और कुछ बलिष्ट राष्ट्र शान्ति के पक्षपाती हैं और युद्ध नहीं चाहते । इसकी वजह यह है कि युद्ध की भयंकरता सबके सामने है । उसको देखते हुए शक्तिशाली राष्ट्र भी युद्ध की बात को पसन्द नहीं करते । क्यूबा और बर्लिन का उदाहरण हमारे सामने है । चर्चा में युद्ध की बातें जितनी आसान समझते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी राष्ट्र युद्ध में पडना नहीं चाहता । दुनिया को युद्ध से दूर हटाने की बातें हो रही हैं; रूस और अमेरिका के निकट आने की बात है तो भारतवर्ष जो आज दोनों के एक प्रकार के निकट है, अलग रह कर नॉन अलाइनमेंट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की पॉलिसी पर जो चलना चाहता है उसको एक पक्षीय बनाना चाहते हैं, यह किसी भी आधार पर उचित बात नहीं हो सकती।

आज चीन के साथ संघर्ष होते हुए, रूस और चीन का एलाएंस होते हुए भी रूस ने हमें मिग विमान दिये हैं, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्व यह ज्यादा रखता है कि आज जो इकोनोमिक डेवलपमेन्ट रूस के सहयोग से हमारे भारतवर्ष का हो रहा है, कई कामों में हमारा रूस का कोलोबरेशन है वे चीजें अल्टीमेटली किसी राष्ट्र की शक्ति को बनाती हैं। आज हम यह मान कर चलें कि इकोनोमिक डेवलपमेंट जहां होगा वहां हमारा देश शक्तिशाली होगा। आर्थिक विकास के लिये चीन और हिन्दुस्तान के बीच संघर्ष होने के बाद भी रूस ने जो जो भी वायदे हमारे साथ किये हैं उन वायदों को रूस पूरी तरह से निभा रहा है। मिग विमान और दूसरी प्रकार की योजनाओं में पूरी मदद, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी नीति को बदल देते हैं केवल इसी कारण कि चीन ने हमारे पर हमला किया है, रूस से क्यों मदद ली जा रही है; यह हमारी नॉन अलाइनमेन्ट पॉलिसी के विपरीत होगा।

चीन और रूस के बीच बेसिक मतभेदों की भी बातें चलती हैं। तो आखिर वार और पीस के बीच क्या होगा ? दूसरा एग्जिस्टेंन्स का सवाल है। रूस और चीन के बीच मतभेद होने का कारण यह भी है कि चीन यह मानता है कि विश्वयुद्ध के बिना साम्यवाद नहीं फैल सकता और इस तरह से वह युद्ध की तरफ ले जाने के लिए उत्सुक रहता है और हिन्दुस्तान के मामले में भी यही हुआ। आज चीन यह सह-अस्तित्व की बात को नहीं मानता। भारत जो नॉन अलाइनमेन्ट की पॉलिसी पर चल रहा है, भारत समाजवादी नीति पर चल रहा है और एशिया और अफ्रीका में अपनी धाक जमा रहा है, वह चीन को बर्दाश्त नहीं। इसलिये दोनों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। अगर हम हमारी इस नॉन अलाइनमेन्ट की पॉलिसी के अन्दर परिवर्तन करते हैं तो हिन्दुस्तान के लिये संघर्ष बढ़ेगा और वह विश्व में तनाव बढ़ने का भी कारण बन जाता है।

यह भी कहा गया है कि बिना किसी ब्लॉक में सम्मिलित हुए एग्जिस्टेन्स नहीं रह सकता। यह प्रश्न अलाइनमेन्ट और नॉन अलाइनमेन्ट के बारे में चर्चा चलती है तब सामने आता है। लेकिन जो हमारी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है कि हम किसी गुट्ट में शामिल नहीं, इस पॉलिसी को चीन ने हमारे पर हमला किया इसलिये बदल देते हैं तो यह कोई उचित नहीं है। आज जब कि चारों तरफ से हमारे लिये इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, एक तरफ वैस्टर्न ब्लॉक पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर उसको मिलना चाहिये, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम भी उस ब्लॉक में शरीक हो जायं और काश्मीर के प्रश्न को जिस प्रकार उन्होंने उठाया है वह वाजिब नहीं है। तो किस प्रकार ये दोनों चीजें मेल खा सकती हैं ? इसलिये जो ब्लाक में सम्मिलित होने की बात उठायी गई है उसमें राजनैतिक पहलू ज्यादा है बमुकाबले देश की रक्षा के, देश की सुरक्षा के सवाल के। आज हम सही मायने में एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में रह कर चलना चाहते हैं ताकि देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सके

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हम देश को किस प्रकार ज्यादा मजबूत और सशक्त बना सकते हैं, यह लक्ष्य रख कर हमें चलना होगा। आज दुनिया के ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र हमारा सहयोग कर रहे हैं। यदि हम एक पक्षीय होकर उस तटस्थता की नीति को छोड़ कर चलेंगे तो क्या हमें इतना सहयोग मिल सकता है? यह हमारे लिये कभी भी लाभप्रद होनेवाला नहीं। इस दृष्टि से इन सारी बातों को और पहलू को ध्यान में रखते हुए हमने इस नीति को अख्तियार किया है। आज हमारा देश एक संघर्ष में से गुजर रहा है। वैसी हालत में हमें इस पर पूरा ख्याल रख कर चलना होगा। हम लोग निश्चित तौर से मानते हैं कि चीन ने जो हमारे देश पर हमला किया है वह केवल नेफा और लद्दाख के कुछ भाग को लेने के लिये नहीं, उसका इसमें सबसे बड़ा कारण है और वह यह है कि चीन चाहता है कि भारतवर्ष को किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाया जाय। भारतवर्ष, एशिया और अफ्रीका के अन्दर विशेष स्थान प्राप्त करता चला जा रहा है उस स्थान से उसको हटना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा की जाय, इसलिये कि हमारी पंचवर्षीय योजना द्वारा हम देश का जो तेजी से विकास करते जा रहे थे उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटाया जा सके, इसलिये कि नॉन अलाइनमेन्ट की पॉलिसी को हम छोड़ कर एक ब्लॉक में चले जावें ताकि कोएग्जिस्टेन्स का नारा समाप्त हो जाय। इन सारे पहलुओं से जुड़कर यह एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया है।

यह सही है कि चीन ने हमारे पर धोखे से हमला किया और इस कारण हमला होने के बाद हमें पीछे हटना पड़ा। हमारा नुकसान हुआ, हमारी प्रतिष्ठा पर आघात लगा। यह हम सब मानते हैं कि इस बारे में हम कसौटी पर हैं। आज भारतवर्ष जैसा ४५करोड़ की आबादी का देश, इतनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता जिसकी है, किसी ब्लॉक में शरीक हो जाता है अपनी रक्षा के लिये और दूसरे हमारी रक्षा करें, क्या यह समझ में आ सकता है। आज ४५ करोड़ का देश यह समझ कर चले, दूसरों के साथ मिल कर चला जावे, इसके बिना गुजारा नहीं है, यह ठीक है, पर यही नहीं है, हमें स्वयं को भी शक्ति संग्रहीत करनी होगी। हमारी जनशक्ति का दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और दुनिया उस महत्व को और हमारी जनतान्त्रिक प्रणाली को और हमारे सिद्धान्तों को देखते हुए हमें अपना सहयोग दे रही है। आज हमें कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, यह बात नहीं है। मिल रहा है। शायद दुनिया जानती है, अखबारों में भी आपने-हमने देखा है कि हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी दुनिया के बैलेन्स को इधर से उधर करनेवाली चीज हो सकती है। जब इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी कुव्वत हमारे पास है तो मैं नहीं समझता कि एक आक्रमण हुआ और हम लड़खड़ा जायं। ऐसे मौकों पर परीक्षा होती है किसी के उसूलों की। तो हम अपने उसूलों पर कायम रहते हुए अपने देश की रक्षा करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि आज के दिन, जब कि हम चीन के आक्रमण की वजह से एक संकट की स्थिति में उलझे हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ बातें हुई और उनके बाद जो काश्मीर और दूसरे सवाल खड़े हुए, उनको देख कर देश में एक पक्ष में यह भी कहना शुरू किया कि अभी चूंकि हमारी चीन से लड़ाई हो रही है, या अभी नहीं हो रही है तो भी चीन का खतरा हमारे सिर पर बराबर बना हुआ है, इसलिये इस काश्मीर के प्रश्न

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को कम से कम हल कर लेना चाहिये जल्दी से जल्दी और उसका हिस्सा काश्मीर को देना भी पड़े तो दे देना चाहिये। हम यह कल्पना तो थोड़ी करें कि लद्दाख और नेफा जिसके एक एक इन्च हिस्से के लिये, एक एक इन्च जमीन के लिये हम संघर्ष कर रहे हैं और उनको एक इन्च हिस्सा भी देना नहीं चाहते वहां दूसरी तरफ यह सवाल खड़ा करते हैं कि जो काश्मीर आपके पास है उसको भी चीन से लड़ने के लिये सौंप देना चाहिये और काश्मीर के मसले को इस तरह से हल कर लेना चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि देश के लिये स्वाभिमान का तो यह तकाजा होगा कि काश्मीर में जो हमारा हक है उसको भी कायम रखें और चीन ने जो लद्दाख और नेफा में हिस्सा ले लिया है उसको भी वापिस लें; इस प्रकार एक आध धक्के के लगते ही कमजोरी दिखा कर इधर-उधर होने से देश का न तो स्वाभिमान बनता है और न देश आगे ही बढ़ सकता है और इस वजह से आज कांग्रेस को कोई कहे कि उनकी सरकार थी, लड़ाई के लिये उनकी तैयारियों में कमी रही, और बातों में कमी रही, पर तैयारी के बारे में पार्लियामेन्ट के पिछले सैशन की बहस को देखेंगे तो डिफेन्स के खर्चे के बारे में कितना भारी सवाल खड़ा हुआ। कहा गया कि इसमें खर्चा ज्यादा न हो, विकास में खर्चा करना चाहिये फौज में खर्चा करना ठीक नहीं है। तो यह नीति कुछ लोग लेकर चलते थे। मुझे आश्चर्य आज होता है कि वे ही लोग बाद में टोका-टिप्पणी करते हैं कि गफलत कैसे की, तैयारी क्यों नहीं की? और इस बात को छोड़िये। ये ही लोग आज फिर कहने लग गये हैं कि आज चीन पीछे हट गया है, इस सदन में वे लोग खड़े होकर कहते हैं कि इसलिये अब एमर्जेंसी को समाप्त कर दीजिये। तो अब वे किसको दोष देना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। सीज फायर हुआ और वे भूल गये कि देश की हमारी बड़ी भारी प्रतिष्ठा गई है। हमें उसे वापिस स्थापित करना है और हम कहने लगे कि एमर्जेन्सी की आवश्यकता नहीं है। कानून वापिस ले लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब ऐसी स्थिति है तो साल भर पहले जब कि कांग्रेस की सरकार को कहा जाता था कि आपने पूरी तैयारी नहीं की तब तो किसी का हमला भी नहीं था, पर आज जब चीन के हमले का खतरा हम पर बराबर बना हुआ है उसके मौजूद रहते हुए एमर्जेंसी को समाप्त करने की बात कहते हैं तो मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा अहसास होता है कि एमर्जेन्सी को हटाने की बात को न न अलाइनमेन्ट की बात को राजनैतिक पहलू बना कर चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं ये। हम अगर इसकी गम्भीरता को, जिस रूप में यह हमारे सामने बात आई है, अनुभव करते हैं, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आज के दिन देश को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा कि हम अपनी रक्षा-तैयारी को पूरी तरह से करें। अगर यह समझें कि दूसरा कोई आकर हमारी रक्षा करेगा और इस तरह अपनी रक्षा के मामले में दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो यह उचित नहीं है। हां, सहयोग कोई हमें देता है तो सहयोग हम लेंगे, सिवाय इस सहयोग लेने के बाकी हमारी रक्षा की तयारी स्वयं हमको करनी है, हमको स्वयं को अपनी रक्षा के लिये कुर्बानी करनी है और देश को सुरक्षित करना है। इसके लिये हमें स्वयं को दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा और इसकी तैयारी करनी होगी।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मुझे दुःख होता है कि जिस राजस्थान का नाम आज भारत में वीरता के लिये अग्रणी गिना जाता है, वीरता के काम आज भी किये, आगे बढ़कर लोगों ने दान दिया, खुल कर काम किया, आज उनको भी राजनीति का विषय बनाया गया। हमारे यहां पर सारे राजस्थान में जिसकी दो करोड़ की आबादी है उसमें १)८० प्रति व्यक्ति हिस्से में आता है और जो लोगों ने आगे बढ़ बढ़ कर दिया उसके लिये केवल मात्र इस भावना को राजनैतिक दृष्टि से पैदा करने के लिये कहा जाय कि उसके प्राप्त करने में कोई बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म हो गया, यह उचित नहीं गिना जा सकता। हो सकता है; दो, चार, पांच जगह जैसा कहा गया पुलिस ने कुछ किया हो । उसकी जांच की जा सकती है. उसका पता लगाया जा सकता है। पर इस तथ्य को मान कर हमें चलना है कि गंगानगर में सोना इकट्ठा होता है, रुपया वहां पर इकट्ठा हुआ, और जगहों पर सोना और रुपया इकट्ठा हुआ और उन जगहों के लोग इकट्ठे होकर उत्साहपूर्वक आगे आते हैं और दिल से सहयोग दे रहे हैं; उनके बारे में हम सदन में बैठ कर कहें कि जुल्म और ज्यादतियों से वह सब इकट्ठा हो रहा है तो मैं समझता हूं कि जो मन से यह सब दे रहे हैं, कर रहे हैं उनका अपमान करना है, राजस्थान का अपमान करना है। छोटी-मोटी बातें कहीं हो गई तो उनकी जांच की जा सकती है, पर उनकी आड़ में जिन्होंने काफी त्याग किया, कुर्बानियां कीं, आगे बढ़ कर काम किया उनको धोखा देना चाहते हैं, यह कह कर कि कुछ ने गड़बड़ी की या ज्यादती की; आखिर आपकी इस दलील का परिणाम क्या है ? क्या लोग यह समझें कि जिन्होंने स्वतः प्रेरणा और उत्साह से पैसा दिया उनको भी क्या यही समझा जाय कि जबरदस्ती से दिया उन्होंने ; वे तो देना नहीं चाहते थे ? यह मैं नहीं मानता कि राजस्थान की यह स्थिति है । मैं भी गया हूं कई जगहों पर, दूसरे भी गये हैं। हमारे दूसरे साथी भी रहते हैं, दूसरे लोगों ने भी सहयोग दिया है। अब आपके सहयोग से इकट्ठा हुआ या नहीं इकट्ठा हुआ, यह अलग बात है। क्या इसके लिये आपने यह दलील दी, यह मैं नहीं कह सकता। पर मैं यह मानकर चलता हूं कि इसके अन्दर कम ज्यादा सबका सहयोग रहा। सबने सहयोग दिया और सबका सहयोग ज्यादा अपेक्षित है। मुझसे , आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनमें इतना उत्साह था कि जयपुर जिले में कुछ न कुछ इस मामले में काम-काज करते, पहले कहा होता तो। मैं समझता हूं, जरूर आगे से कहेंगे उनको, पहले भी कहते; पर विधान सभा में एलान किया है।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि जयपुर के जिले में हमारे यहां पर महारानी साहिबा का सहयोग लिया जाना चाहिये था। शायद उनकी जानकारी में न हो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट लेवल की सेन्ट्रल कमेटी है उसकी वे सदस्या हैं और आज सहयोग नहीं लेनेवाली बात का प्रश्न नहीं आता। हमने सहयोग लेने के लिये सबका लिया है। अब किसी अफसर ने कोई गड़बड़ी की, या थानेदार ने की या पटवारी ने कर दी तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे मामले स्पेसिफिक तौर से लिख कर भेज सकते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको कि मामले अगर ऐसे कोई सामने आयेंगे कि किसी भी सरकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कर्मचारी ने बीच में कोई ज्यादती या गड़बड़ी या अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की बात की होगी या इधर-उधर किया होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी। जो देश की सुरक्षा के लिये काम किया जावे उसमें इस प्रकार की घटनाओं की कल्पना करके भी नहीं चला जा सकता।

मैं चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जो युद्ध प्रयत्नों के अन्दर अब तक उत्साह बताया गया है, मुझे उसके बारे में बहुत खुशी है। मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो फौजी भाई आज उन स्थानों पर, कि जहां देश की रक्षा के लिये वे अपनी जान की बाजी लगा कर बैठे हैं सौभाग्य से उनके दिलों में बहुत उत्साह है। उनके दिलों में देश की रक्षा के लिये सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और उन्होंने यह किया है। मैं जहां कहीं गया और जिससे भी मिला वहां पर उनके दिलों में यह दृढ़ प्रतिज्ञा स्पष्ट तौर से उनकी बातों से नजर आ रही थी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के काफी बड़ी तादाद में सैनिक जाते हैं। महरबानी करके प्रदेश का वातावरण ऐसा न बनावें जिसकी वजह से उनके घर वालों पर और दूसरों पर यह असर पड़ने लगे कि न मालूम वहां क्या परिस्थिति है। हम राजनीति में काम करते हैं, इसलिये पार्टियों के मतभेद हमारे आपस में हो सकते हैं और हैं, मैं मानता हूं; पर इन मतभेदों को प्रकट करने के लिये और कई मौके हैं, और भी मौके आवेंगे, पर इन मतभदों को प्रकट करने का यह अवसर नहीं है, जब कि चीन हमारे देश की सीमा पर फौजें जमा करता जाता है दूसरी तरफ से और धमकियां देता जाता है, और और बातें होती हैं। यह हमारे लिये ठीक नहीं है कि ऐसे मौकों पर हम आज भी राजनीति को फैलाने की बात, मतभेद फैलाने की बात में पड़ें।

अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर बहस के दौरान में राज्यपाल महोदय के भाषण के लिये यह कहा गया कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई विशेष बात नहीं है, हम किस बात का धन्यवाद दें। मैं आपसे निवेदन करूं कि स्वाभाविक था कि कि आज की परिस्थिति में जो आज संकटकालीन स्थिति है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जिक्र होता और इस सदन में भी बहुत माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया, वह भी स्वाभाविक बात थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो यहां पर भाषण के ऊपर चर्चा सुनी और आप लोगों ने जो भाषण पढ़ा उसमें इस बात को देखा होगा कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की गई है वह यह है कि जो हमारी पंचायती राज्य है उस पंचायती राज्य के बारे में इस बात का जिक्र है उसके अन्दर कि हम एक एक पंचायत को एक एक ग्रामसेवक देना चाहते हैं, जो पंचायत का सेक्रेटरी और सम्भव हो सके तो कोऑपरेटिव का भी वह सेक्रेट्री हो। हमने साथ साथ यह कहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये हम कुछ और सेविंग्ज करके प्रोडक्शन की साइड में इसको आगे देना चाहते हैं। उसमें यह बात भी कही गयी कि किसान अपने खेतों के लिये अगर बिजली लेना चाहते हैं तो उसकी दरें घटा कर १२ न० पै० कर दी गयी हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं उसके लिए, जो कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अब तक के अनुभवों के आधार पर बातें सामने आईं उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का एक पेटर्न था जो पहले से चला आता था उस पेटर्न को एक महत्वपूर्ण-परिवर्तन दिया गया है और वह परिवर्तन यह दिया गया है कि वी० एल० डब्ल्यू० हर गांव में इसलिए देना चाहते हैं कि पंचायतों के सामने ज्यादातर जगह इस बात की शिकायत मिलती है कि अर्थाभाव के कारण पंचायतें अपने यहां पर सेक्रेट्री नहीं रख सकती हैं। कहीं पर पार्ट टाइम और कहीं पर किसी और दूसरी तरह प्रबन्ध करना पड़ता है। हम कहते हैं कि विलेज लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनाने के लिए, उसको गाइड करने को पंचायत का सेक्रेट्री कोई न कोई उसके लिए नहीं होगा तब तक गांवों का प्रोडक्शन प्रोग्राम जिस प्रकार की कल्पना करते हैं वह सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए कोई न कोई आदमी पंचायत के पास ऐसा हो कि जो पंचायत को प्रोडक्शन के आधार पर उस चीज को बनाए।

दूसरे साथ ही साथ पंचायतों के ऊपर उसका वजन भी न पड़े तो फिर पंचायतें इसके अन्दर ज्यादा विकास कर सकती हैं। इसलिये इसमें खर्चा बढ़ेगा, यह जानते हुए भी हमने कुछ दूसरी तरफ इकोनोमी करके जो कुछ सहायता देते हैं उसमें कमी करके इस बात का फैसला किया कि आज जो विकास खण्डों के अन्दर लेडी सोशियल ऑर्गेनाइजर, इन्डस्ट्रीज एक्सटेन्शन ऑफिसर, ग्रामसेविका, कम्पोस्ट इन्सपेक्टर, फील्डमैन, सेनीटेरी इन्सपेक्टर, सोशियल वर्कर, एक एन० डी० सी० और २ क्लास फोर-सरवेन्ट्स की पोस्ट को एवोलिश कर रहे हैं और इनको एवोलिश करने के बाद में इससे जो सेविंग्ज होती हैं गांवों में एक यूनीफार्मिटी के तौर पर हम बना कर चलना चाहते हैं जिससे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और इनमें जो दूसरी जगह एब्जोर्ब हो सकते हैं तो उनको करें। इसी तरह से और सेविंग करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा धन की बात कह सकते हैं। इसमें इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि जिन ब्लाक्स के अन्दर इन्डस्ट्रीज के बारे में पहले से कुछ काम चल रहे हैं या सम्भावनायें हैं तो उस जगह इन्डस्ट्रीज का एक्सटेन्शन ऑफिसर दिया जा सकता है। इसी प्रकार जहां एनीमल हस्बेन्डरी के लिए ज्यादा गुंजाइश है वहां पहले एक ऑफिसर रहता था उसके बजाय एक और एडीशनल ऑफिसर देंगे ताकि वह और इन्टेन्सिव तरीकों से काम कर सके। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं उनमें भी एक एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर के बजाय एक और देंगे ताकि वह ज्यादा एरिया को देख सके और नीचे विलेज लेवल वर्कर भी ऊपर से और एक्सटेन्शन ऑफिसर उसी काम को करनेवाले मिल सकें, जिससे एनीमल हस्बेन्डरी, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, प्रोडक्शन की दृष्टि से ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकें। इसके करने के साथ साथ यह प्रश्न भी सामने था कि जो लोन्स दिए जाते हैं वे कुछ तो पंचायत समितियों द्वारा दिये जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोन्स कोऑपरेटिव द्वारा दिये जाते हैं। हम इसे इस साल, मतलब १९६३-६४ में कुछ चुनी हुई पंचायत समितियों के जो शोर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लोंग टर्म लोन हैं उनको हम चाहते हैं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोऑपरेटिव्ज के जरिये उसको सारा चैनेलाइज किया जाय। इसके करने की खास वजह यह है कि ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं कि कुछ जगह पंचायत समिति ने भी लोन दे दिया और कोऑपरेटिव ने भी दे दिया। वसूली के समय दो एजेन्सीज पैसा लेने जायें और फिर वसूली की प्रोबलम्स खड़ी हों। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कोऑपरेटिव और पंचायत हैं, उन दोनों में राइवलरी सी चलती है और दोनों लोन दे सकते हैं। तो उसको भी हल करना आवश्यक है, जिससे गांवों में लोन देने का काम कोऑपरेटिव के जरिये हो। अब कोऑपरेटिव लोन देंगी और प्रोडक्शन का प्रोग्राम बनायेंगी पंचायतें, इसलिए उनका भी वहां पर समन्वय होना चाहिये। इसलिए हमने कहा है कि पंचायत की तरफ से एक मेम्बर कोऑपरेटिव की जो मैनेजिंग कमेटी है वहां पर जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सरकार की यह कतई मन्शा नहीं है कि वह वहां जाकर फुलफ्लेज्ड मेम्बर हो सके और कोऑपरेटिव्ज के प्लान को इधर उधर करने के लिए जाय। सारी मन्शा कोऑर्डिनेशन की है। जिसको हम वहां पर भेजें वह वहां पर बिना वोट के वहां पर रह कर दोनों प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करे। इस भावना को लेकर हम चले हैं।

मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिए कि आखिर हमें एक लम्बी दृष्टि से गांवों के विकास के लिहाज से पंचायत और वहां की सहकारी संस्था दोनों का आपस में समन्वय करना होगा, जिससे दोनों के द्वारा हम उस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा ठीक तरह से फैला सकें। अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किन्हीं सरपंच को या दूसरों को किसी कारण के बिना हम इधर उधर सस्पेन्ड कर दें-इस प्रकार की बहस सामने आई, खास तौर से भरतपुर की तरफ से आये हुए माननीय सदस्य की तरफ से, उनका कहना था कि उनके इलाके में १० सरपंचों को सस्पेण्ड कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी प्राप्त की है तो सारे भरतपुर जिले के अन्दर कुल ९ सरपंच ऐसे हैं कि जिनको सस्पेण्ड किया गया और सारे राजस्थान में जहां ७ हजार के करीब पंचायतें हैं इस समय सस्पेन्डेड सरपंचों की संख्या कुल ६३ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल यह कहें कि कुछ राजनैतिक दृष्टि से सस्पेण्ड हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां फैक्ट्स सामने आये तो मैं समझता हूं कि कार्यवाही करने के लिऐ मजबूर होना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा करें, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो करना ही पड़ता है। फिर रेग्युलरली जो कुछ भी प्रोसीजर है, चालान होने की कार्यवाही की बात है वह आगे होती है।

मैं आमेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि बस्सी के बी० डी० ओ० के सस्पेण्ड करने की बात कही और कहा गया कि उनके खिलाफ प्रोसीक्यूशन की इजाजत नहीं दी गयी, वह गलत है। हमारे पास प्रोसीक्यूशन के लिए कोई पेपर्स नहीं आये। एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट उसकी डिटेल्ड इनवेस्टीगेशन कर रहा है और उनको सस्पेण्ड करना ही मैं समझता हूं कि इस बात का सुबूत होना चाहिये कि चाहे वे किसी के रिश्तेदार हों गवर्नमन्ट ने उसको सस्पेण्ड

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किया है, एन्टीकरप्शन को इन्क्वायरी के लिए दिया हुआ है और एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ कार्यवाही करनी होगी, होगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इस केस को कितने दिन हो गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं दिन का नहीं कह सकता। सस्पेण्ड तो किया गया है। कुछ नहीं था तो हम सस्पेण्ड ही क्यों करते ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो यहां पर अभी बहस के दौरान में प्रश्न आया वह प्रश्न था इस बात का कि मैं निवेदन कर रहा था और माननीय राज्यपालजी के भाषण के संबंध में मैं आपसे कह रहा था कि एक महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी कही गई है कि हम एडल्ट एजूकेशन के बारे में फैलाव करना चाहते हैं वह इसी दृष्टि से कि गांव के अन्दर लोगों में शिक्षा फैला कर उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो।

५८ साल की उम्र के लिये यह प्रश्न उठाया गया था कि ५८ साल की उम्र करने की क्या विशेष परिस्थिति थी, जिसकी वजह से यहां राजस्थान के अन्दर यह किया गया है? यह सही तौर से अगर उस पर सोचने की बात हो तो भारत सरकार के द्वारा जो उनकी सर्विसेज़ हैं उनकी ५८ साल की उम्र करने से यह चीज़ पैदा हुई है। लेकिन उसके साथ ही साथ यह माननीय सदस्यों का, मेरे ख्याल से, सब का अनुभव होगा कि पहले शायद ५५ साल जो था वह उस वक्त की हालत की वजह से तन्दुरुस्ती जैसी होती है और उसमें और आज की हालत में फर्क पड़ा है······

श्री रामकिशन (वैर) : अब अच्छी हो गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि दुनिया भर में·······

श्री रामकिशन : किस रिपोर्ट से कह रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : एवरेज एज बढ़ी है।

श्री रामकिशन : एवरेज एज बढ़ना दूसरी बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ५५ साल के दूसरे जो पेन्शन पानेवाले हैं उनको देखेंगे तो अच्छी तन्दुरुस्ती पायेंगे और दुनिया भर का मैं कहता हूं कि ५५ साल पर रिटायर करने का कहीं नियम हो तो बात अलग है वर्ना ज्यादा वक्त तक रखने का एक सिलसिला होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्थान में केबिनेट ने यह निर्णय नहीं लिया था कि हम ऑल इन्डिया का स्केल लागू नहीं करेंगे और ५५ का ही रखेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं लिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंह-नगर) : नई जैनरेशन जो हृष्ट-पुष्ट है उसका क्या करना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नई जैनरेशन के साथ में जो आज की जैनरेशन है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
उसके लिये हमने रखा है कि नाकाबिल होंगे तो छुट्टी देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अगर ३ वर्ष उधर आगे बढाये गये तो इधर २५ से २८ क्यों नहीं कर देते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहस के दौरान में कुछ मित्रों ने यह कहा कि हम लोग यह चाहते हैं कि मिनिस्टरों की तादाद कम की जाय। मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहले ही १८ हैं; बहुत ज्यादा तादाद नहीं रखी गई है। यह समझें कि बहुत ज्यादा तादाद हो तो यह सोचने का भी प्रश्न आये। पहले ही १८ मैम्बर्स रखे हैं और उसमें कमी करने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं। (कई) मैम्बर्स के बोलने पर मैं समझता हूं कि बहस की बात आती नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कांग्रेस मैम्बर्स का वन-फोर्थ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरी बात यह कही गई ....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह गारन्टी तो दें कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे। एमर्जेन्सी के नाम पर और ज्यादा बढ़ा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो अभी हैं उससे कम नहीं किये जायेंगे, यह मैं कह सकता हूं।

टी. ए., डी. ए. के बारे में यहां पर यह कहा गया कि टी. ए., डी. ए. का अभी हमने यह तय किया है कि राजस्थान में कोई भी टूर करें तो इन्सीडेन्टल चार्जेज़ और डी. ए. मिला कर १००) रु० से ज्यादा ड्यू नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इस बात को आप एप्रिशियेट करेंगे, वह तो मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूं कि जब यह तय किया तो किसी ने यह कहा कि कुछ लोगों की अपनी कारें हैं उन पर असर नहीं पड़ता है। मैं समझता हूं कि कारें १-२-३ के पास हो सकती हैं। कारें सबके पास में नहीं हैं। टूर के अन्दर इस तरह से कमाया जा सकता है, इस बात को मान कर चला जाय, यह ठीक नहीं है। चूंकि बहुत से माननीय सदस्यों को दौरों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है वर्ना मालूम हो सकता है कि टी. ए. कमाने की जो बात कही जाती है वह कोई आसान बात नहीं होती है। खर्चा भी रहता है जिसकी वजह से जो यह समझा जाय कि सारे का सारा बचता है तो हम लोगों पर यह असर पड़ता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना पर्सेन्टेज बचता है ?

श्री मानसिंह महार : दौरों में सब तरह से फायदा ही होता है, नुकसान क्या होता है, खर्चा होता क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खर्चा होता है....

श्री मानसिंह महार : दावतें मिलती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब भी कभी सदन की बैठक होती है तो सदन की बैठक में हाई कोर्ट का सवाल कुछ हमारे माननीय सदस्य रखा करते हैं और बार-बार कोशिश करके कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की एक बैन्च यहां पर स्थापित होनी चाहिए।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
पिछले वक्त भी मैं इस सदन में कह चुका था कि इसके बारे में सब मिल कर प्रयास करके एक वातावरण तैयार करें और अगर जोधपुर और यहां के लोग मिल कर किसी इस प्रकार के निर्णय पर पहुंच जायें कि जिससे राजस्थान में एक मत से मिल जुल कर फैसला हो सके तो हम लोगों को ऐतराज नहीं होगा। लेकिन यह प्रश्न आम तौर से विधान सभा में होता है। यहां आकर इस दृष्टिकोण से बोलते हैं कि बाहर जाकर कह सकें कि हम लोगों ने आप लोगों के प्रश्न को बड़े जोरों से उठाया था और फिर ६ महीने चुप बैठ जाते हैं····

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैं, अध्यक्ष महोदय, एक सूचना चाहूंगा।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order? Order please?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मैं यह बताऊंगा कि जनहित की दृष्टि से सोचने के लिये मन्त्री महोदय को बाध्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष: Order please? सूचना का समय प्रश्न का समय हो सकता है। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह सवाल जनता के न्याय-प्रशासन से है। भरतपुर और धौलपुर के रहनेवाले व्यक्ति······

श्री अध्यक्ष: आपको अपनी बात रखने का मौका मिला तो क्यों नहीं उस वक्त रखी? Order please?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: क्या वातावरण का मतलब आन्दोलन से है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: क्या करवाना चाहते हैं आप?

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Order please?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैंने बहुत साफ कहा है। इस बात में आन्दोलन की बात करने का प्रश्न हल नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि इस प्रश्न को दोनों जगह के लोग मिलजुलकर हल करें। आन्दोलन या जनमत का प्रश्न नहीं रखता क्योंकि जो कुछ फैसला किया गया है वह मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह राजस्थान गवर्नमैन्ट की तरफ से फैसला नहीं किया गया है। एक कमेटी ने इस मामले की रिपोर्ट दी। आप चाहें तो कमेटी की रिपोर्ट को वापिस पढ़ लें। उस कमेटी के सामने मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि जो कुछ चल रहा है चलने दें। इसके बावजूद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी और उसके बाद में जो फैसला हुआ है उस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपस में मेल के साथ होना चाहिये और इस तरह फैसला बदलने को उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: मिलने की एजेन्सी क्या है? आप वह तरीका बता दें।

श्री अध्यक्ष: Order plaese? माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी एजेन्सी बहुत हद तक यह है कि सदन एक मत होकर इसको पास करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑपोजिशन की तरफ से हम कोशिश करेंगे और आप उधर से करिये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आप इस सदन में प्रस्ताव रखें। हम इसको पास करायेंगे।

(घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष: Order please Mr. Handa, please dont interrupt.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहस के दौरान में यह कहा गया कि इसमें प्लान के बारे में और एम्प्लॉयमेन्ट के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भी मैं सदन को सूचित कर चुका हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में ऐसा मान कर चलते हैं कि एडीशनल लेबर फोर्स ४,५०,००० की थी, इसमें ३ लाख ७७ हजार आदमियों का यहां पर एस्टीमेंट किया जाता है, एम्पलॉयमेंन्ट मिला। ६१-६२ जो थर्ड-फाइव-ईयर-प्लान का फर्स्ट ईयर था उसमें इस बात को मान कर चलते हैं १.४९ लाख; मतलब १ लाख ४९ हजार आदमियों को राजस्थान में एम्पलॉयमेन्ट मिला है। मैं समझता हूं, इन फिगर्स से माननीय सदस्यों को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि हमारे यहां एम्पलॉयमेन्ट के मामले में लोगों को ज्यादा एम्पलॉयमेन्ट-पोटेन्शियलिटी पहले से मिली है।

अध्यक्ष महोदय, आज ३ बजे तक सदन चलाने का आपका आदेश था, इसलिये मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। यहां पर बहस के दौरान कुछ बातें और उठाई थीं, वे यह थीं, जिनमें यह कहा गया हमारे विरोधी पक्ष के नेता द्वारा कि एक दीना भाई है उनको जिन्क का कोटा दिया गया उसको उन्होंने बाजार में जाकर बेच दिया। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक टन भी जिन्क का कोटा नहीं उठाया है और बाजार में एक टन भी नहीं बेचा है। साथ ही साथ यह जिक्र करना चाहता हूं, जाकिर हुसैन के लिये जिक्र किया गया कि उनको १५ हजार का लोन दिया ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप बता सकते हैं कि दीना भाई ने कोई कोटा नहीं लिया और बाजार में नहीं बेचा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जिन्क का कोटा नहीं लिया।

श्री रामकिशन : फिर उनको कोटा एलॉट हुआ ही क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट का नियम है कि मशीनरी आ जाय तब कोटा रिलीज होता है। उनको मशीनरी उपलब्ध नहीं हुई इसलिये कोटा नहीं मिला, इसलिये बेचने की बात नहीं उठती।

श्री रामकिशन (बैर) : ऐसे आदमी को एलॉट क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एलॉट करने पर भी रिलीज तभी किया जाता है जब कि मशीनरी आ जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यदि यह बिल्कुल निर्मूल बात सिद्ध हुई है तो मैं आपसे क्षमा-प्रार्थना करता हूं ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : धन्यवाद ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो मिसयूज़ के बारे में कहा गया, नॉन यूटिलाइजेशन के बारे में, फण्ड का काफी नॉन युटिलाइजेशन होता है, अब तक इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट की तरफ से एक करोड़ से ऊपर रुपयों का लोन दिया गया । अब तक जांच पड़ताल हुई । उससे मालूम हुआ कि साढ़ा सात लाख रुपये के मिसयूज़ की रिपोर्ट है । आज स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का ऐसा सेक्टर है जिसमें लोगों को एन्करेज करने के लिये ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना पड़ेगा । अब इसमें कोई बात इस प्रकार की आवे तो सख्ती से गवर्नमेन्ट काम करे । कई मामलों में सख्ती से कार्यवाही की भी गई है, कइयों का पी. डी. आर. में चालान भी किया है, वसूली की कार्यवाही की जा रही है । और भी केसेज़ सामने आयेंगे तो उनमें इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी, यह निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, गोल्ड स्मिथ्स या स्वर्णकारों के बारे में एडजोर्नमेन्ट मोशन आया था और बहस के दौरान भी यह प्रश्न उठाया गया उनकी दिक्कत के बारे में । नया कानून या रूल्स बने हैं उनकी वजह से उन लोगों के सामने दिक्कत पैदा हुई है । सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यह बात स्पष्ट समझ कर चलें कि उनमें से सब कोई सोने का काम करनेवाले ही नहीं हैं । उनमें से कई लोग काफी बड़ी तादाद में चांदी का काम करने वाले भी होते हैं । केवल यह समझ कर चलना कि सभी सोने का काम करनेवाले ही हैं, यह प्रश्न नहीं आता । मेरे सामने पहले भी यह बात आई थी कि जयपुर में जो लोग मीनाकारी का काम करते हैं वे अच्छा सोना नहीं होता तो काम नहीं कर सकते । ऐसा होने से एक्सपोर्ट में नुकसान होगा, अच्छी इन्डस्ट्री को क्षति होगी । इस संबंध में मैंने भारत सरकार के वित्त मंत्री को लिखा भी है, उनसे बातचीत भी की है और मैं समझता हूं यदि ऐसा कोई मार्ग निकल सका जिसमें उसका दुरुपयोग न हो सके और उस चीज को करने के लिये एक्सपोर्ट के लिये यूज़ कर सकें तो हमें कहने में और भी सहूलियत होगी और मार्ग निकल सके, ऐसा मान कर चलेंगे ।

साथ ही साथ यह भी कहा कि दूसरे लोग मीनाकारी के अलावा और काम करनेवाले हैं वे सब लोग १४ केरेट से काम नहीं कर सकते, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं । इसमें हो सकता है, आखिर कई जगह १४ केरेट चलता है । उनको इसमें काम करने में परिवर्तन करना पड़ेगा । असली सोने पर काम करने के बाद १४ केरेट में काम करने में अधिक परिवर्तन उनको नहीं करना पड़े, यह मनुष्य स्वभाव है इसलिए वे चाहते हैं कि अधिक परिवर्तन नहीं करना पड़े । मैं समझता हूं, काफी बड़ी तादाद में इसमें जाना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति हो तो क्या हल हो सकता है, किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, उसके लिये सूचित करना चाहिये । जिस प्रकार महाराष्ट्र में तथा और और जगहों में सोचा है हम जल्दी से जल्दी एक कमेटी मुकर्रर करेंगे जिसमें इन बातों को एग्ज़ामिन किया जा सके कि ये किस धंधे में जा सकते हैं, कैसे कोऑपरेटिव बन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकती है, कैसे इनको लोन मिल सकता है जिससे कारीगर होने का जो इनमें जन्मजात गुण है उससे लाभ उठाया जा सके और बेकार ोने जैसी परिस्थिति पैदा न हो।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात को कहा गया बहस के दौरान कॉम्युनिस्ट पार्टी के लिये कि होम मिनिस्टर बहुत लीनियेन्ट व्यू लेते हैं और उन सब को यहां बैठने देते हैं, नजरबन्द नहीं बनाया वगैरह। दूसरी बात कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कही गई कि वे पूरी देशभक्ति से काम करते हैं। तो फिर ऐसा सोचने का कहां प्रश्न है ? मैं यह सोचता हूं कि राज्य सरकार की यह नीति रही है, जिसका आधार यह था कि जिसका प्रो-चाइना एटीट्यूड है उसके बारे में राजस्थान सरकार ने कार्यवाही की है और मैं समझता हूं कॉम्युनिस्ट पार्टी के लिये कि यह एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है और जो आदमी इस बेसिक नीति को स्वीकार नहीं करता है, चीन के प्रति हमदर्दी रखता है उसके लिये यह उचित होगा कि उसको पार्टी से एक्सपेल कर दे।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): सरकार के पास क्या आधार है गिरफ्तार करने का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आज देश में इस बारे में कुछ भ्रान्तियां हैं। उन भ्रान्तियों को स्पष्ट करने से ज्यादा आसानी होगी और लोगों को समझने में सहूलियत होगी क्योंकि आज इस बात को सोचा नहीं जा सकता कि कोई कॉम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर ऐसा नहीं है जिसका विचार ऐसा नहीं रहा हो। अपने यहां बहुत कम कार्यवाही की गई है, जो सामने है। लेकिन कुछ और प्रदेशों में इस बारे में ज्यादा कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। मैं आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि सब पर पाबन्दी रहनी चाहिये वे इस बात को समझेंगे कि हम जो देश के हित में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर काम करना चाहते हैं, यह राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करना ठीक नहीं मानती। जिसके बारे में कुछ ख्याल हो कि वे विदेशी ताकत को मदद देना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार नहीं झिझकेगी और उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जायगी....

श्री हरिराम चौहान: जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है उनके लिये क्या आधार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: एक प्रश्न और है। इस सदन में बहस के दौरान यह भी कहा गया; म्यूनिसिपल इलेक्शन के बारे में। अब क्यों कि जनरल इलक्शन हो रहे हैं तो म्यूनिसिपल इलेक्शन्स को रोक रखना उचित प्रतीत नहीं होता। मैं समझता हूं, इस दलील में औचित्य है, ठीक बात है। यदि देश में विधान सभाओं के चुनाव हों तो हम एमर्जेन्सी के नाम पर नगरपालिकाओं के चुनावों को रोक दें, यह राज्य सरकार नहीं चाहती और जल्दी कार्यवाही करेंगे, चुनाव किये जा सकें, ऐसा विचार किया जायगा।

(३. म. प.)

मैं आपके द्वारा अन्त में, माननीय अध्यक्ष, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी के होने की वजह से कोई उस एमर्जेन्सी के दुरुपयोग करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन आज के दिन जो बहुत से प्रश्न देश के अन्दर खड़े होते हैं; अभी मंहगाई का सवाल खड़ा है और प्रश्न हमारे सामने हैं ब्लैक मार्केटिंग,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होर्डिंग इत्यादि। इसके अलावा और कई चीजों की सम्भावना हो सकती है और खास तौर से तब जब आज कई प्रश्न हमारे सामने हल नहीं हुए हैं, हमें यह मान कर चलना होगा। आज के दिन लड़ाई समाप्त हो गई, यह समझ लें तो सबसे बड़ा भ्रम होगा और अपने आपको धोखे में डालना होगा, देश को धोखे में डालना होगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रयत्न, चाहे फिर हम विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने का या प्रयत्न करने का सवाल हो, वह एमर्जेन्सी और दूसरी चीजों को करके हमारे ऊपर आये। हम चाहते हैं कि देश के निर्माण-कार्य के अन्दर ज्यादा से ज्यादा मिलजुल कर चलें। आज राजस्थान के सामने यह प्रश्न है, जैसे कि एमर्जेन्सी का प्रश्न है, साथ ही बाउन्डरी की स्टेट होने की वजह से हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उनको जितना पूरा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको पूरा करने की कोशिश करें और साथ साथ पिछड़ा हुआ प्रदेश है राजस्थान का तो अपने विकास के कार्यों को आगे लेकर चलने के प्रश्न पर यह समझ कर कि आज विकास के कार्यों में न पड़ें और थोड़े दिनों तक विराम करें, विश्राम करें–यह मान कर नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें त्याग करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े वजन उठाना पड़े तो वजन उठा कर और सब कुछ करके राजस्थान को चहुंमुखी विकास के लिए हर प्रकार तैयार रहना है। चाहे व्यक्ति व्यक्ति पर वजन आये, उस वजन को उठा कर और अपने आपको तैयार करके चलना है।

मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रहा है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिये, उसे राज्यपाल महोदय ने जो विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिये जो भावना व्यक्त की है उस भावना से सहमत होते हुए उसे स्वीकार करना चाहिये, यही मैं प्रार्थना करूंगा।

श्री रामकिशन : एक, दो बातें मुख्य मंत्री जी छोड़ गये हैं····

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है।

श्री रामकिशन : दो प्रश्न छोड़ गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : कोई प्रश्न····

श्री अध्यक्ष : हर एक माननीय सदस्य दो-दो प्रश्न पूछें तो····

श्री रामकिशन : ऐसी बात नहीं है। दो बातें हैं, एक तो डिफेन्स के लिए कुछ नहीं कहा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को और बहुत मौके मिलेंगे।

एक माननीय सदस्य : हां, कहें।

श्री रामकिशन : हां तो है, अब 'हां' क्या कहलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है, जो माननीय श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है:—

"इस सत्रमें समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं"।

Page No.80

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव पर कई संशोधन आये हैं। अगर कोई माननीय सदस्य संशोधन वापिस लेना चाहें तो उस तरह का उल्लेख करदें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (वांदीकुई) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने एक अमेन्डमेंन्ट मूव किया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं वह संशोधन वापिस ले लूं।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन सर्व श्री लक्ष्मणसिंह, सतीशचन्द्र अग्रवाल, हरदत्तसिंह, केदारनाथ, सतीश कुमार, नत्थीसिंह, विभाजन संख्या १२५, मानसिंह महार, मथुरेशबिहारी माथुर-इन माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, सदन उन्हें वापिस लेने की आज्ञा दे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकिशन : मेरा रह गया है। मैंने वापिस लेने के लिये नहीं रखा था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामकिशन ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : संशोधन पढ़िये।

श्री रामकिशन : संशोधन पढ़ने से समझ में आयगा। तब तक समझ में नहीं आयगा जब तक पढ़ा न जाय।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामकिशनजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री रामकिशन : संशोधन पढ़ते तो समझ में आता कि क्या बात है। मूल प्रस्ताव को भूल गये हैं। समझ जाते तो सरकारी पार्टी से भी 'ना' ही करते।

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन प्रस्ताव पंच सूत्री है। छोटा होता तो पढ देता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मूल धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही सायं ४ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ३. ५ बजे आज सायं ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

Page No.81

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

(प्रातः कालीन बैठक)

डॉक्टरों तथा वैद्यों की वेतन-श्रृंखलायें। ४८५

मावली तहसील में खरताणा तालाब।

जालोर व बाडमेर जिलों में जल-वितरण योजना।

कोआॅपरेटिव बैंक, बीकानेर द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग।

तिजारा चुनाव क्षेत्र के बांध।

काश्तकारों के कब्जे की भूमि।

भेड़ व बकरियों को राजस्थान से बाहर ले जाने पर कर।

जूनियर स्पेशलिस्ट के रिक्त पद।

भरतपुर जिले के बेरोजगार।

नगरपालिका कर्मचारियों की सेवाओं का स्थानान्तरण।

एलॉटी दूकानदारों को दूकानों का बेचान, अलवर।

स्वागत समारोह में व्यय।

नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन स्तर।

मुआवजे का भुगतान।

नगरपालिका निवाई का चुनाव।

बीकानेर स्टेट के समय में कापड़ियों को भूमि का अलॉटमेन्ट।

नाथद्वारा अस्पताल में एक्सरे मशीन की आवश्यकता।

तहसील निवाई के किसानों को मुआवजा।

स्कम्भ

सेल्स टैक्स की अदायगी, भरतपुर।

सागी नदी (जिला जालोर) पर बांध।

बस यात्रियों पर टैक्स, टोंक।

गिरदावरी सम्बन्धी नियमों में सुधार।

राजस्थान समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजना।

नगर विकास निगम बीकानेर की वार्षिक रिपोर्ट।

जरायमपेशा कौमों को जमीन।

भीलवाडा जिले के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर।

सीकर व झुन्झुनूं जिले के लिये पहाड़ी इलाकों के वन।

जयपुर नगर परिषद् पर पानी व बिजली की बकाया।

श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन।

गरमपुरा पंचायत क्षेत्र को सीमेन्ट कम्पनी के खाते बांधने की कार्यवाही।

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के विचाराधीन मामले।

शोक प्रकट

स्वर्गीय श्री महेन्द्रसिंह (राजा खेडा), भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर अध्यक्ष, श्री रामनिवास मिर्धा ने स्वयं व सदन की ओर से श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए समवेदना प्रकट की। ५४३

सदन द्वारा कुछ मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की गई ।

अधिक अनुदानों एवं अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरणों का उपस्थापन ५४४

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने निम्नांकित अधिक अनुदानों एवं अनुपूरक अनुदानों की मागों के विवरणों का उपस्थापन किया :—

(क) अधिक अनुदानों की मागें, १९५८-५९

(ख) अनुपूरक अनुदानों की मागें, १९६२-६३

विधायी कार्य-प्रवर समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५४४

निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया गया :—

(१) राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२,

(२) राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२,

(३) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ५४५

श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत राज्य में चेचक तथा खसरा फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बरकतुल्ला खां, स्वास्थ्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ५५०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री बृजसुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद का आज अन्तिम दिन था :—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने बहस में भाग लिया :—

(१) श्री जयसिंह
(२) श्रीहरिप्रसाद शर्मा (६३)
(३) श्री शंकरलाल
(४) श्री मुकटबिहारीलाल
(५) श्री घासीराम यादव
(६) श्री जोधसिंह
(७) श्री केसरीसिंह (पाली)

उपरोक्त प्रस्ताव पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री तथा श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री ने दिया ।

धन्यवाद-प्रस्ताव पर प्रस्तुत समस्त संशोधन, श्री रामकिशन के संशोधनों के अतिरिक्त वापस ले लिये गये। श्री राम किशन के संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये।

तत्पश्चात् धन्यवाद-प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(सदन की बैठक ३ बज कर ५ मिनट पर स्थगित हुई तथा ४ बजे सायं अध्यक्ष, श्री राम-निवास मिर्धा की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३ (सायंकालीन बैठक) की कार्य-सूची

१. वार्षिक वित्तीय विवरण (१९६३-६४ के सम्बन्ध में वित्त मंत्री का भाषण तथा राज्य के आय-व्ययक (बजट), १९६३-६४ का उपस्थापन।

२. पुरःस्थापित विधेयक,

(क) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

(ख) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सेस) विधेयक, १९६३.

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

ग्रामों की सूची जिनकी स्कीमें बन कर कार्य शुरू कर दिया गया है:—

१.	पचपदरा	५,००,०००
२.	उम्मेदाबाद	१,१७,६००
३.	समदड़ी	१,५२,३४०
४.	मंडावाडा	८९,९००
५.	आहोर	२,५०,०००
६.	जसवंतपुरा	१,४४,६००
७.	खंडप	६,१३,०००
८.	छोटन	१,२९,०००
९.	अशोक	१,२३,०००
१०.	गदरारोड	७७,८००
११.	देकारा	२,१४,९००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर देखिये)

अल्पकालीन ऋण कृषि सहकारी समितियों को

क्रम सं०	नाम समिति	दी गई रकम रु० न० पै०	देने की तारीख	किस कार्य को ऋण दिया
१	२	३	४	५
१.	मानेरा बहुउद्देशीय स० स० लि०	१३२५६-००	९-६-५८	बीज, चारा खरीदने व मजदूरी के लिए
२.	गुडा बहुउद्देशीय स० स० लि०	७३२९.००	२४-६-५८	,,
३.	भूगल बहुउद्देशीय स० स०लि०	७४१७.००	२७-१०-५८ १७-१०-५८	,,
४.	गनेरी बहुउद्देशीय स० स० लि०	५०४०.००	१-९-५८	,,
५.	किलचू बहुउद्देशीय स० स० लि०	५३८०.००	३१-७-५९	,,
६.	धोमासर बहुउद्देशीय स० स० लि०	३८००.००	३०-७-५९	,,
७.	राणीसर बहुउद्देशीय स० स० लि०	२१००.००	७-८-५९	,,
८.	जागड स० र० कृषि ,,	२७००.००	७-८-५९	,,
९.	घडियाला ,, ,,	६५३०.००	१४-८-५९	,,
१०.	लाखासर ,, ,,	२१७५.००	२९-८-५९	,,
११.	ढाणी कुम्भराम ,,	४८७०.००	१६-१०-५९	,,
१२.	मोडायत कृषि ,,	२४१०.००	१०-९-५९	,,
१३.	जेतेपुर ग्राम सेवा ,,	६०००.००	२४-६-६०	,,
१४.	शेखसर बहुउद्देशीय स० स०	८८८०.००	२३-६-६०	,,

१	२	३	४	५
१५.	घाण्डासर बहुउद्देशीय स० स० लि०	३९००.००	२४-६-६०	बीज, घारा खरीदने व
१६.	गुसाईसर „ „	३०००.००	२४-६-६०	मजदूरी के लिये
१७.	हिमयसर „ „	२९५०.००	२३-८-६०	„
१८.	ढाणी पाण्डसुर ग्राम सेवा स० स०	५२८०.००	३०-८-६०	„
१९.	गीगासर बहुउद्देशीय „	१६९०.००	२३-८-६०	„
२०.	केसरदेसर जाटान ग्रा. से० स० स०	९४००.००	३१-८-६०	„
२१.	दाऊदसर बहुउद्देशीय „	२९५०.००	३०-८-६०	„
२२.	तेजरासर ग्राम सेवा स० स० „	२९००.००	३१-८-६०	„
२३.	रामसर ग्राम सेवा स० स० „	४५००.००	३१-८-६०	„
२४.	शेरपुरा ग्राम सेवा स० स० „	५९६०.००	२-९-६०	„
२५.	रायसर बहुउद्देशीय स० स०	४०००.००	३-९-६०	„
२६.	बम्बूल „ „	९१८०.००	३-९-६०	„
२७.	खोकूसर „ „	२१२९.००	५-९-६०	„
२८.	ह्याडलांवास रावलोतान स० स०	५२८०.००	४-४-६१	„
२९.	बन्जूक „ „	४७२०.००	१०-४-६१	„
३०.	मेघासर „ „	३२००.००	१०-४-६१	„
३१.	शेखासर बास खोडाला „ „	१२५८०.००	१२-४-६१	„
३२.	हुद्दो „ „	३१४०.००	१-५-६१	„
३३.	नगेरासर ग्राम सेवा स० स० „	३५००.००	१३-५-६१	„
३४.	कावनी „ „	८०००.००	१५-५-६१	„
३५.	रानसर आथुनां ग्राम सेवा स० लि०	३५००.००	१७-७-६१	„

१	२	३	४	५
३६.	मोखा कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०	६४००.००	३०-५-६१	बीज, चारा खरीदने व मजदूरी के लिये
३७.	उदासर „ „	५३००.००	९-६-६१	
३८.	रामबाग ग्राम सेवा स० स० „	४०५०.००	९-६-६१	„
३९.	गोड कृषि बहुउद्देशीय स० स०	४४००.००	९-६-६१	„
४०.	खीखनिया कृषि „ „	२०६०.००	१०-६-६१	„
४१.	दियातरा „	६१०५.००	१२-६-६१	„
४२.	मिठड़िया „	२५५०.००	१३-६-६१	„
४३.	गुसाइसर „	१९००.००	७-७-६१	„
४४.	गोविन्दसर „	५९९०.००	८-७-६१	„
४५.	पीपेरा ग्राम सेवा स० स० „	४१४०.००	„	„
४६.	नादड़ा कृषि बहुउद्देशीय स० स०	२३००.००	„	„
४७.	राजासर उर्फ करनीसर ग्राम स० स० लि०	९९५०.००	„	„
४८.	जैसा ग्राम सेवा „ „	८१२०.००	„	„
४९.	खिन्दासर बहुउद्देशीय स० स०	८३००.००	„	„
५०.	सरनाजा ग्राम सेवा स० स० „	१००८०.००	१०-७-६१	„
५१.	सुंई „ „	१२८००.००	„	„
५२.	भादवावास कालू „	९७८०.००	„	„
५३.	मढ़ बहुउद्देशीय स० स० लि०	४८००.००	११-७-६१	„
५४.	नायासर ग्राम सेवा „	२२०६०.००	२२-७-६१	„
५५.	जामसर बहुउद्देशीय स० स० „	९४००.००	१८-८-६१	„
५६.	लालसर बहुउद्देशीय स०स० „	३४८०.००	१९-८-६१	„

Page No.88

१	२	३	४	५
५७.	दुर्गाकालू ग्राम सेवा स० स० लि०	७५८०.००	१६-९-६१	बीज, चारा खरीदने व
५८.	खीचिया बहु. स० स० लि० „	३३००.००	२-११-६१	मजदूरी के लिये
५९.	मंडाल „ „	१३३२०.००	२३-८-६०	„
६०.	मोटावतान „ „	१५००.००	९-५-६१	„
६१.	खीयेरा ग्राम सेवा स० स० „	१०७९०.००	१२-६-६२	„
६२.	हुंसेरा „	१३८००.००	„	„
६३.	छटासर „	७०७५.००	१३-६-६२	„
६४.	उदयरामसर „	३२००.००	१५-६-६२	„
६५.	सहजरासर „	१०४००.००	„	„
६६.	बरसिंहसर „	११४९०.००	„	„
६७.	साढेवाली „	८६८०.००	१६-६-६२	„
६८.	देरावाला „	९४१०.००	„	„
६९.	सूरघना „	८४७५.००	२७-६-६२	„
७०.	सींथल „	१०१००.००	„	„
७१.	देवीकणुसागर „	२०९१०.००	२८-६-६२	„
७२.	नोरंगदेसर „	१११८०.००	२९-६-६२	„
७३.	गजनेर बहुउद्देशीय स० स० लि०	१०५४०.००	२४-६-६०	„
७४.	नाल बड़ी „ „	९८८०.००	३०-५-६०	„
७५.	लालसिंहपुरा ग्राम सेवा स० स० लि०	४६८०.००	३-७-६२	„
७६.	लूणकरणसर „	१०३३५.००	„	„
७७.	राजपुरो हुडान „	४८४०.००	७-७-६२	„

१	२	३	४	
७८.	मनुसर ग्राम सेवा स० स० लि०	१०१०५-००	६-६-६२	बीज, चारा खरीदने व मजदूरी के लिये
७९.	जलालसर ,,	९६००-००	९-७-६२	,,
८०.	सवाईसर ,,	२८००-००	१६-७-६२	,,
८१.	गाढवाला वहु० स० स० लि०	१७४५०-००	२१-५-५८	,,
८२.	कोलासर ,,	१२५९०-००	२०-६-५८ ४-७-६०	,,
८३.	रातड़िया ,,	१२२०-००	३०-१२-५९	,,
८४.	कस्कू ,,	९२१०-००	१९-५-६०	,,
८५.	कडसू ,,	५६००-००	२७-६-६०	,,
८६.	लालासर ,,	८४८०-००	२५-८-६०	,,
८७.	वघड़ा ,,	२६२५-००	२-९-६०	,,
८८.	घपालिया ग्राम सेवा स० स० लि०	४५७५-००	२९-५-६१	,,
८९.	खीचियासर वहु० स० स० लि०	२३३०-००	३०-७-५९	,,
९०.	जोरापर पुरा ,,	२६६०-००	७-७-६१	,,
९१.	उदासर ग्राम सेवा स० स० लि०	१०९६०-००	७-७-६१	,,
९२.	ढिंगसरी ,,	५५८०-००	,,	,,
९३.	पांचू ,,	३०८६०-००	,,	,,
९४.	बन्सीवास पिथरासर ग्राम सेवा. सं.स.लि.	१०६१०-००	,,	,,
९५.	हियादेसर ,,	१०२२०-००	,,	,,
९६.	चरखढा वहु. स. स. लि.	२४८०-००	,,	,,
९७.	मेउसर ग्राम सेवा स. स. लि.	४०६५-००	१०-७-६१	,,
९८.	माण्याण पाखा ,, ,,	४५००-००	२९-९-६१	,,

१	२	३	४	
९९.	लालनदेसर बड़ा ग्राम सेवा स. स. लि.	४५००-००	१८-६-६२	बीज, चारा खरीदने व मजदूरी के लिये
१००.	मसूरी दिरसीरिया ,,	५९००-००	१८-६-६२	,,
१०१.	बादनू ,,	३०७५-००	,,	,,
१०२.	घरनोक ,,	६३६५-००	२९-६-६२	,,
१०३.	सरेडिया बहु. स. स. लि.	४३४५-००	२-७-६२	,,
१०४.	काकेड़ा ,,	३९६०-००	३०-१२-५६	,,
१०५.	चरखड़ा ,,	५६८०-००	२०-६-६०	,,
१०६.	रासीसर जेगला ,,	१८२२०-००	२३-८-६०	,,
१०७.	सिन्धु ,,	२०२०-००	७-७-६२	,,
१०८.	गजरूपदेसर ग्राम सेवा स. स. लि.	३५७०-००	,,	,,
१०९.	जयसिंहदेसर मगरा ,,	८४३०-००	९-७-६२	,,
११०.	सोवा बहु. स. स. लि.	४७००-००	,,	,,
१११.	कुचोर आथुनी ग्राम सेवा. स. स. लि.	९४९५-००	१४-७-६२	,,
११२.	सानियाला ,,	५७७०-००	,,	,,
११३.	लालमदेसर छोटा. ,,	३४४०-००	२०-७-६२	,,
११४.	मोरखाना बहु. स. स. लि.	५३९५-००	२६-७-६२	,,
११५.	कपूरीसर ,,	६६२०-००	३-८-६२	,,
११६.	देसलसर ,,	७२६५-००	२-८-६२	,,
११७.	बीझरवाली ग्राम सेवा. स. स. लि.	५७८०-००	१९-९-६२	,,
११८.	मकड़ासर बहु. स. समिति लि.	६६७०-००	,,	,,
११९.	खारी चारनान ,,	४०९०-००	२०-९-६२	,,
१२०.	दाउदसर ,,	२३७९-००	२२-९-६२	,,
१२१.	रांडा ग्राम सेवा सह. समिति लि.	८०३०-००	२७-९-६२	,,
१२२.	अंडानिया बीकान ग्राम. से. स. स. लि.	४४५०-००	४-७-६०	,,
१२३.	सहजूसर ,,	१००००-००	२७-६-६०	,,

Page No.91

१	२	३	४	
	मध्यकालीन ऋण			
१.	हंसासर शीप ब्रीडिंग को. सो. लि.	३०००-००	१९-७-५७	भेड़ खरीदने के लिये
	अल्पकालीन ऋण			
१.	बीकानेर केन्द्रीय स. क्रय-विक्रय संघ लि.	१३०७०-०८	८-७-५९ १३-७-५९ २०-७-५९ २७-७-५९ २८-७-५९	कच्चा माल खरीदने व पक्का माल बेचने के लिये
२.	हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक स. स. लि., उदयरामसर	५४००-००	३१-३-६२	,,
३.	परिहार हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	३०००-००	१६-४-६२	,,
४.	खुराव हाथ कर्घा ,,	१०००-००	२०-४-६२	,,
५.	शिवा हाथ कर्घा ,,	१५००-००	२३-४-६२	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर देखिये)

REVENUE (B) DEPARTMENT

No. F. 6 (42) Rev. B/58

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Revenue (B) Department.

From

Shri R. K. Chaturvedy,

Secretary to the Government,

To

All Collectors.

Dated Jaipur, Jan 5. 1963

SUB:—Conversion of agricultural land into abadi.

As there appear to be a certain amount of confusion and misunderstanding in regard to the scope of section 90A ("Use of Agricultural land for non-agricultural purposes") of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956), and the rules made to give effect, to the provisions of the said section viz., the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural into Non-Agricultural Land) Rules, 1961 and Government have reason to believe that this has resulted in unnecessary hardship on certain cases and unnecessary references to Government, Government consider it necessary to issue the following clarification for the guidance of the Collectors and their subordinate Revenue Officers.

2. Under sub-cluase (*a*) of clause (19) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No. 3 of 1955).

"(*a*) a dwelling house erected on the holding by the tenant of his own occupation or a cattle-shed or a store-house or any other construction for agricultural purposes erected or set up by him on his holding,."

is an 'improvement'. Provisions relating to improvements are contained in Chapter VI, section 65-68 of the Tenancy Act. Section 66 of the said Act empowers a Khatedar tenant to make any improvement in his holding; but no such improvement as is referred to in sub-clause (*a*) of clause (19) of section 5 can be made—

"(*a*) within a radius of ten miles of the municipal limits of the City of Jaipur, or

(*b*) within a radius of five miles of any other city as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 59, or

(*c*) within a radius of two miles of any other municipality,

except with the sanction of the Tehsildar applied for and accorded in the prescribed manner:

Provided further that no sanction shall be necessary for the construction of temporar structure:

Page No.93

Provided also that all or any such improvements shall not exteꝛd over such area, not exceeding one-fiftieth of the total area of the holding as may be prescribed and shall not be sanctioned otherwise than in the prescribed circumstances".

3. Section 72 of the Tenency Act lays down that—

"*Liability for full rent*—A tenant making an improvement shall, in the absenoe of a written agreement to the contrary, continue to be liable to pay the full rent of the holding" (Proviso not quoted).

4. The rules to give effect to the provisions of the provisos to section 66 of the Rajasthan Tenancy Act will be found in Chapter VI, rules 25A to 25F, of the Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules, 1955. Rules 25F details the "circumstances in which sanction may be accorded" to the construction of a dwelling house or a cattle-shed etc. on a holding.

5. Attentionmay here also be invited to the provisions of section 31 of the Tenancy Act, where under a tenant is entitled, free of charge, to possess in the Abadi of the village in which he holds land a site for a residential house; and this right has also been extended to agricultural workers and village artisans.

6. The rules to give effect to the provisions of section 31 of the Tenancy Act will be found in chapter III, rules 8-17 of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955.

7. As the law stands at present, for the construction by a khatedar tenant of a dwellinghouse on his holding, which is an "improvement" within the meaning of clause (19) of section 5 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 , no permission is required if the land is not situated within the prescribed radius of municipal limits; and the land covered by such a dwellinghouse continues to bear the agricultural assessment; and no sanction is necessary for the construction of a temporary structure, even within the prescribed radius.

8. For conversion of agricultural land into non-agricultural land by the construction of a house which is not an "improvement" as defined in the Tenancy Act, permission under section 90A of the Land Revenue Act and Rules 4 of the Conversion Rules, is required.

9. Section 90A ("Use of agricultural land for non-agricultural purposes") was inserted in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No. 15 of 1956) by section 3 of the Rajasthan Land Revenue (Second Amendment) Act, 1958, (Rajasthan Act No. 47 of 1958), which was first published in the official Gazette on the 27th December, 1958. Prior to that date, there was no specific provision in this Act prohibiting the conversion of agricultural into non-agricultural land

though section 177 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (3 of 1955) does render a tenant liable to ejectment for an act detrimental to the land or inconsistent with the purpose for which it was let; and conversion of agricultural land into non-agricultural land is a detrimental Act.

10. The rules to give effect to the provisions of section 90A of the Land Revenue Act, entitled the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural into Non-agricultural Land) Rules, 1961, were first published in the official Gazette on the 23rd August, 1961, from which date they came into force. As the rules stand at present, they permit conversion merely for the construction of a house for one's own personal use, on payment of a premium equal to 30 times the sanctioned rent-rate; but in municipal towns the rate of premium is to be determined by Government in each individual case.

11. Rule 6 of the Rules contains provisions to cover the cases of agricultural land sold for non-agricultural purposes by Jagirdars etc. prior to the 15th December, 1960; and the premium chargeable in such case is not to exceed Rs 1.50 per square yard.

12. Rule 7 perescribes the rate of fine to be charged when agricultural land is converted into non-agricultural land without permission.

13. Government are advised that:—

(1) the provisions of section 90A of the Land Revenue Act and the rules made thereunder cannot be given retrospective effect and applied to conversions of agricultural land into abadi made before the insertion of the said section in the Act on the 27th December, 1958, or the publication of the Conversion Rules on the 23rd August, 1961;

(2) the premium at 30 times the sanctioned rent-rates mentioned in rule 5 of the Conversion Rules may be taken to be the capitalised value of the agricultural assessment; and after the permission is accorded and the premium is paid, the land ceases to be agricultural land and ceases to bear agricultural assessment; and

(3) the rate of Rs. 1.50 per square yard mentioned in rule 6 of the Conversion Rules is the *maximum* and was fixed with reference to cases of *Jagirdars in Jaipur city and Udaipur city* and this maximum rate cannot and should not be charged in small villages from petty tenants.

14. Where Government has been unable to fulfil the obligation imposed on it by section 31 of the Tenancy Act, of providing to the tenants house-sites in the Abadi of the village free of charge, cases of tenants who have constructed dwelling-houses, for their own personal use, on their holdings should be sympathetically dealt with in

accordance with the provisions of the Tenancy Act.

15. If there is any breach of the provisions contained in the provisos to section 66 of the Rajasthan Tenancy Act and of the rules made to give effect to those provisions, the remedy lies in action against the tenant under section 177, 178 and 179 of the Tenancy Act; but not under section 90A of the Rajasthan Land Revenue Act and the rules made thereunder. Action under section 90A of the Land Revenue Act and the rules made thereunder should, therefore, not be taken in cases that the covered by section 66 of the Rajasthan Tenancy Act.

16. Government have already issued orders that where agricultural land assessed to land revenue or rent and situated in a jagir village was sold or transferred by a Jagirdar for conversion into Abadi prior to the resumption of the Jagir village. No objection need be raised (vide this Department's circular No. F.6(2) Rev.B/Gr.I/60 dated the 22nd April, 1961). As the provisions of section 90A of the Land Revenue Act and the rules made thereunder cannot be given retrospective effect, no action should be taken under the said Act at this stage, in cases where the conversion took place before the commencement of the Conversion Rules and before the resumption of the Jagir village.

17. It is requested that these instructions should be carefully borne in mind and should be conveyed to all your subordinate Sub-divisional Officers, Assistant Collectors and Tehsildars for their guidance.

Yours faithfully,
B. K. CHATURVEDY,
Secretary to the Government.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the vacant posts of Junior Specialists in various Hospitals in Rajasthan.

S. No.	Name of Hospital.	Nature of Post.	Number of posts.	Since when vacant.	Remarks.
1.	Victoria Hospital, Bharatpur	Surgeon	1	8-12-1962	
2.	K. G. V., Kotah	Gynaecology	1	24-8-58	
3.	Zenana Hospital, Udaipur	-do-	1	20-9-60	
4.	Zenana Hospital, Kotah	-do-	1	18-4-61	
5.	S. M. S. Hospital, Jaipur	Ophthalmology	1	13-8-62	
6.	P. B. M. Men's Hospital, Bikaner	Orthopaedic.	1	26-7-62	
7.	P. B. M. Men's Hospital, Bikaner	Radiology	1	1-6-62	
8.	P. B. M. Men's Hospital, Bikaner	Pathology	1	27-1-62	
9.	T. B. Sanatorium, Bari (Udaipur)	Anaesthesia	1	20-10-59	
10.	M. G. Hospital, Jodhpur	Pathology	1	22-8-61	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ९० का उत्तर देखिये)

Statement of expenditure from April, 1962 to January, 1963.

S. No.	Name of scheme	April, 1962	May, 62	June, 62	July, 62	Aug., 62	Sept., 62	Oct., 62	Nov., 62	Dec., 62	Jan., 1963	Total
1.	Construction of road from Laxminathji temple to Gangashahr	..	..	..	1,598/-	54.26	..	2,228/-	..	141/-	..	4,221.26
2.	Providing span culvert on the channel in old Ginani near era Mahajan	..	931/-	..	..	..	..	..	..	..	..	931.00
3.	Improving low area behind Municipal Hall and Sadar Hall near Mehron-ka-bas pt. A	..	..	..	..	..	63.85	48.00	1,173.00	20.09	..	1,304.94
4.	-do- part B	..	..	3.00	40.34	266.80	345.00	665.00	75.00	262.50	300.00	2,557.14
5.	Construction of tarred road and surface near Motilal Lakhani flour mill to join new road	75.00	..	..	..	..	510.43	1,197.00	..	..	..	1,782.43

6. Construction of covered drain joining with Rly. Nala near Rly. Station at Bikaner	..	..	..	3,078.00	248.38	437.00	...	..	..	..	3,763.38
7. Laying out Nagnichiji scheme at Bikaner	..	..	..	23.98	77.70	..	..	..	..	..	101.68
8. Kamla Colony providing ¾" Mex Phalt on metalled road in Kamla Colony ..	..	..	..	..	..	..	..	75.00	..	..	75.00
9. Construction of a pucca drain in the head Kutcha Channel running along with City from Jassolai New Road to Nathusar Gate ..	..	..	..	..	1,341.00	..	2,498.00	..	..	..	4,339,00
10. Public Hydrant pipe stand from Small Circle near Sandwa House to near M.E.S. Bungalow in New Modern Market at Bikaner ..	..	..	..	..	..	..	406.80	..	..	..	40 6.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Construction of Kerbs in Circle opposite Sandwa House in New Modern Market at Bikaner ..	..	..	..	..	..	..	824.66	..	..	..	824.66
12.	Construction of exterior circle outside Public Park South Gate at Modern Market	..	..	..	..	..	..	1,484.00	..	..	..	1,484.00
13.	Road from Bagrion-ka Mohalla to Hamalon-ki-Bari through Labuji Ka and Bachhawton Ka Dhiga	..	..	..	..	..	..	..	..	3.50	..	3.50
14.	Construction of interior Circle near Public Park in Modern Market at Bikaner ..	..	..	..	..	..	..	1,144.00	..	..	..	1,144.00
15.	Survey and Petrol party	..	..	..	..	..	..	..	..	46.50	100.50	147.00
16.	Portion of Rly. Nallah (B) unlined portion of Rly. Nallah behind Dak Bungalow ..	..	..	..	52.87	..	..	..	..	..	..	52.87

Page No.100

17. Construction of tarred road and surface drain with foot-path etc. in Mohalla Darjián inside Seetla Gate at Bikaner ..	..	..	2.00	..	1,174.88	1,276.00	..	..	..	..	2,452.88
18. Modern Market ..	3,147.10	2,666.50	5,646.00	81.25	8,051.64	7,427.00	165.16	76.25	..	21.00	2,7275.90
19. Part II-Lined covered portion on Rly. Nallah, Bikaner ..	14.76	..	..	..	175.35	..	3,129.00	4.00	..	..	3,323.11
20. Lined portion of Sursagar channel ..	..	3,435.00	..	..	..	..	..	..	..	..	3,435.00
21. Improving area inside Kasaiyon Ki Bari ..	862.00	..	..	..	1,304.10	..	..	..	..	..	2,166.10
22. Providing link road connecting Kota Gate to New well and New well connecting Teliwara road through Khumha-on-Ka-Mohalla ..	198.55	..	..	..	..	..	42.49	..	..	..	241.04
23. Jascasolai ar ..	..	..	1,654.20	..	277.75	..	..	..	..	..	1,931.95

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Removal of unauthorised possessions	102.50	242.00	316.00	266.25	417.75	..	234.00	220.85	..	..	1,799.35
	GRAND TOTAL ..	9,408.45	9,194.49	16,798.48	19,386.79	26,335.97	27,748.56	19,492.27	5.861.11	5,409.78	5,705.77	65,545.99
Jasolai area	..	..	..	1,654.20	..	277.73	..	..	..	..	..	1,931.95
Removal of unauthorised possession	..	102.50	242.00	316.00	266.25	417.75	..	234.00	220.85	...	..	1,799.35
											GRAND TOTAL ..	65,893.92

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ९१ का उत्तर देखिये)

विमुक्त जातियों को जहां जहां पर जमीन दी गई उसकी सूची

क्रमांक	जिले का नाम	आर्थिक स्थिति सुधार के लिये जमीन अलाट की गई	विशेष विवरण
१	अलवर	८४०।४ बीघा	
२	भरतपुर	११११६ बीघा	
३	नागौर	२८० एकड़	
४	कोटा	४३६ ,,	
५	गंगानगर	१४११ बीघा, १९ बि.	
६	बूंदी	३०७१ बीघा	
७	झालावाड़	४६७.४७ एकड	
८	उदयपुर	१.५ एकड़, ५७२ बीघा	
९	भीलवाड़ा	१७३३।।।२ बीघा	
१०	पाली	१०६९ बीघा	
११	अजमेर	२३३७ एकड़, ३,४९२ बीघा १८ बिस्वा	
१२	चूरू	५०३ बीघा	
१३	चित्तौडगढ	३४६८ बीघा	
१४	सवाई माधोपुर	३८० बीघा	
१५	टोंक	५७६ बीघा, ९१ एकड	
१६	जोधपुर	१०४ एकड ३१५ बीघा	

परिशिष्ट ७

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सीकर व झुन्झुनू जिले के लिये पहाड़ी इलाकों के वन

९३. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सीकर जिले व झुन्झुनूं जिले के मिलेजुले पहाड़ी इलाकों के वन "सरकारी वन" की परिभाषा में आते हैं? यदि हां, तो फिर उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त क्यों नहीं हैं, जो कोटा एवं उदयपुर जिले के वन प्रदेश को दी हुई हैं?

उत्तर

जी हां, कोटा व उदयपुर जिलों के वन क्षेत्र में रहने वालों को कुछ रियायतें पहले से ही मिलती आ रही थीं वे अभी चालू हैं। सन् १९५५ में जंगल की पैदावार सम्बन्धी रियायतों के विशेष नियम बनाये गये थे। इसी प्रकार सीकर व झुंझुनूं जिलों में भी जो सुविधाएं पहले से ही मिली हुई थीं वे अब भी चालू हैं। सीकर व झुंझुनूं जिलों का पहाडी इलाका इस कदर पेड़ों से आच्छादित नहीं है जैसा कि कोटा व उदयपुर में। यहां पर इतने पेड़ भी नहीं हैं जिनसे आसपास के निवासियों की सुचारू रूप से आवश्यकता पूरी की जा सके। दूसरा कारण यह भी है कि झुंझुनूं और सीकर इलाके के लोगों की जीविका वनों पर निर्भर नहीं है? बल्कि काश्तकारी पर है, इसके विपरीत उदयपुर, कोटा जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की जीविका वन-पैदावार पर ही निर्भर है। अतः जो सुविधाएं कोटा व उदयपुर पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को मिलती हैं झुंझुनूं और सीकर पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को नहीं दी जा सकतीं।

जयपुर नगर परिषद पर पानी व बिजली की बकाया

९४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर परिषद् पर पानी व बिजली का कितना रुपया बकाया है?

(२) क्या इस बकाया के संबंध में राज्य सरकार ने सुझाव मांगे थे?

(३) क्या इस बकाया के संबंध में कोई सुझाव राज्य सरकार के समक्ष रखे गये हैं?

(४) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया?

उत्तर

(१) नगर परिषद् जयपुर पर पानी व बिजली की बकाया इस प्रकार है:—

पानी की:—६८,४१,२८८) रुपये तारीख ३१-१०-६२ तक।

बिजली की:—२८,२९,१९९) रुपये अगस्त, १९६१ तक।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) विचाराधीन है।

श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन

९५. **श्री कुमारानन्द (ब्यावर)**: Will the **Labour Minister** be pleased to state :—

How many reports on the working of various enactments pertaining to labour in Rajasthan have been published by the Labour Department and pertaining to which year ?

उत्तर

The following Reports have been published by the Labour Department on the Working of various Labour enactments :—

1. Annual Report on the working of Labour Department from 1950 to 1961.

2 Annual Report on the Working of Minimum Wages Act, 1948 from 1950 till 1962

3. Annual Report on the working of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 from 1950 till 1962.

4. Annual Report on the working of the Industrial Disputes Act, 1947 for the Year 1961 & 62.

5. Annual Report on the working of the Indian Trade Unions Act, 1926 for the years 1956-57, 57-58, & 58-59.

गरमपुरा पंचायत क्षेत्र की सीमेन्ट कम्पनी के खाते बांधने की कार्यवाही

९६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पाटन में गरमपुरा पंचायत के क्षेत्र को सीमेन्ट कम्पनी के खाते बांधने की कार्यवाही जारी है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि इस भूमि पर ग्राम जनता के मकान व दूकानें आदि बनी हुई हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इस गरमपुरा के क्षेत्र को खाते नहीं बांधने का विरोध स्थानीय पंचायत व आम जनता के द्वारा किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) इतना जरूर हुआ है कि जो एग्रीमेन्ट राजस्थान सरकार व कम्पनी के बीच हुआ है उसके अनुसार कम्पनी के नाम बाद जांच भूमि इन्द्राज किये जाने की कार्यवाही तहसील केशोरायपाटन में जारी है।

(३) यह कार्यवाही एग्रीमेन्ट जो राजस्थान सरकार व कम्पनी के दर्म्यान हुआ है उसके अनुसार की गई है।

(४) जी नहीं।

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के विचाराधीन मामले

९७. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की अदालत में श्रमिकों के कितने केस कब से पेण्डिग हैं ?

उत्तर

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन औद्योगिक विवादों का विवरण इस प्रकार है :

१९५७-	६
१९५८-	६
१९५९-	१३
१९६०-	४
१९६१-	५
१९६२-	६
कुल	४५

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
४८५	अन्तिम से ३	तरकीं	तरक्की
४८६	७	श्री रघनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
४९२	अन्तिम पंक्ति	कायवाही	कार्यवाही
४९३	अन्तिम से ६	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
४९४	१८	श्री हरिराम चहान	श्री हरिराम चौहान
४९९	अन्तिम पंक्ति	अस	अर्स
५०६	अन्तिम पंक्ति	राज	राज्य
५१०	१	भगतान	भुगतान
५११	अन्तिम से ९	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
५१३	६	चनाव	चुनाव
५१५	शीर्षक	तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोतर
"	१८	अनसार	अनुसार
५२०	४	घुकी	चुकी
५३३	१६	मोन	मोशन
"	१६	मंजीज	मंत्रीजी
५३४	१५	स्वायत्त शासन मत्री	स्वायत्त शासन मंत्री
५३६	१८	श्री मानिकचन्द सुरणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
५३८	९	दरी	देरी
५३८	१४	श्री भैरोंसह	श्री भैरोंसिंह
५४२	शीर्षक	मांगो का विवरण	तारांकित प्रश्नोत्तर
५४५	शीर्षक	खभरा	खसरा
५४९	शीर्षक	खसर	खसरा
५४९	अन्तिम से ९	Notinal	National
"	१५	श्री बरकतुल्लाखां: (स्वास्थ्य मंत्री)	श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) :
५५०	९	ह	है
"	१२	लेप्स	लैम्प्स
५५४	१८	श्री विजयसिंह	श्री जयसिंह
५५५	शीर्ष	(श्री जयसिंह)	(श्री जयसिंह)
"	८	i	is
"	अन्तिम से ११	indus ries	industries
५६२	१५	श्री मकटबिहारी लाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
५६६	अन्तिम से ९	शद्र	शूद्र
५७१	११	श्री विजयसिंह झला	श्री विजयसिंह झाला
"	१३	समय बढ़या	समय बढ़ाया

Page No.106

१	२	३	४
५८२	अन्तिम से ३	उन्होंन	उन्होंने
५८८	६	dont	don't
५९०	अन्तिम से १०	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
५९१	अन्तिम से ७	लिक्वीडट	लिक्वीडेट
५९५	अन्तिम से १०	डकती	डकैती
५९६	८	श्री मथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
५९७	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	अन्तिम	श्रार्म स	श्रार्म स
६००	३, ७	इन्ट्रेरागेट	इन्टरोगेट
६०१	शीर्षक	राजयपाल	राज्यपाल
,,	१	(दो) तीन	(दो-तीन)
,,	४-१०	order !	order !!
,,	११	r r r r r	
,,	अन्तिम से ६	इन्सेट्टीट्यूट	इन्स्टीट्यूट
६०५	२२	ह।	है।
६०६	अन्तिम से ११, १२	कलक्टटर	कलेक्टर
६१०	अन्तिम से ७	होन के	होने के
६१२	१६	मेरा ऐस	मेरा ऐसा
६१८	२२	हीं	नहीं
६१६	६	लड़	लडने
,,	अन्तिम से ११	कें खर्चि	के खर्चे
६२०	१६	नन	नॉन
,,	२४	देश ो	देश को
६२१	अन्तिम से ६	सवती	सकती
६२४	११-१२	कि कि	कि
६३०	अन्तिम से ४	हृष्ट-पुष्ट	हृष्ट-पुष्ट
,,	अन्तिम से ५	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा:	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६३१	१८	श्री योगन्द्रनाथ हाडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६३३	१७	Order? order please	Order! order please!!
६३५	१३	Please dont	Please don't
६३८	अन्तिम	धंघ	धन्ध
६३६	शीर्षक	-२७ मार्च, ६३-	-२ मार्च, ६३-
,,	६	हीं	नहीं
६४०	अन्तिम	ब्लैक मार्टिग,	ब्लैक मार्केटिंग,
६४२-४६	शीर्षक	संक्षिप्त-विवरण (शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३)	संक्षिप्त-विवरण (शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३) (प्रातः कालीन बैठक)
६४५	१-२	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक (प्रातः कालीन बैठक)	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक
६५०	३	(१९६३-६४ के	(१९६३-६४) के

१

१	२	३	४
६५६	५	pu ɔoses	purposes
,,	अन्तिम	temporar	temporary
६६०	२७	allentionmay	attention may
६६४	२	Laxmina hji	Laxminathji
,,	४	providng	providing
,,	६	G nani	Ginani
,,	८	impo ving	improving
,,	९	beh nd	behind
,,	१०	Sa dar	Sardar
,,	१४	Consuction	Construction
,,	१६	noa	near
६६६	१	Consuction	Construction
६६७	अन्तिम से १	Kumharon	Khumharon
६७१	७	publihed	published

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३) तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का चतुर्थ दिवस (संख्या ५

शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक म. प. ४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान शासन के १९६३-६४ के आय-व्ययक की वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुति एवं भाषण

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) :— श्रीमान्, मैं १९६३-६४ का बजट पेश करने के वास्ते खड़ा हुआ हूँ।

२. सदन के माननीय सदस्य इस हकीकत से तो पूरी तरह वाकिफ हैं ही कि यह बजट चीनी हमला-आवरी के स्याह साये में पेश किया जा रहा है। इस emergency (आपात) ने जहां माद्दी लिहाज से हमारी आमदनी के वसीलों व साधनों पर जोर डाला है, वहां जज्बाती लिहाज से कौमी एकता का जज्बा पैदा किया है, देश की अखंडता पर छाये हुए खतरे की बेदारी पैदा की है, और यह सख्त व पक्का इरादा पैदा किया है कि मातृभूमि की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कोई चीज नहीं है।

३. राजस्थान के सभी तबकों के लोगों ने, सभी खेमें और वर्ग के लोगों ने, मुल्क की हिफाजत की कोशिशों में जन, धन व सामान की मदद पहुंचाकर राष्ट्र की पुकार का शानदार जवाब दिया है। राजस्थान की औरतों ने भी, खासकर गंगानगर जिले की किसान औरतों ने, मुल्क की हिफाजत के वास्ते अपने प्यार से संजोये सुनहले जेवरात खुदबखुद भेंट करके भामाशाह की रीत निभाई है। Civil defence (नागरिक सुरक्षा) के लिए, और मोर्चे पर काम आये, घायल हुए व तैनात जवानों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिये, और अपनी सरहदी पुलिस की ताकत बढ़ाने के लिये, रुपया खर्च करने में राजस्थान सरकार भी पीछे नहीं रही है।

४. राज्य की वित्तीय व आर्थिक हालत पर, जो कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थी, इन सब बातों का कुदरती असर पड़ा है और इससे राज्य सरकार के कुछ अन्दाजे भी उलट-पलट गये हैं। इससे यह सख्त जरूरत भी उभर आई है कि अपने साधनों में इजाफा करने के

(श्री बालकृष्ण कौल)

वास्ते हमको और ज्यादा उपाय व जरिये तलाश करने हैं, जिनसे हम न सिर्फ emergency (आपात) के उस लम्बे दौर का मुकाबला कर सकें, जो नागुज़ीर नजर आता है, बल्कि तीसरी पांच साला योजना के मातहत विकास के मुख्तलिफ projects (परियोजनाओं) व तामीरी कामों में भी रुपया लगा सकें।

५. **आमद-खर्च की गुजिस्ता तवारीख** : आयन्दा साल के तफसीली तखमीनों को बहस के लिये पेश करने से पहले मैं राज्य की माली हालत की गुजिश्ता तवारीख में जाना चाहता हूं ताकि आने वाले साल के तखमीनों से बनने वाली वित्तीय तसवीर का सही मंजर नजर आ सके। पहली दो योजनाओं के निशानों (लक्ष्यों) पर पहुंचने में राज्य के साधनों पर भारी बोझा पड़ा। उन दस बरसों में जिनमें पहली दो योजनाएं पूरी हुई, विकास से ताल्लुक रखने वाले व दीगर खर्चों की रफ्तार लगातार बढ़ती गई और किफायतशारी के बावजूद, इखराजात हमारे दस्तयाब साधनों से बहुत आगे दौड़ गये, क्योंकि साधनों में होने वाला इजाफा इखराजात की रफ्तार के साथ नहीं चल सका। इसकी वजह यह तो नहीं थी कि हमारी योजनाएं बूते के बाहर थी। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इत्तफाक करेंगे कि हमारे जैसे तंग-हाल और दूसरों के मुकाबले में कमविकास किए हुए राज्य के लिये निहायत जरूरी है कि आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाई जाय और देश के बाकी हिस्सों में जो मयार (standards) कायम हो चुके हैं वे हासिल किये जायं। इस सूरतेहाल के ऐतबार से हमारे सामने दर असल दो ही रास्ते थे—या तो हम अपनी योजनाओं में कटौती कर दें और अपनी अर्थ-व्यवस्था की कम तरक्कीयाफ्ता हालत पर कोई बड़ा असर न डालें या यह कि वित्तीय साधनों पर दबाव पड़ने का खतरा उठाते हुए भी योजना के निशाने हासिल करने के वास्ते इंसानी ताकत से बालातर कोशिश करें। दूसरी योजना की शुरुआत के वक्त राजस्थान में विकास की सतह कई लिहाज़ से कुल-मिलाकर सारे देश के विकास की औसत सतह से काफी नीची थी। यहां तक कि दूसरी पांच साला योजना की निहायत जोरदार कोशिश के बाद भी राजस्थान अपने को कुल भारत के औसत से गिरा हुआ पाता था, खासकर जहां तक स्कूल जाने वाले बच्चों की फीसदी तादाद का, बिजली की पैदावार का, पीने का साफ पानी मुहैया करने का और सनअती तरक्की का ताल्लुक था।

६. यह चीज भी ध्यान में रखने की है कि जब हम योजना के निशाने हासिल करने की कोशिशों में थे तब हमने और ज्यादा साधन बढ़ाने के मामले में भी अपनी जिम्मे-दारियां पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की। साथ ही हमने ऐसे कदम भी उठाये कि योजना व गैर-योजना की स्कीमों पर हमारा रुपया जाया न होने पाये। इन कोशिशों के नतीजे से माल-मता पायेदार हो गये हैं या होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे ये ज्यादातर तामीरी काम जिनमें पूंजी लगी हुई है चौथी योजना के बीच में या अखीर में ही बढ़ेंगे और फल देंगे। इस अर्से में जागीरदारों को मुआवजों का भुगतान और कर्जों पर भारी सूद चुकाया जाना, राज्य के महदूद साधनों को चूसते रहेंगे, जिसकी वजह से आमदनी व खर्चे के बीच तवाज़न

(श्री बालकृष्ण कौल)

(संतुलन) बनाये रखना हमारे लिए आसान नहीं होगा ।

७. इस राज्य के जनम से शुरू होने वाली माली हालत की तवारीख में १९६१-६२ का वित्तीय साल सबसे ज्यादा नाजुक साबित हुआ । इस साल पांच साला योजना का मकबूल खर्च पूरा करने के वास्ते राज्य सरकार को ७ करोड़ रुपये की बड़ी रकम का इन्तजाम करना लाजिमी हो गया । इसके अलावा इस साल की योजना स्कीमों में लगाये जाने वाली ३४ करोड़ रुपये की रकम में से ११५ करोड़ रुपये के साधन जुटाना भी जरूरी हुआ । गुजश्ता इकरार और नई जिम्मेदारियों ने मिलकर दस्तयाब साधनों और जरूरतों के बीच की खाई चौड़ी करदी ।

८. पहली दो योजनाओं के दौरान अपनी वित्तीय मुश्किलें पार करने के वास्ते सरकार ने जो मुख्तलिफ कदम उठाये उनका वह नतीजा नहीं निकला जो हम चाहते थे और बैंकों का Overdraft (ओवर-ड्राफ्ट) साल दर साल बढ़ता गया । भारत सरकार ने जब हमारी मुश्किलों को समझा और यह देखा कि हम अपनी आमदनी के वसीले वाकई बढ़ाना चाहते हैं तो overdraft (ओवरड्राफ्ट) की रकम कम करने और कर्ज की किस्तें चुकाने के वास्ते उसने सन् १९६१-६२ से १५ करोड़ रुपया कर्ज दिया । लेकिन जब आखिरी हिसाब तैयार किया गया तो यह इमदाद भी नाकाफी साबित हुई और यह कमी पूरी करने के वास्ते चालू साल के शुरू में २० करोड़ रुपये का एक और कर्ज भारत सरकार से लिया गया ।

९. ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा कि इतनी भारी कर्जदारी का मतलब यह है कि साधनों और प्रोग्राम के मुताबिक खर्चों के बीच गैरतवाज़न हमेशा कायम रहे । माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि पिछले साल इस बारे में मैंने क्या कहा था । कुदरती हकीकत यह है कि बड़ी सिंचाई व बिजली के हमारे projects (परि-योजनाओं) से उम्मीद नहीं की जा सकती कि चालू होने के इब्तिदाई सालों में काफी मुनाफा दे सकें । चम्बल व भाखड़ा Projects (परियोजनाएं) चौथी योजना के पिछले दौर में पूरा फल दे सकेंगे, और Rajasthan State Electricity Board (राजस्थान विद्युत मंडल) भी तब तक पूरा मुनाफा नहीं दे सकता जब तक कि पन-बिजली की पैदावार न बढ़ जाय । राजस्थान नहर project (परियोजना) का काम अभी इब्तिदाई दौर में है, और इस पर होने वाली भारी लागत पर माकूल मुनाफा मिलने में कुछ बरस लगेंगे । गरजे कि जहां एक तरफ इन projects (परि-योजनाओं) में बहुत भारी-भारी रकमें फंस गई हैं, वहां दूसरी तरफ इनके वास्ते ली गई उधारों व इन उधारों पर सूद चार्जों का भुगतान चालू हो गया है । project (परियोजना) इलाकों में जमीन की बिक्री और betterment levy (सुधार शुल्क) से जिस जायद आमदनी की हमको उम्मीद थी वह भी बदकिस्मती से हमारे अन्दाजे के माफिक पूरी नहीं हो पाई । चुनांचे हम देखते हैं कि जो साधन हमको वाकई दस्तयाब हैं वह हमारी असली जरूरतों से बहुत कम हैं । यह कमी जिन हालात से पैदा हुई उन्हें माननीय सदस्य अच्छी तरह

(श्री बालकृष्ण कौल)

जानते हैं और इनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। यह कहना काफी होगा कि खाई पाटने की मुतवातिर कोशिशें की जा रही हैं। गुजिश्ता सालों में जो सूद इकट्ठा हो गया है वह भी अब चुकाना है, क्योंकि आगे से न तो इन सूदों का capitalisation (पूंजीकरण) ही मुनासिब है, और न इनकी अदायगी गैर-मअय्यन अर्से (अनिश्चित काल) तक मुल्तवी की जा सकती है। शहरी व देहाती, दोनों किस्मों की बिजली स्कीमों की मांग बेतहाशा बढ़ती जा रही है और चूंकि तमाम बिजली स्कीमें ५-१० साल के शुरुआती दौर में बहुत कम मुनाफा देती हैं, इसलिये कर्जों के भुगतान का मसला मुश्किलतर होता जा रहा है। बिजली स्कीमों की मांग की तरह ही पीने के साफ पानी और दीगर आसायशों की मांग भी बढ़ रही है। इन स्कीमों के मुनाफे भी उतनी ही ज्यादा देर में मिलने शुरु होते हैं।

१०. आमद व खर्च के बीच तवाजन कायम रखने में राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है, और इस गरज से उसने मुख्तलिफ कदम उठाये हैं, जिनसे एक तो efficiency (कार्यकुशलता) बिगड़े बगैर किफायत हो, दूसरे टैक्सों व गैर-टैक्सों की आमदनी के जरिये और भी ज्यादा बढ़ें। इन उपायों के नुमायां नतीजे हासिल हुए हैं, यह चीज इस हकीकत से रोशन है कि चालू साल का बजट ११.२० लाख रुपये की बचत के साथ खतम होने की उम्मीद है। इस बचत में Contingency Fund (आपात निधि) से ताल्लुक रखने वाले बैठ-बिठाव शामिल नहीं हैं। माननीय सदस्य इस राय से इत्तफाक करेंगे कि यह कामयाबी काबिल-कद्र है, खास कर इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि पिछले दिनों राज्य सरकार को टिडडी-मार कार्रवाइयों पर, बाढ़ राहत पर, और साल के के अखीर में civil defence (नागरिक सुरक्षा) की कार्रवाइयों पर, जबर्दस्त खर्च उठाना पड़ा।

११. खास कर्जे १९६२: भारत सरकार से खास इमदाद की शक्ल में १५ करोड़ व २० करोड़ के जो कर्जे १९६२ के शुरु में मिले थे, उनके इस्तेमाल के बारे में चन्द बातें बताना जरूरी मालूम देता है। १५ करोड़ रुपये के खास क़र्ज़ का इस्तेमाल कुछ तो रिज़र्व बैंक का overdraft (ओवर ड्राफ्ट) चुकाने में किया गया और कुछ भारत सरकार की बक़ाया की भुगतान करने में। दूसरी पांच साला योजना का हिसाब मुरत्तब (संकलन) होने के बाद मालूम हुआ कि १-४-१९६१ को, यानी योजना के अखीर में, कुल overdraft (ओवर ड्राफ्ट) २२.१३ करोड़ रुपये के बराबर था। यह तो ज़ाहिर ही है कि १५ करोड़ रुपये का पहला ख़ास इमदादी क़र्ज़ overdraft(ओवर ड्राफ्ट) की पूरी रकम चुकाने के लिये काफ़ी नहीं था। वसूलियों की कमी और ख़र्चे में बढ़ोतरी की वजह से १-४-१९६२ को यह overdrafts (ओवर ड्राफ्ट) फिर १७.८१ करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। यह overdraft (ओवर ड्राफ्ट) भारत सरकार से २० करोड़ रुपये का दूसरा ख़ास-इमदादी क़र्ज़ा लेकर चुकाया गया। माननीय सदस्यों की यह जानकर ख़ुशी होगी कि आज किसी बैंक का कोई overdraft (ओवर ड्राफ्ट) नहीं है। जिन वजहात से यह बेहतरी

(श्री बालकृष्ण कौल)

मुमकिन हुई है उनका जिक्र बाद में किया जायगा। हालांकि सूरतेहाल बेहतर हुई है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी बहुत इहतियात की जरूरत है। अगले साल से हमको हर साल इन खास क़र्ज़ों के भुगतान का और दूसरी देनदारियां चुकाने का इन्तज़ाम करना है। और अगर हम ने अपने इख़राजात पर चौकस निगाह न रखी और हर मुमकिन तरीकों से अपने साधन काफी हद तक न बढ़ाये तो हम फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं।

१२. **छोटी बचत:** साधनों की चर्चा करते हुए मैं यह भी जिक्र करना चाहता हूं कि जिन वजूहातों ने हमारे अन्दाजे उलट-पलट दिये हैं उन में से एक यह है कि छोटी बचत योजना में भारी कमी हुई है। कुछ अर्से से इस योजना में लोगों की दिलचस्पी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। साथ ही भुनाये जाने वाले सर्टिफ़िकेटों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। चुनांचे इस सोते से रुपया जमा करने की हमारी तदबीरें नाकाम हो रही हैं। छोटी बचतें योजना के लिये रुपया इकट्ठा करने का एक मुफीद सोता तो है ही, लेकिन सिक्के का फैलाव रोकने का भी एक जरिया है। लिहाज़ा इसकी ज़रूरत है कि बचत की आदत जिन्दगी में घर कर जाय।

१३. जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, माननीय सदस्य वित्त मन्त्री से यह कुदरती तौर पर उम्मीद रखते होंगे कि वह सदन के सामने राज्य की माली हालत की असली तसवीर रखे और मजमूई तौर पर यह बतायें कि विकास व दीगर बातों से ताल्लुक रखने वाले हमारे मकसदों को हासिल करने के वास्ते आयन्दा साल क्या कदम उठाने का इरादा है। मेरा नजरिया हमेशा यह रहा है कि जब तक सरकार सदन को भरोसे में न ले, तब तक वह बजट की तजवीजें गर्मजोशी के साथ मनवाने की उम्मीद नहीं कर सकती। यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि राज्य के आमदनी-खर्च का इन्तज़ाम करने में मुझे माननीय सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला है, और पिछला बजट पेश होने के बाद से असलियत पहचानने की जो भावना पैदा हुई है उससे मुझे भरोसा करने की हिम्मत हुई है। सालाना बजट वह मौका होता है कि जब सरकार आमद-खर्च का जायजा लेती है, और मुझे खुशी है कि पिछले जायेजे के नतीजे से आज राज्य की वित्तीय मुश्किलें सब तरफ़ ज्यादा अच्छी तरह समझी जा रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी भारी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुझे माननीय सदस्यों का सहयोग व इमदाद दिन-ब-दिन ज्यादा मिकदार में हासिल होते रहेंगे।

मेरी उनसे एक और दरख्वास्त है कि आज उनसे जो अगली सहारा मिल रहा है उसके साथ-साथ वे ऐसी फिजा बनाने में मदद दें जिसमें जायद साधन जुटाना व बकाया रकमें वसूलना कम नागवार और ज्यादा फलदार हो।

१४. **बजट की शकल में तब्दीलियां:** माननीय सदस्य देखेंगे कि इस साल के बजट की शकल में जरासी तब्दीली इस इरादे से की गई है कि वह ज्यादा जल्दी समझ में आ जाय और कम बोझिल हो जाय। तफसीलों का ढेर और आंकड़ों का गोरख धन्धा जिनसे बजट बनता है, निहायत होशियार आदमी को भी

(श्री बालकृष्ण कौल)

चुनौती देते हैं और मेरे ख्याल से आदमी को बिल्कुल हैरान कर देते हैं चुनांचे यह महसूस किया गया कि बहुत सारी तफसीलें इन तखमीनों में से फायदे के साथ छांटी जा सकती हैं। वल्कि वाकया यह है कि तखमीनों के मुख्तसिर नक्शे से सदन को बहस में भी सुभीता होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयन्दा हिसाब के गोशवारे में ये गैर-जरूरी तफसीलें छोड़ देने की तजवीज है। यह तब्दीली इस सदन की Estimate Committee (प्राक्कलन समिति) की उस राय से तालमेल रखती है जो उसने चर्चाओं के दौरान जाहिर की है मुझे उम्मीद है कि इस कार्रवाही का स्वागत होगा।

१५. माननीय सदस्यों के सुभीते के लिए और मजदूरी व छपाई की लागत में किफायतशारी के इरादे से भी, इस साल का Budget Literature (बजट साहित्य) अंग्रेजी व हिन्दी में अलग–अलग नहीं छपाया गया है। इसके बजाय दुभाषी शकल अपनाई गई है और जगह बचाने के लिये आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में दिये गये हैं। मुझे उम्मीद है कि यह तब्दीली भी उतनी ही पसन्द की जायगी। मुख्तलिफ commercial concerns (व्यापारिक संस्थाओं) के कच्चे (Proforma) बजट भी 'Memorandum' (ज्ञापन) के साथ नत्थी कर दिये गये हैं। इनसे इन महकमों के काम की ज्यादा साफ तसवीर सामने आ जायगी।

१६. **तरमीमशुदा तखमीने १९६२-६३**:– अब मैं १९६२–६३ के तरमीमशुदा तखमीनों का लेखा पेश करता हूं जिससे यह अन्दाजा हो जायगा कि १९६१–६२ के तरमीमशुदा तखमीनों में जो गैर-तवाजन (असंतुलन) मालूम दिया था उसे ठीक करने के वास्ते क्या कोशिशें की गईं। चालू साल के जो बजट तखमीनें शुरू में तैयार किये थे, उनके मुताबिक योजना की लागत का निशाना ३८.३४ करोड़ रुपये पर रखा गया था। इस रकम में राज्य का हिस्सा १२.६४ करोड़ रुपये रखा गया था और बाकी रकम केन्द्रीय सरकार मुहैया करने वाली थी। १९६२ के जून महीने में तखमीनों पर दुबारा गौर किया गया ताकि फिर वैसी ही सूरतेहाल पैदा न हो जाय जैसी १९६१–६२ के अखीर में पैदा हुई थी और हमको कुल मिला कर कई करोड़ रुपयों की बड़ी भारी घटत का सामना करना पड़ा था। इस नजरसानी के नतीजों से महसूस किया गया कि योजना खर्च पूरा करने के वास्ते ९ करोड़ रुपये का इन्तजाम करना राज्य के बूते से बाहर की बात है। यह आंकड़ा योजना कमीशन और केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय के मशवरे से तय किया गया था। जून। १९६२ के कुछ दिनों बाद जब March Final (मार्च फाईनल) हिसाब के आंकड़े सामने आये तो हालत पर एक बार फिर गौर किया गया और तरमीमशुदा अन्दाजा तैयार किया गया। इसमें राज्य के हिस्से में २ करोड़ रुपये की और भी घटत जाहिर हुई और यह हिस्सा अखीर में ७ करोड़ रुपये रखा गया। betterment levy (सुधार शुल्क) और जमीनों की बिक्री की वसूलियों के असली रुजहान ने बाद में इस मामले में हमारे अन्देशे सही साबित कर दिये।

१७. **आमदनी वसूलियां १९६२-६३** : चालू साल (१९६२-६३) के लिए

(श्री बालकृष्ण कौल)

आमदनी का इब्तिदाई तखमीना ३,१५३.१४ लाख रुपये का था जिसमें योजना स्कीमों के वास्ते भारत सरकार से Subvention (राजकीय सहायता) की शकल में मिलने वाली ४५७ लाख रुपये की रकम भी शामिल थी। इसके मुकाबिले में, योजना खर्च को मिलाकर आमदनी खाते में चार्ज किया जाने वाला खर्च ६,१५२.३९ लाख रुपये रखा गया जिसकी वजह से आमदनी में ०.७५ लाख रुपये की छोटी सी बचत दिखाई दी। तरमीमशुदा तखमीनों में ५,५७४.१७ लाख रुपयों की आमदनी दिखाई गई है। अगर इसमें योजना इमदाद की वह रकम (४८७.११ लाख रुपये) जोड़ दी जाय जो आमदनी खाते में चार्ज होने वाला खर्च पूरा करने के वास्ते भारत सरकार से मिलनी है, तो अब कुल आमदनी ६,०६१.२८ लाख रुपये हो जाती है। कुल गैर-योजना खर्च ४,९९१.८९ लाख रुपये के आसपास होता है, जब कि आमदनी खाते में योजना स्कीमों पर होने वाला खर्च ९७४.६० लाख रुपये आता है। आमदनी का जो बजट अब तैयार हुआ है उसमें, चालू साल के इब्तिदाई तखमीनों के मुकाबले में ९४.७९ लाख रुपये की बचत है। इब्तिदाई तखमीनों के मुकाबले में बढ़त और घटत की तफसीलों का खुलासा Budget Memorandum (ज्ञापन) में दिया हुआ है। माननीय सदस्य यह देख कर खुश होंगे कि पिछले सालों के मुकाबले में १९६२-६३ में आमदनी की वसूलियों में मार्के की तरक्की हुई है। इसकी वजह बहुत हद तक यह है कि Administrative machinery (प्रशासनिक तंत्र) को खूब कसा गया है और बकाया की वसूली पर ज्यादा जोर दिया गया है। फिर भी यह दिखाई देगा कि आमदनी की कुछ मदों के मातहत काबिले-गौर कमियां नजर आती हैं। आमदनी में कुल कमी ९१.८६ लाख रुपये के आस-पास है जिसमें Extraordinary (असाधारण) की मद में १६२.०० लाख रुपये की कमी शामिल नहीं है। यह कमी जमीनों की बिक्री और betterment levy (सुधार शुल्क) की वसूलियों में हुई है जिन्हें capitalise (पूंजीकरण) कर दिया गया है और पूंजी खाते के बजाय आमदनी खाते में डाला गया है। इस सूरतेहाल को पैदा करने वाली दीगर मदें ये हैं : State Excise Duties (राज्य आबकारी कर) २७ लाख रुपये, और सूद ५३ लाख रुपये; जिसमें चम्बल कर्जे पर सूद चार्जों की बकाया से ताल्लुक रखने वाली ८८ लाख की रकम नहीं दिखाई गई है। शिक्षा, सिंचाई, खानें, Public Works (सार्वजनिक निर्माण) वन और Miscellaneous departments (विविध विभागों) में भी थोड़ी-थोड़ी कमियां हुई हैं। दूसरी तरफ Income Tax (आयकर); माल गुजारी, बिक्रीकर और Union Excise Duties (संघीय उत्पादन शुल्क) की वसूलियों में हमारा हिस्सा बढ़ा है।

१८. **आमदनी पर चार्ज होने वाला खर्चा** : आमदनी खाते में चार्ज होने वाले खर्च का इब्तिदाई तखमीना ६,१५२.३९ लाख रुपये का था जिसमें योजना खर्च के हिसाब के १,०६६.१२ लाख रुपये शामिल थे। यह तखमीना अब ५,९६६.४९ लाख रुपये का है जिसमें से ९७४.६० लाख रुपये योजना स्कीमों पर खर्च किये जायेंगे। इस तरह साल के आमदनी खाते में आंके गये खर्च में १८५.९० लाख राज्य की गिरावट है योजना

(श्री बालकृष्ण कौल)

खर्च के मातहत कुछ घटत है, क्योंकि योजना के मग्ज (Core) और दस्तायब साधनों के ऐतबार से योजना की Ceiling (उच्चतम सीमा) नीची करदी गई है। खर्च में ज्यादा से ज्यादा कमी करने के इरादे से साल के दौरान किफायत की जो कड़ी कार्यवाइयां की गई उनका अक्स भी मजमूई गिरावट पर पड़ा है। योजना स्कीमों पर खर्च का पैमाना कम किये जाने से १२१.५२ लाख की रकम कम हुई है जो खास कर शिक्षा, Public Works (सार्वजनिक निर्माण विभाग) वन, खेती, Medical (चिकित्सा) और पशु पालन की मदों में नजर आती है। Public Health (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की मद में योजना खर्च में इजाफा हुआ है जिससे कमियां कुछ बे असर हो गई है। गैर-योजना खर्च के मातहत बचतें कई मदों में फैली हुई हैं। मगर पुलिस के खर्च में नागुजीर इजाफा हुआ है क्योंकि एक तो चाही गई किफायत पूरी कारआमद नहीं हुई दूसरे उस पर मौजूदा emergency (आपात) का बोझा आ पड़ा।

खालिस नतीजा यह हुआ है कि जहां चालू साल के बजट के अन्दाज में करीब १ लाख रुपये की बचत मानी गई थी, (इसमें चालू साल में जारी किये गये नये टैक्सों से होने वाली जायद आमदनी भी ठीक ठीक शुमार करली गई थी) वहां यह आंकड़ा अब ९४.७६ लाख पर जा पहुंचा है। यह तरक्की काफी खुश-गवार है।

१६. **पूंजीगत बजट** : १९६२-६३ के लिए पूंजीगत खर्च का इब्तिदाई तखमीना २,६२५.७४ लाख रुपये का था जबकि तरमीमशुदा तखमीने में २,८३५.७३ लाख की रकम इख्तियार की गई है जो २०९.९९ लाख रुपये का इजाफा बताती है। यह इजाफा इन खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से हुआ है। जागीरदारों को मुआवजों का भुगतान (३०.०० लाख रुपये); सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत खर्च (३४.१५ लाख रुपये) उद्योगों का विकास (१०.८८ लाख रु०) multipurpose (बहुउद्देशीय योजनाएं (२१६.१५ लाख रुपये) जिसमें भाखड़ा के Common Works (शामिल निर्माण) की बकाया के १२२ लाख रुपये और सरकारी व्यापारी स्कीमों की बकाया के ६६.०० लाख रुपये शामिल है क्योंकि कम मियादी कर्जों की वसूलियां कम हुई। इसके मुकाबले में सिंचाई (Commercial) में १४३.५७ लाख रुपये की और सार्वजनिक निर्माण में २४.४१ लाख रुपये की कमियां है।

२०. **सार्वजनिक कर्ज** : Public Debt सार्वजनिक ऋण) की सूरत यह है कि १९६२-६३ के बजट में अदायगियों (Disbursements) के ऊपर वसूली का खालिस फर्क २८५२.५५ लाख रुपये आंका गया था। इसके मुकाबले में तरमीमशुदा तखमीना २,८२६.४० लाख रुपये का बैठता है। इन तखमीनों में नीचे लिखी बड़ी बड़ी अदायगियों का हिसाब शामिल है:--

(१) केन्द्रीय सरकार को अदायगी ६६७.४१ लाख रु०

(२) बैंकों को अदायगी ४,१००.०० लाख रु०

(श्री बालकृष्ण कौल)

(३) Reserve Bank of India (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) व Life Insurance Corporation (जीवन बीमा निगम) से लिये गये कर्जों की अदायगी १२.७० लाख रु० ।

२१. **कर्जे व हवालगियां**: कर्जो और हवालगियों के मातहत १९६२-६३ के बजट तखमीनों के लिये (कम) -७८०.२९ लाख रुपये का खालिस फर्क इख्तियार किया गया था और तरमीमशुदा तखमीना (कम) -६१०.९६ लाख रुपये का है। यह खालिस असर इस वजह से पैदा हुआ कि म्यूनिसिपैलिटियों, पंचायत समितियों और काश्तकारों से कम वसूलियां हुई और Rajasthan Electricity Board (राजस्थान विद्युत मंडल) को कर्जों के हिसाब में ११५ लाख रुपये कम दिये गये, १३ लाख रुपये के गैर-योजना कर्जे कम बांटे गये, वगैरा।

२२. **सार्वजनिक लेखा**: Public Account (सार्वजनिक लेखे) में १९६२-६३ के बजट तखमीनों में ५४८.७३ लाख रुपये की खालिस बचत का अन्दाजा किया गया था। इसके मुकाबले में तरमीमशुदा आंकडा ५३३.०० लाख रुपये का बैठता है।

२३. **मजमूई सूरत**: तरमीमशुदा तखमीनों से जो मजमूई सूरते हाल जाहिर होती है उसमें ११.२० लाख रुपये की बचत का अन्दाजा है Contingency Fund (आकस्मिक निधि) के मातहत लेनदेन को छोड़कर इसका मुकाबला ६ लाख रुपये की उस बचत के साथ करना चाहिए जो १९६२-६३ में जारी किये गये नये टैक्सों की जायद आमदनी की गुंजायश रख कर अन्दाजी गयी थी। जैसा कि जाहिर होगा, तरमीमशुदा तखमीने मजमूई बजट की बचत के इब्तिदाई अन्दाजों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है।

२४. **योजना पर खर्च १९६२-६३**: १९६२-६३ के दौरान योजना स्कीमों पर खर्च की ceiling (उच्चतम सीमा) योजना कमीशन ने ३८.३४ करोड़ रुपये तय की थी। छोटी सिंचाई योजनाओं के वास्ते भारत सरकार इस रकम के अलावा भी ७४ लाख रुपया ज्यादा देने को राजी हो गई। लेकिन योजना के मग्ज (core) और दस्तयाब साधनों का लिहाज रखते हुए इब्तिदाई ceiling (उच्चतम सीमा) बाद में नीची कर दी गई। अब उम्मीद की जाती है कि ३५.४० करोड़ रुपये की तरमीमशदा ceiling (उच्चतम सीमा) के भीतर आमदनी खाते में योजना खर्च ९.७५ करोड़ रुपये और पूंजी खाते में २५.५९ करोड़ होगा। इन दोनों का जोड़ ३५.२४ करोड़ रुपये का होता है। योजना कमीशन की मंजूरशुदा स्कीमों के अलावा, केन्द्र की मदद से चलनेवाली स्कीमों व विकास की दीगर स्कीमों पर, ceiling (उच्चतम सीमा) के बाहर, आमदनी खाते में १०८.१८ लाख रुपये और पूंजीगत मदों में ६७९.९८ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। इन दोनों रकमों का मीजान ७८८.१६ लाख रुपये है। इन मदों का इब्तिदाई तखमीना ६४०.४९ लाख रुपये का था।

२५. **किफायतशारी १९६२-६३**: अगले साल के तखमीनों पर आने से पेश्तर मैं चालू साल में की गई किफायत की कार्रवाइयां बयान करना चाहूंगा। १९६२-६३ के आमदनी खाते में खर्च के तखमीने, मुख्तलिफ मदों के मातहत कुल

(श्री बालकृष्ण कौल)

४६ लाख रुपये की मुमकिन बचतों को ध्यान में रख कर तैयार किये गये थे। Public works (सार्वजनिक निर्माण) व सिंचाई विभागों के मुश्तरका Establishments (कर्मचारी वर्ग) की वजह से पूंजीगत खर्च के मातहत ४ लाख रुपये तक की बचत भी इसी तरह इख्तियार की गई थी। मैंने सदन को बताया था कि इन बचतों को दरअसल ठोस शकल देने के इरादे से गैर-योजना खर्च में सख्त से सख्त किफायत बरती जायगी। इस तरह चालू साल में ५० लाख रुपये की किफायत का जो अन्दाजा रखा गया था उसके मुकाबले में इस साल के दौरान मंजूर की गई किफायतों की कार्रवाइयों का मीजान आमदनी खाते में १०१.१७ लाख रुपये और पूंजी खाते में ४५.४७ लाख रुपये हुआ। इन मंजूर शुदा किफायतों के मुकाबले में इस साल के अखीर तक आमदनी खाते में ७९.४५ लाख रुपये की और पूंजी खाते में ४५.४७ लाख रुपये की किफायतें वाकई होने की उम्मीद है। आमदनी के सीगे में अगले साल किफायत की इन कार्रवाइयों का मुतवातिर असर ८५ लाख रुपये के आसपास होगा। राष्ट्रीय emergency (आपात) को मद्दनजर रखते हुए अगले साल के दौरान बाद में और ज्यादा किफायत की कार्रवाइयां लाजिमी तौर पर इख्तियार करनी होंगी। अगले साल के दौरान इनसे ४१.३४ लाख रुपये की मजीद बचत होने की उम्मीद है। १९६२-६३ में जो किफायतें की गई और १९६३-६४ में जिनका अन्दाजा लगाया गया है, वह memorandum (ज्ञापन) में दी हुई है।

२६. **बजट तखमीने १९६३-६४**: अब मैं आने वाले साल के तखमीनों पर आता हूं। १९६३–६४ के लिए कुल योजना ceiling (उच्चतम सीमा) ३४.५० करोड़ रुपये की मुकर्रर की गई है। बिजली १.३० करोड़ रुपये, खेती १ करोड़ रुपये और सहकारिता १० करोड़ रुपये के लिए २.४० करोड़ रुपये की जायद ceiling (उच्चतम सीमा) भी इसमें जोड़ी जायगी जो मंजूरशुदा खर्च के सिवाय होगी। यह इजाफा योजना कमीशन के मशविरे से किया गया है। यह ceiling (उच्चतम सीमा) ऐसा मान कर रखी गई है कि केन्द्र को जो रकमें चुकानी हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, और २५.६० करोड़ रुपये की केन्द्रीय इमदाद की उम्मीद करते हुए, हमारा राज्य कुल ३२.१० करोड़ रुपये के साधन जुटा सकेगा। इसमें २.४० करोड़ की वह इमदाद शामिल नहीं है जो खेती, बिजली व सहकारिता की मदों में जायद ceiling (उच्चतम सीमा) के वास्ते मिलेगी। मुकर्रर ceiling (उच्चतम सीमा) और योजना कमीशन के माने हुए साधनों के बीच २.४० करोड़ रुपये का फर्क है।

२७. **आमदनी की वसूलियां**: इस वक्त टैक्स की जो दरें चालू हैं, उनके आधार पर **१९६३-६४** की वसूलियां ६३१५.९० लाख रुपये के आसपास होंगी। इसमें चालू साल के पहले व दूसरे हिस्सों में टैक्सों का इजाफा और Central Subvention (केन्द्रीय सहायता) का हिसाब भी शामिल है। १९६२-६३ के लिये इख्तियार किये गये वसूलियों के इब्तिदाई व तरमीमशुदा तखमीनों के अन्दाजों में महसूस होने वाला इजाफा हुआ है। वसूलियों में यह इजाफा Corporation Tax (निगम कर) को छोड़कर खास कर Income (आय) पर टैक्सों में हुआ है। जो आसार नजर आते हैं उनके मुताबिक इन टैक्सों में हमारा हिस्सा ३९३

(श्री बालकृष्ण कौल)

लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद की जाती है। १९६२-६३ के मुकाबिले में यह बढ़त ३३ लाख रुपये की होती है। चालू साल के दौरान वसूलियों में इजाफा होने की वजह से मालगुजारी की मद में चालू साल के आंकड़े के मुकाबले में कुछ ऊंचा आंकड़ा इख्तियार किया गया है। बिक्री कर की मौजूदा दरों के आधार पर इस मद में ६८० लाख रुपये के अन्दाजे की आमदनी मानी गई है। इसमें बढ़ोतरी के हस्ब मामूल रुजहान की, और १९६२-६३ में लगाये गये नये टैक्सों की, और केन्द्रीय बिक्रीकर में बढ़ोतरी का, वजिब ध्यान रखा गया है। ये बढ़ोतरियां उद्योगों, Extraordinary receipts (असाधारण प्राप्तियां) और सूद की रकमों में गिरावट को कुछ हद तक बे-असर कर देती हैं। सदन को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी होती है कि Electricity Board (विद्युत मंडल) ने इस साल से अपनी बकाया रकमों का कुछ हिस्सा सरकार को देना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि आयन्दा सालों में यह हालत और भी सुधर जायगी। उम्मीद है कि छीजत व सूद चार्जो की अदायगी मुजरा करके Roadways (रोडवेज) भी २७ लाख रुपये का मुनाफा दिखायेगी। तखमीने तैयार करते वक्त यह रकम भी हिसाब में ले ली गई है। जमीनों की बिक्री व betterment levy (सुधार शुल्क) वगैरह से वसूलियों की रकम २१७ लाख रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट इलाकों से हासिल होने वाली वसूलियां Capitalise (पूंजीकरण) की जायंगी।

२८. **आमदनी खाते खर्च १९६२-६३**:–– आमदनी खाते में चार्ज किया जाने वाला खर्च ६६१३.६६ लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें ये खर्च शामिल हैं: योजना की लागत पर १०९२.५० लाख रुपये, योजना के बाहर विकास के कामों पर खर्च १८२.५७ लाख रुपये, Civil Defence (नागरिक सुरक्षा) व पुलिस बजट में बढ़ोतरी पर खर्च ७४.५४ लाख रुपये। १९६२-६३ के तरमीमशुदा तखमीनों के मुकाबले में ज्यादातर इन मदों में बढ़ोतरियां नजर आती हैं। कर्जे घटाने व बचाने के लिये Appropriation (विनियोग) पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुपालन, सामुदायिक विकास, multipurpose (बहुद्देशीय) नदी योजना, Civil Defence (नागरिक सुरक्षा) और राष्ट्रीय emergency (आपात) से ताल्लुक रखने वाले दीगर खर्च। योजना खर्च में बढ़ोतरी योजना कमीशन की मंजूरशुदा ceiling (उच्चतम सीमा) के मुताबिक है।

२९. **खेतीबाड़ी**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि national defence (राष्ट्रीय सुरक्षा) के लिए खेती का पाया मजबूत होना निहायत जरूरी है, हमारी अर्थ व्यवस्था में खेती के मजबूत पाये की जरूरत साफ जाहिर है। अगले साल में इस क्षेत्र के लिए ज्यादा ऊंची ceiling (उच्चतम सीमा) इख्तियार की गई है, इसलिये यह ज्यादा खर्च पूरा करने के वास्ते योजना कमीशन ने ज्यादा तेजी के साथ इमदाद देना मुनासिब समझ कर मंजूर किया है। खेती की मद में जो कुल रकम रखी गई है उसमें से २०५ लाख रुपये छोटे सिंचाई कामों के वास्ते मखसूस किये जायेंगे। इस प्रोग्राम में ये चीजें शामिल की जायेंगी: नये कुएं खोदना, मौजूदा कुएं गहरे करना, करीब ३० निजी नल-कुएं लगाना, कुओं में

(श्री बालकृष्ण कौल)

पम्प लगाना, वगैरा। तिलहन व कपास की पैदावार बढ़ाने पर खास जोर दिया जायगा। Soil Conservation (भूमि संरक्षण) की कार्रवाइयों पर भी वाजिब ध्यान दिया जायगा।

३०. **सहकारिता**: सहकारी क्षेत्र में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों की शाखों और देहाती गोदामों की तादाद बढ़ाने के अलावा ६६१ नयी सेवा सहकारियां बनाने की तजवीज है। ४ थोक व १०० खुदरा Consumer's Co-operative stores (उपभोक्ता सहकारी भंडार) भी खोले जायेंगे और ५० मजदूर ठेका समितियां बनाई जायेंगी।

३१. **सामुदायिक विकास**: सामुदायिक विकास के मातहत १९६३-६४ में कई Pre-extension (पूर्व-विस्तार) खंडों को first stage (प्रथम चरण) खंडों में बदला जायेगा।

३२. **बिजली**: बिजली क्षेत्र की मद में अगले वित्तीय साल १९६१–६२ के प्रोग्राम में से ६० मुकामों पर बिजली लगाई जायगी। खेती बाड़ी के वास्ते बिजली मुहैया करने की गरज से करीब १०० गांवों को High Tension Lines (उच्च वोल्टता तारों) से निकाल कर बिजली दी जायगी। २३ नये मुकामों पर बिजली देने का काम भी शुरू किया जायगा। १९६३–६४ में १७,००० किलोवाट जायद बिजली पैदा होने की उम्मीद है और जायद Thermal units (ताप बिजलीघर) का काम चालू होने पर करीब १०,००० किलोवाट बिजली और भी पैदा करने की ताकत हासिल हो जायगी। राना प्रताप सागर पर परमाणु बिजली घर से ताल्लुक रखने वाला शुरुआती काम भी हाथ में लिया जायगा।

३३. **उद्योग**:-उद्योगों की मद में सरकारी क्षेत्र में Sodium sulphate (सोडियम सल्फेट) का जो कारखाना खड़ा किया जा रहा है वह अक्टूबर, १९६३ से पहले माल तैयार करने लगेगा, ऐसी उम्मीद है।

३४. **शिक्षा**:-शिक्षा के क्षेत्र में २५० प्राइमरी स्कूल खोलने, १०० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों का दर्जा देने और १० हाई व हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में Science (विज्ञान) की क्लासें खोलने की भी तजबीजें हैं। जिन शर्तों का पहले से पूरा करना जरूरी है, वे अगर पूरी करदी गई तो लड़कियों के मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों या हायर सेकेन्डरी स्कूलों का दर्जा देने की तजबीजों पर हमदर्दी के साथ गौर किया जायगा। कालेज लाइब्रेरियों को बढ़ाने के वास्ते २.५० लाख रुपये का इन्तजाम रखा गया है। १९६३-६४ में मौजूदा Polytechnics (पोलीटेक्निक स्कूलों) को मजबूत करने के वास्ते वाजिब इन्तजाम रखा गया है।

३५. अगले साल के दौरान ७५ नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की तजबीज है।

३६. **पानी सप्लाई**: देहाती व शहरी Water supply schemes (जल वितरण योजनाओं) पर भी मुनासिब ध्यान दिया जायगा। इन स्कीमों पर करीब २० लाख रुपये व ६०' लाख रुपये की कुल लागत का अन्दाजा है।

३७. जब योजना के भीतर भी और बाहर भी विकास के कामों पर, और राष्ट्रीय emergency (आपात) की वजह से जरूरी होने वाले खर्च में इतनी भारी बढ़ोतरी होने जा रही है, तो यह कुदरती चीज है कि सोचे गये खर्च और दस्तयाब साधनों के

(श्री बालकृष्ण कौल)

बीच काफी चौड़ी खाई बन जाय। ऊपर के अन्दाजों के मुताबिक आमद-खर्च का यह फर्क करीब २९७.७९ लाख रुपयें तक पहुंच जायगा।

३८. **और ज्यादा किफायत**: यह कहा जा सकता है कि १९६३-६४ के आमदनी खाते में होने वाले खर्च के तखमीने बनाने में करीब ३२.२० लाख रुपये की और भी किफायतशारी के लिए वाजिब गुंजाइश रखी गई है। ये किफायतें कई मदों में फैली हुई हैं। इनकी तफसील यह है: पुलिस १८ लाख रुपये, शिक्षा ३.५८ लाख रुपये, Medical (चिकित्सा) २.३० लाख रुपये, Public Health (सार्वजनिक स्वास्थ्य) १.१२ लाख रुपये समाज कल्याण १.२३ लाख रुपये और सिंचाई ५ लाख रुपये। और भी ज्यादा किफायतशारी की जरूरत से सरकार पूरी तरह आगाह है और हम किफायत के नये रास्ते तलाश करने में हर वक्त कोशां रहेंगे। लेकिन माननीय सदस्य इस बात को बखूबी समझते हैं कि महज रुपयों व नये पैसों की भाषा में बचत को सच्ची किफायत नहीं कहा जा सकता, अगर ऐसी बचत के नतीजे से Administrative efficiency (प्रशासनिक-कार्यकुशलता) को नुकसान पहुंचे। फैलती हुई अर्थव्यवस्था में, जब विकास के मुताल्लिक व दीगर खर्चों पर भारी लागत का इरादा किया जाता है, तो किफायतों का दायरा साल-दर-साल छोटा होता चला जाता है। साथ ही साथ administration (प्रशासन) और दीगर गैर-योजना मदों के खर्च में कुछ बढ़ोतरी लाजिमी हो जाती है। काम के दायरा-ए-अमल में फैलाव का कुदरती नतीजा यह होता है कि आला सतह पर दबाव पड़े। इसकी वजह से स्टाफ में और खर्च की दीगर मदों में, जिनमें हिसाब-किताब रखने की कीमत भी शामिल है, कुछ बढ़ोतरी जरूरी हो जाती है। इस नुकते-निगाह से, गैर-योजना खर्च में बढोतरी की बहुत कुछ नुक्ताचीनी वाजबियत खो देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार गैर-योजना खर्च में कोई भी गैर-जरूरी बढ़ोतरी बर्दाश्त करेगी। सच तो यह है कि जायद खर्च महदूद करने और गैर-जरूरी मदें कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है।

३९. **पूंजीगत बजट**: अब मैं पूंजीगत बजट पर आता हूं। पूंजी खाते में खर्च की रकम २१५३.६३ लाख रुपये होने का अन्दाजा है। यह १९६२-६३ के तरमीमशुदा तखमीनों में इख्तियार की गई रकम से कम है। इसकी खास वजह ये है कि २८४ लाख रुपये के सूद चार्जों और भाखड़ा Projects (परियोजना) के common works (शामिल निर्माण) से ताल्लुक रखने वाली १२२ लाख रुपये की बकाया रकमों को (पूंजीकरण) करने की तजवीज हटा दी गई है। Public Works (सार्वजनिक निर्माण) पर पूंजीगत खर्च में भी १७९.७० लाख रुपये की कमी की गई है। दीगर मदों में भी छोटी-छोटी तब्दीलियां हैं। दूसरी तरफ, जागीरदारों को मुआवजों के भुगतान के वास्ते, Public Health (सार्वजनिक स्वास्थ्य) में तरक्की के लिये, पूंजीगत खर्च के वास्ते, और खेती की तरक्की व research (अनुसन्धान) के वास्ते भी, चालू साल के इब्तिदाई तखमीनों के मुकाबले में ज्यादा रकम का इन्तजाम करना पड़ा है। सरकारी व्यापार की स्कीमों पर पूंजीगत

(श्री बालकृष्ण कौल)

खर्च की वजह से भी भारी बढ़ोतरी हुई है। Roadways (रोडवेज़) के लिए नयी बसों की कीमत चुकाने के वास्ते Road Transport (सड़क परिवहन) में भी जायद रकम का इन्तजाम किया गया है।

४०. **सार्वजनिक कर्ज**: Public Debt (सार्वजनिक कर्ज) की मद में, ३५४०.६० लाख रुपये की आमदनी के मुकाबले में, अदायगियों की रकम करीब १०८०.४३ लाख रुपये होने का अन्दाजा है। केन्द्रीय सरकार के कर्जे चुकाने के वास्ते करीब ९६७.२५ लाख रुपये का इन्तजाम रखा गया है। इसमें २५९.९४ लाख रुपये कम मीयादी कर्जों के मुतािल्लक हैं और ३४०.०० लाख रुपये उस special ways and means loans (विशेष उपाय और साधन ऋण) के मुताल्लिक हैं जो १९६२ के शुरू में मिला था। Ceiling (उच्चतम सीमा) के भीतर भी और बाहर भी योजना स्कीमों के वास्ते करीब २६२४.९२ लाख रुपये की केन्द्रीय इमदाद मिलने की उम्मीद है।

Life Insurance Corporation (जीवन बीमा निगम) और Reserve Bank of India (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) वगैरा से मिलने वाले कर्जों का हिसाब लगाने के बाद हमको २४६०.१७ लाख रुपये की खालिस रकम दस्तयाब होगी।

४१. **सार्वजनिक उधार**: अगले साल अपनी तरफ से Public debt (सार्वजनिक ऋण) चालू करने का सरकार का इरादा नहीं है, क्योंकि Centralised Public Borrowing (केन्द्रीकृत सार्वजनिक उधारकरण) की नई नीति के मुताबिक केन्द्रीय सरकार मुनासिब वक्त पर सार्वजनिक कर्ज चालू करेगी और उसकी जमा रकम में से राज्य सरकार को उसका हिस्सा मुहैया करेगी।

४२. Loans & advances (ऋणों व अग्रिमों) की मद में वसूलियों के खाने में २९० लाख रुपये का और खर्च के खाने में १२१४.६१ लाख रुपये का इन्तजाम रखा गया है। खर्च की इस रकम में १११७.४१ लाख रुपये योजना स्कीमों के मुताल्लिक हैं और इसमें से ८०० लाख रुपये उन बिजली Projects (परियोजनाओं) से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें कर्ज की इमदाद देकर Rajasthan State Electricity Board (राजस्थान राज्य विद्युत मंडल) के मार्फत रुपया दिया जाता है।

४३. Public Accounts (सार्वजनिक लेखा) की मद में, प्राविडेन्ट फण्ड, बीमा, वगैरा के जमा खातों से हासिल होने वाली खालिस आमदनियों और मुख्तलिफ कामों में होने वाले खालिस खर्चों का हिसाब बिठा कर खालिस बाकी करीब ४६६ लाख रुपये का होने का अन्दाजा है।

पूंजी खाते में तमाम तखमीनों का खालिस नतीजा ७८२ लाख रुपये की घटत की शकल में होगा। यह घटत भारत सरकार के चालू किये जाने वाले सार्वजनिक कर्ज में राज्य सरकार के हिस्से से और छोटी बचत में इकट्ठा की गई रकमों से दुरुस्त हो जायगी। आखिर में पूंजी खाते में १५२ लाख रुपये की घटत रहेगी।

४४. **आखिरी तस्वीर**: ऊपर मैंने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे जो आखिरी तस्वीर सामने आई है वह यह है कि मोटे तौर

Page No.122

(श्री बालकृष्ण कौल)

पर आमदनी में करीब ३ करोड़ रुपये का फर्क है । अगर इसमें पूंजी खाते की १.५२ करोड़ रुपये की घटत जोड़ दी जाय तो कुल मिलाकर ४.५० करोड़ रुपये का फर्क रहता है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : डूब गये ।

श्री बालकृष्ण कौल: अगर भारत सरकार का २० करोड़ रुपये का खास कर्जा चुकाने के वास्ते ३४० लाख रुपये के इन्तजाम के बजाय ६३० लाख की पूरी रकम का इन्तजाम किया गया होता, तो पूंजी खाते की हालत ज्यादा दिक्कत-तलब हो जाती ।

४५. पिछले साल अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि अगर हम इस हकीकत को हकीकत मान लें कि विकास करती हुई अर्थ व्यवस्था में टैक्सों का बढ़ता हुआ बोझ न तो बचाया जा सकता है और न टाला जा सकता है, तो हमारे सबके लिये बहुत भली बात होगी । और अब हमारे सामने खड़ी emergency (आपात.) ने मजबूरी का एक और जुज दाखिल कर दिया है । चुनांचे, नये टैक्स लगाने के लिये किसी उज्र की जरूरत नहीं है । सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि टैक्सों का बोझ मुन्सिफाना ढंग से किस तरह बांटा जाय ।

श्री रामकिशन (वैर): हां, यह बताओ।

श्री बालकृष्ण कौल : ४६. **समाजवादी समाज** :—इस सिलसिले में मैं सदन का ध्यान हमारे संविधान की राज्य नीति में सजे हुए निर्देशक सिद्धान्तों की तरफ खींचना चाहता हूं, जिनमें राज्य को हिदायत दी गई है कि जनता के कल्याण को तरक्की देने के वास्ते एक समाज व्यवस्था मुहैया करें । इसमें गरदाने गये आम उसूलों को दिसम्बर १९५४ में ज्यादा ठीक मोड़ दिया गया जब कि पार्लियामेंट ने समाजवादी ढंग के समाज को समाजी व आर्थिक नीति का मकसद करार दिया । समाजवादी ढंग के समाज में इन बातों पर जोर है : मखसूस मंजिलें हासिल करना, रहन सहन के दर्जे ऊंचे उठाना, सबके लिये तरक्की के मौके बढ़ाना, महरूम वर्गों में उद्यमों को तरक्की देना और समाज के सभी तबकों में हिस्सेदारी की भावना पैदा करना । ये मखसूस मंजिलें ही बुनियादी फैसलों की कसौटी हैं । खेती की पैदावार में इजाफा, आज-कल के उद्योगों, आमद-रफ्त के साधनों व बिजली की पैदावार में बढ़ोतरी, अर्थ-व्यवस्था में सरकारी व सहकारी क्षेत्रों का विकास, ये बातें वह हालात पैदा करेंगी जिनसे समाजवाद की तरफ आगे बढ़ना और रहन-सहन के दर्जे ऊंचे उठाना मुमकिन होगा। ये लम्बी मीयाद के मकसद हैं, जिनकी तरफ़ हम जां-फिशानी से बढ़ रहे हैं ।

कई माननीय सदस्य : ओ हो !

श्री बालकृष्ण कौल : ४७. संविधान में रखे गये राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में बताई गई मंजिलें पूरी करने के वास्ते, संविधान ने केन्द्र व राज्यों के बीच कामों का बंटवारा मुकर्रर किया है । समाजवादी ढंग का समाज कायम करने की जिम्मेदारी ज्यादातर केन्द्र पर है; क्योंकि संविधान की रू से वह जाती टैक्स लगा कर levelling down यानी ऊंचों को सतह पर लाने का दौरा शुरु करने के लिये बेहतर हैसियत में है । हमारी कोशिशें तो ज्यादातर ये होनी चाहियें कि पैदावार के अपने प्रोग्रामों के जरिये अर्थ-

(श्री बालकृष्ण कौल)
व्यवस्था को तामीरी तरीकों से उठायें और इस तरह आम जनता के रहन-सहन के दर्जे ऊंचे करें । Levelling up यानी नीचे से ऊंची सतह पर.........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ऑन ए पोइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ५ बजे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष: इसलिये आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अभी तो १२ बजेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल: उठाने के इस दौर में हमको हर उस शख्स से मतालबा करना होगा जो इस काबिल है कि अपनी अदायगी की हैसियत के मुताबिक कुछ योग दे सकता हो । मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि जो उपाय मैं नुमाया करने जा रहा हूं उन्हें अलहदगी में न देखा जाय; बल्कि उस कुल्ली नकशे के ऐतबार से देखा जाय जिसकी जड़ें हमारे संविधान में हैं ।

४८. विकास की रफ्तार तेज करने के वास्ते अगर हम टैक्सों के अलावा दूसरे जरियों से ज्यादा सरमाया पा सकें, तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई न होगा ।

श्री रामकिशन : पर आप करते कहां हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: जैसा कि मैं शुरू में भी कह चुका हूं, पहली दो योजनाओं के दौरान तरक्कियों के बावजूद हम विकास के उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाये हैं जिस पर दूसरे बहुत से राज्य पहुंच गये हैं, हालांकि हमारी मेहनत में, खास कर दूसरी योजना के अर्से में, जोश व खरोश के उफान की खुसूसियत थी । उस वक्त भी हमको इस बात का पूरा एहसास था कि अखिल भारतीय दर्जे तक पहुंचने के लिये हमको पीछे का बहुत बड़ा फासला तय करना है और अगर हमने अपनी कोशिशों में देर लगाई तो मौजूदा फर्क और भी चौड़ा हो जायगा । अपने महदूद साधनों को देखते हुए अब तक हमने जो कुछ कामयाबी हासिल की है वह वाकई तारीफ के काबिल है । लेकिन हमको अभी इससे भी ज्यादा कामयाबी हासिल करनी है और पिछला फासला जरूरी साधनों के बिना तय नहीं किया जा सकता । पिछले करीब दस सालों में जो जोरदार हरकत पैदा हुई है, उससे हमको फायदा उठाना चाहिए और कौमी विकास की इस शानदार मुहिम में पूरा हिस्सेदार बन कर अपना वाजिब मरतबा हासिल करना चाहिये । साथ ही साथ हमको ज्यादा बोझ उठाने के लिये कमर-बस्ता रहना चाहिये जो मौजूदा emergency (आपात) ने हमारे ऊपर डाले हैं । इसमें जो मेहनत करनी पड़े और परेशानियां उठानी पड़ें उनसे न तो हमारी सही फैसले करने की तमीज पर बुरा असर पड़ना चाहिए और न हमको मंजिले-मकसूद से अपनी निगाह हटानी चाहिये ।

४९. इसलिये जब यह मान लिया गया कि हम अपने सामने आई हुई हालत से छुटकारा नहीं पा सकते तो हमको इसी मन्तकी नतीजे पर आना पडता है कि विकास व defence (सुरक्षा) की जरूरतें पूरी करने के वास्ते टैक्सों व दीगर जरियों से साधन जुटाने के लिए सभी तरह की कोशिश लाजिमी है ।

(श्री बालकृष्ण कौल)

५०. **टैक्स लगाने की तजवीजें**:–इन अल्फाज के साथ अब मैं आने वाले वित्तीय साल के लिए टैक्सों की तजवीजें सदन में पेश करता हूं।

१. Stamp Duties (**मुद्रांक शुल्क**)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: धीरे धीरे साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : बढ़ते हुए Industrialisation (औद्योगीकरण) और कारबार की वजह से गैर-मनकूला जायदाद (अचल सम्पत्ति) की कीमतें काफी ऊंची चढ़ गई हैं। इन चढ़ी हुई कीमतों का मजमूई फायदा जायदाद की बिक्री के वक्त उठाया जाता है। गैर-मनकूला जायदाद के मुताल्लिक बैनामें (अभिहस्तान्तरण पत्रों) पर Slab system के मुताबिक ज्यादा Stamp duty लगाने की गरज से Stamp Duties Act (मुद्रांक शुल्क अधिनियम) के Schedule (अनुसूची) के २३वें इन्द्राज में माकूल तरमीम की जायगी। इसके अलावा Stamp Duty पर Surcharge (अधिभार) ३० फी सदी से बढ़ा कर ५० फी सदी कर दिया जायगा।

२. Motor Vehicles Tax (**मोटर गाड़ी कर**):

(*i*) मोटर कारों और किराये पर चलने वाली मोटर बसों पर Motor Vehicles Taxations Act (मोटर गाड़ी कर अधिनियम) के मातहत टैक्स बढ़ाया जायगा।

(*ii*) ट्रेलर समेत या बिना ट्रेलर के ट्रैक्टरों पर मामूली टैक्स लगाया जायगा।

३. Advertisement Tax (विज्ञापन कर):

तिजारत व कारबार में जोरदार तरक्की होने से कारबार बढ़ाने व अच्छा नाम पैदा करने के लिए आजकल विज्ञापन के जरियों का पहले से ज्यादा सहारा लिया जाने लगा है। इसलिये सिनेमाओं में कुछ किस्म के विज्ञापनों पर मामूली टैक्स लगाया जा रहा है।

श्री रामकिशन : मिनिस्टरों के फोटोज पर क्या होगा?

४. **श्री बालकृष्ण कौल**: Electricity Duty (विद्युत् कर):

Industries (उद्योगों) में अभी तक जो बिजली खर्च होती है, उस पर Electricity Duty (विद्युत् कर) की पूरी छूट दी हुई है, सिवाय उस बिजली के जो Commercial (वाणिज्यिक) या रिहायशी मकानात में खर्च होती है। अब इस छूट का दायरा कम किया जा रहा है, और आज से कारखानों में माल बनाने, पैदा करने, तैयार करने (Processing) और मरम्मत के काम में खर्च होने वाली बिजली पर १ न. पै. फी यूनिट के हिसाब से duty लगेगी, सिवाय उन उद्योगों के जिनमें electro-thermal या electro-chemical कामों में बिजली खर्च होती है।

५. Sales Tax (**बिक्री कर**) :

(i) Luxury (विलास) के व दूसरे कुछ माल पर टैक्स की दर ७ फी सदी से बढ़ा कर १० फी सदी करदी जायगी और बिक्री कर की आम दर ५ फी सदी से बढ़ा कर ६ फी सदी करदी जायगी।

(ii) कुछ माल पर दी हुई मौजूदा छूट खत्म कर दी जायगी। अभी तक सिर्फ listed industries (सूची में दिये हुए उद्योगों) में काम आने वाले सभी किस्म के कच्चे माल पर छूट मन्जूर की

(श्री बालकृष्ण कौल)

जाती थी; अब कच्चे माल के नाम को महदूद कर दिया गया है और इसमें सिर्फ वे चीजें शामिल हैं जो बने हुए माल का जुज बन जाती हों, या जो ईंधन वगैरा हों। ऐसी तमाम industries में, जिनके बनाये माल पर टैक्स देना लाजिमी हो, खर्च होने वाले ऐसे कच्चे माल पर १ फी सदी टैक्स लगाया जायगा।

ज्वार, बाजरा व मक्का को छोड़ कर सारे अनाजों पर २ फी सदी टैक्स लगाया जायगा और ज्वार, बाजरा व मक्का पर सिर्फ १ फी सदी टैक्स लगेगा।

श्री रामकिशन : चने पर भी।

श्री बालकृष्ण कौल : (iii) पशु-धन का महफूज करने की गरज से उन गायों व भैंसों की खरीद पर माकूल टैक्स लगाया जायगा जो राज्य से बाहर बेचने के लिए खरीदी जायगी।

(iv) Diesel oil (डीजल तेल) को motor spirit (पैट्रोल) की तारीफ (परिभाषा) में शामिल किया जायगा और इस पर Sales Tax Act (बिक्री कर अधिनियम) के बजाय Rajasthan Sales of Motor Spirit Taxation (राजस्थान मोटर स्पिरिट बिक्री कर अधिनियम) के मातहत टैक्स लगेगा। टैक्स का उसूल बिक्री की कीमत पर १० फीसदी की जगह Low Speeed डीजल पर ४ न०पै० और High Speed डीजल पर ६ न० पै० फी लिटर हो जायगा।

(v) बिक्री कर की और Motor Vehicles Rules (मोटर गाड़ी नियम) के आठवें Schedule की दरें बढ़ाने की कुछ कार्यवाहियां की जा चुकी हैं जिनका पूरा असर १९६३-६४ में महसूस होगा।

(vi) General Cess on Land Revenue (**भूराजस्व पर सामान्य उपकर**):

फिलहाल सरकार Land Revenue (भूराजस्व) पर एक graduated (आरोही) surcharge (अधिभार) वसूल करती है। Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम, १९५९) के Section 33 (खंड ३३) के मातहत बहुत सी पंचायत, पंचायत समितियां भी टैक्स वसूल कर रही हैं जो खेती की जमीन के इस्तेमाल या दखल पर दिया जाता है। Land Revenue (भूराजस्व) पर इस Surcharge (अधिभार) और पंचायत समिति टैक्स की जगह Land Revenue (भूराजस्व) पर एक Consolidated General Tax (समेकित सामान्य कर) लगाया जा रहा है। इस Cess अधिभार) की दर यह होगी आबपाशी (सिंचाई) की जमीन के १५-५१८ एकड़ तक के मुरब्बे पर Land Revenue (भूराजस्व) का २५ फी सदी; ३१-२१८ एकड़ तक के मुरब्बे पर ३३ फी सदी और इस हद से ऊपर के मुरब्बे पर ५० फी सदी। इस गरज से आबपाशी की जमीन की एक एकड़ गैर-आबपाशी की जमीन के ३ एकड़ के बराबर माना जायगा।

श्री मानसिंह महार : फिर तो मर गई पब्लिक।

श्री बालकृष्ण कौल : इस (cess) (अधिभार) से वसूल होने वाली आमदनी का ४० फी सदी हिस्सा पंचायतों व पंचायत समितियों में बांटा जायगा। इसका आधा हिस्सा पंचायत समितियों को land

(श्री बालकृष्ण कौल)

revenue की उस रकम की निस्बत से दिया जायगा जो वे अपने-अपने इलाकों में इकट्ठा करेंगी । बाकी के आधे में से १० लाख रुपया अधूरे सामुदायिक कामों को पूरा करने में इस्तेमाल किया जायगा और १० लाख रुपये की मजीद रकम पीने के पानी के कुए पूरे करने में लगाई जायगी । बाकी का इस्तेमाल एक equalisation (समकारी कोष) कायम करने में किया जायगा, जो उन पंचायत समितियों के साधन पूरा करने में लगाया जायगा जिनको ऊपर के उसूल पर बंटने वाला फी सेस (Cess) सारे राज्य के औसत से कम हो ।

इस तदबीर से न सिर्फ वह कम से कम आमदनियां महफूज हो जायेंगी जो आज पंचायत समितियां वसूल कर सकती हैं, बल्कि उनकी जरूरत पूरा करने के मजीद फंड भी मुहैय्या हो जायेंगे ।

यह General cess (सामान्य उपकर) जारी होने के बाद मौजूदा surcharge (अधिभार) और मालगुजारी पर पंचायत समिति टैक्स वसूल नहीं किये जायेंगे ।

(vii) Royalty on minor minerals (गौण खनिजों पर रायल्टी) :

कुछ (Minor minerals) पर रायल्टी बढ़ाई जा रही है।

इन तमाम तदबीरों से १९६३-६४ में राज्य सरकार को ४.०० करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है ।

टैक्सों की बकाया व दीगर बकाया वसूली की रफ्तार तेज करने के वास्ते जोरदार कोशिश की जायगी और वसूली का स्टाफ बढ़ाने के लिये कुछ (administrative) (प्रशासनिक) व दीगर कदम उठाये जायेंगे ।

टैक्स व गैर-टैक्स आमदनी जुटाने के लिए और भी तदबीरें अलग से इख्तियार की जा रही हैं । इनसे ५० लाख रुपये हासिल होने की उम्मीद है। इस तरह ४.५० करोड़ रुपये के जिस मजमूई घाटे का अन्दाजा किया गया है वह बहुत कुछ पूरा हो जायगा ।

५१. टैक्स लगाना सिर्फ एक जरिया है, कोई मकसद नहीं है, इसलिये कुछ छोटी-मोटी रियायतें, जो टैक्स कानूनों के इन्तजाम से हासिल हुए तजरबे की रोशनी में मुनासिब व जायज समझी गई हैं, शौक से दी जानी चाहिये, अगर ये जनता की आम भलाई के लिए जरूरी हों ।

Sales Tax Act (बिक्री कर अधिनियम) में यह तरमीम की जा रही है कि छोटे-छोटे दुकानदार अगर चाहें तो तिमाही टैक्स के एवज में एक मुश्त रकम अदा कर सकते हैं । अगर वे इससे फायदा उठायेंगे तो उन्हें तिमाही नक्शे पेश नहीं करने पड़ेंगे, और उन पर assessment (निर्धारण) की बाकायदा कार्रवाई भी भी लागू नहीं की जायगी ।

कुछ दर्जों के बड़े-बड़े दुकानदारों को माहवारी नक्शे पेश करना और उसी बुनियाद पर टैक्स देना जरूरी था, अब उनको यह सहूलियत दी जा रही है कि माहवारी नक्शे पेश करना जरूरी नहीं है, हालांकि टैक्स माहवारी अदा किया जायगा ।

जो वापसियां माकूल अर्से में न लौटायी

नाओं के लिए खास अनुदान सहायता भी दी ... । यह सहायता Matching ... दी जायगी, यानी म्यूनि- ... तो उतना ही रुपया अपने पास ... डेगा । इस मद में खर्च उठाने के ... में कुल २५ लाख रुपये का इन्तजाम रखा गया है ।

जा...

कारखाने खोलने ...
की मुश्किलें हल करने के लिये दुक... तरह आरजी तौर पर उनकी रजिस्ट्री का इन्तजाम किया जा रहा है ताकि वे कानून के मातहत छूट व रियायत का फायदा उठा सकें ।

Cottage Industries (कुटीर उद्योगों) को protection (संरक्षण) देने की गरज से मुड्ढों पर Central Sales Tax (केन्द्रीय बिक्री कर) की भी छूट दी जा रही है । देशी जूतों पर टैक्स की पहले ही छूट है । अब देशी जूतों की definition (परिभाषा) में मुनासिब तरमीम की जा रही है ताकि ज्यादातर किस्म के हाथ से बने जूते इसमें आ जायें ।

श्री मानसिंह महार : क्या लगाने में तरमीम की जा रही है ?

५२. **श्री बालकृष्ण कौल**: इन रियायतों के अलावा इस मौके पर मैं यह भी ऐलान करता हूं कि आगे से म्यूनिसिपैलिटियों को अनुदान-सहायता उससे ज्यादा फैयाजाना बुनियाद पर दी जायगी जिसका ऐलान पिछले साल किया गया था । हर म्यूनिसिपैलिटी को आम अनुदान-सहायता ५०० नये पैसे फी कस के हिसाब से दी जायगी और इसके लिए १९६१ की मर्दुमशुमारी के आंकड़े इख्तियार किये जायेंगे । इस अनुदान पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जायगी कि म्यूनिसिपैलिटी पहले उसी के बराबर रकम अपने ... नों से मुहैया करें । इस आम अनुदान के ... ना म्यूनिसिपैलिटियों को विकास योज-

५३. चूंकि हमने समाजवादी ढंग के समाज के खयाल के साथ नाता जोड़ा है, इसलिए कम से कम मैं कयास नहीं कर सकता कि इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य इस मुताल्लिक बनाई गई levelling up (ऊंचा उठाने) की नीति के खिलाफ होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):— बड़ा अच्छा लक्ष्य पेश कर रहे हैं समाजवाद का! क्यों समाजवाद को बदनाम करते हैं ?

(स्वतन्त्र दल व जन संघ के माननीय सदस्यों एवं कुछ निर्दलीय माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री बालकृष्ण कौल: मुमकिन है कुछ लोगों की यह राय हो कि योजना के मातहत विकास की व दीगर हलचलें धीमी कर दी जायं या बिल्कुल खत्म कर दी जांय और तमाम दस्तयाब साधन उस काम में लगा दिये जायें जिसे वह जंगी तैयारियां (War effort) कहते हैं । अगर ऐसे कोई हों, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आजकल की जंगें मुकम्मिल जंगें (Total wars) होती हैं जो न सिर्फ मैदाने-जंग में बल्कि खेतों और कारखानों में लड़ी जाती हैं । इसका मतलब है कि खेती की पैदावार, उद्योगों का विकास, आमद-रफ्त के जरिये, बिजली वगैरह का भी जंग की तैयारियों से वास्ता है । दर हकीकत

Page No.128

(श्री बालकृष्ण कौल)

Projects (परियोजनाएं) defence (सुरक्षा) के लिए उतनी ही लाजमी हैं, और विकास का तकाजा है कि जो रफ्तार मामूली जमाने में हुआ करती है उससे ज्यादा तेज हो। और विकास (Projeots) परियोजनाओं को चलाने की तकनीकी जानकारी मुहैया करने के लिए तकनीकी तालीम का दायरा और ज्यादा बढ़ाना है। Medioal (चिकित्सा) की सहूलियतें भी बहुत पैमाने पर मुहैया करनी हैं। चुनांचे आर्थिक व उद्योगी विकास की रफ्तार को मद्धिम करना हमारे मकसदों के लिए मुजिर होगा और हमारी ताकत कम कर देगा। जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वह महज कम से कम है जो हमारे राज्य के healthy (स्वस्थ) आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इन प्रोग्रामों की तकमील में समाज के तमाम तबकों को भारी त्याग करना पड़ेगा और इस दौर में सामने वाली सारी मुश्किलों को जेर करने के लिये सख्त व पक्के इरादे की जरूरत होगी। जहां कहीं मुमकिन हो वहां किफायतशारी की कोशिशें हमको और भी ज्यादा जोर व तेजी से जारी रखनी हैं और बकाया रकमों, खास कर पेशगी दी गई रकमों, की वसूली का काम भी तेजी से करना है। जिस हद तक हम साधन जुटा सकेंगे उसी हद तक हमारे लिए अपनी देनदारियां—खासकर हमारे लिये हुए कर्जों की देनदारियां—चुकाना आसान होगा और हम सूद चार्जों का रुपया बचा सकेंगे।

चुनांचे हमको ऐसी जहनियत पैदा करना निहायत जरूरी है जिससे हम इस तरह त्याग और पक्के इरादे की जरूरी काबलियत कायम रख सकें। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत और जुर्रत से काम करते हैं। हमें इस हकीकत का हिम्मत से सामना करना है और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुहिम में इस सदन के माननीय सदस्यों का और आम जनता का पूरा सहयोग मिलेगा।

इस शानदार जद्दो-जहद में हमको जिस कदर कामयाबी हासिल होगी, वह समाज पर हमेशा के लिये गहरी छाप छोड़ेगी और गरीबी, समाजी रीत-रिवाज, जहालत, अन्ध-विश्वास वगैरह की दलदल से निकलने की हमारी इस बिल-इरादा जद्दो-जहद को आने वाली पीढ़ियां फख्र के साथ देखेंगी।

५४. श्रीमान—इन अल्फाज के साथ मैं १९६३-६४ के साल का बजट पेश करता हूं।

(५.१९ म. प.)

(अल्पविराम के पश्चात्)

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

(पुरःस्थापित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३

(पुरःस्थापित)

श्री मोहन लाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्तावकरता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामकिशन (वैर) : जीते तो हम हैं मन से । —

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३ पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक ४ मार्च, १९६३ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.२२ बजे दिनांक ४ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३)

(सायंकालीन बैठक)

स्कम्भ

१. वार्षिक वित्तीय विवरण, १९६३-६४ के सम्बन्ध वित्त मंत्री का भाषण तथा राज्य के आयव्ययक (बजट), १९६३-६४ का उपस्थापन ६७३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री, ने राजस्थान राज्य के प्राक्कलित आय और व्यय के विवरण (आयव्ययक), १९६३-६४ का उपस्थापन किया।

२. विधायी कार्य--पुरःस्थापित किये गये विधेयक ७१४

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

स्कम्भ

(२) राजस्थान लैंड रेवेन्यू (जनरल सैस) विधेयक, १९६३

सदन की बैठक ५ बज कर २२ मिनट पर सोमवार, दिनांक ४ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार दिनांक ४ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची ७१६

(१) राज्यपाल महोदय का सन्देश।

(२) विधेयकों का पारण: राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२।

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)।

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक २ मार्च, १९६३

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६७८	२२	projeots	projects
६८०	२	का	कर
६८२	अन्तिम से ७	बजट भी	बजट की
६८६	,,	जिस में	जिस में
६८९	४	Corp ration	corporation
६९१	३	worl s	works
६९१	५	Es a lishments	establishment
६९२	९	ceili g	ceiling
६९३	शीर्षक	राज्य के द्वारा वित्त मंत्री	राज्य के वित्त मंत्री द्वारा
६९३	अन्तिम से ७	be terment	betterment
६९४	१	पये	रुपये
६९४	१४	Def nce	Defence
६९४	२१	nation l defence	national defence
६९५	शीर्षक	राज्य द्वारा वित्त मंत्री	राज्य के वित्त मंत्री द्वारा
६९५	२४	Tens o n Lines	Tension Lines
७०३	शीर्ष	(श्री बालकृण कोल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
७०८	अन्तिम से ५	(cess) (अधिमार)	cess (अधिभार)
७१०	२	(administrative) (प्रशासनिक)	administrative (प्रशासनिक)
७१०	अन्तिम से १०	assessmen	assessment
७१०	अन्तिम से ९	भी भी	भी
७१०	अन्तिम से २	जायगाा	जायगा
७११	४	दुकानदारों	दूकानदारों
७१२	शीर्षक	आय-व्ययक माष	आय-व्ययक भाषण
७१३	शीर्ष	(श्री बालकृष्ण कोल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
७१५-१६	शीर्षक	राजस्थान वित्त-२ मार्च, १९६३ विधेयक	वित्त विधेयक-२ मार्च, ६३ (जनरल सैल) विधेयक
७१८	अन्तिम से ९	४ मार्च, ७१६	४ मार्च,